



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262136
CG-DL-E-30032025-262136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]
No. 97]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

मामला सं. एडीडी (ओ.आई.) 08/2024

विषय : चीन जन. गण. और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच का प्रकटीकरण विवरण।

फा. सं. 6/09/2024—डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

- समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, प्लास्टिक मशीनरी

मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद “आवेदक एसोसिएशन” अथवा “पीएमएमएआई” के रूप में भी कहा गया है) ने इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड, मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिवौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद “घरेलू उद्योग” के रूप में भी कहा गया है) की ओर से चीन जन.गण. और ताइवान (जिसे इसके बाद “संबद्ध देश” के रूप में भी कहा गया है) से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन (जिसे इसके बाद “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तुएँ” कहा जाएगा) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दाखिल किया है। एसोसिएशन और भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों को संयुक्त रूप से इसके बाद “आवेदक” के रूप में भी कहा गया है।

2. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यास प्रथम दृष्ट्यासाध्य के आधार पर, भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च 2024 की अधिसूचना संख्या 6/09/2024- डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू क्षति की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्यास होगी।

क. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने दिनांक 29 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र -असाधारण में प्रकाशित की गई एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई।

ग. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरूआत करने के लिए अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना में निर्धारित फार्म और तरीके से संगत सूचना प्रदान करें और जांच की शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत कराएं।

घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने संबद्ध देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए परामर्श दें। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :

| क्र. सं. | संबद्ध देश | उत्पादक / निर्यातक |
|----------|-------------|--|
| 1 | चीन जन. गण. | चेन डी प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 2 | | कॉसमॉस मशीनरी लिमिटेड |
| 3 | | डेमाग प्लास्टिक मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड |
| 4 | | गुआंगडोंग यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 5 | | गुआंगझोउ बोर्च मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 6 | | हैटेन इंटरनेशनल |
| 7 | | हांगजो टेडेरिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 8 | | लिगुआंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 9 | | मिट्सॉन्ग मोल्ड एंड मशीन कंपनी लिमिटेड |
| 10 | | निंगबो हैक्सियोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 11 | | निंगबो हेंगरुन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 12 | | निंगबो शुआंगमा मशीनरी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड |
| 13 | | किंगदाओ रुंजिया प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 14 | | किंगदाओ सानिल प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 15 | | शांडोंग टोंगज्या मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 16 | | शंघाई जीएस मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड |
| 17 | | सूज़ौ फोसिटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड |
| 18 | | शिनले हुआबाओ प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 19 | | झांगजियागांग किंग मशीन कंपनी लिमिटेड |
| 20 | | झेजियांग ईस्ट झोउकियांग प्लास्टिक और मोल्ड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड |
| 21 | | झेजियांग गोल्डन ईगल प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 1 | ताइवान | एशियाई प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 2 | | हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 3 | | पैन स्टोन प्रिसिजन इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड |

छ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने उत्तर दिया है तथा निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है :

| क्र. सं. | संबद्ध देश | उत्पादक / निर्यातक |
|----------|-------------|---|
| 1 | चीन जन. गण. | चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड |
| 2 | | चेन हसोंग मशीनरी (शेन्जेन) कंपनी लिमिटेड |
| 3 | | चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 4 | | चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्जेन) कंपनी लिमिटेड |
| 5 | | डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड |
| 6 | | एंगेल मशीनरी (चांगज्जौ) कंपनी लिमिटेड |
| 7 | | एंगेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड |
| 8 | | फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 9 | | फोशान शुंडे चेन डे प्रिसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 10 | | फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड |
| 11 | | यिजुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड |
| 12 | | यिजुमी प्रिसिजन मशीनरी (एचके) कंपनी लिमिटेड |
| 13 | | यिजुमी प्रिसिजन मशीनरी (सूजौ) कंपनी लिमिटेड |
| 14 | | यिजुमी प्रिसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड |
| 1 | ताइवान | एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |
| 2 | | चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड |
| 3 | | हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड |

ज. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भी भेजी, जिसमें नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की गई।

| क्र. सं. | प्रयोक्ता / आयातक |
|----------|--|
| 1 | अरुण प्लास्टो मोल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | भारत बॉक्स फैक्ट्री लिमिटेड |
| 3 | सीजे पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | ई जॉब्स इन्फो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन टूल्स लिमिटेड |
| 6 | कुन्स्टोकॉम (इंडिया) लिमिटेड |
| 7 | मोल्डवेल प्रोडक्ट्स |
| 8 | मोल्डवेल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |

| | |
|----|---|
| 9 | प्रिंस प्लास्टिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | शक्ति पॉलिमर्स |
| 11 | सैटजर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड |
| 12 | सुमी मदरसन ग्रुप |
| 13 | सुप्रिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 14 | टेक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज |
| 15 | ट्रूलिंग टेम्पल |
| 16 | विक्टोरियास इंजीनियरिंग वर्क्स |
| 17 | विद्युत मेटालिक्स लिमिटेड |

झ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :

| क्र. सं. | प्रयोक्ता / आयातक |
|----------|---|
| 1 | ब्लैकबर्न एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | चेन हसोंग मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (चीनी उत्पादक) |
| 3 | चेन हसोंग मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ताइवान उत्पादक) |
| 4 | एफसीएस मैन्युफैक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | मोल्डेड फाइबरग्लास प्रोडक्ट्स |
| 6 | यिजुमी प्रिसिजन मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |

ज. चाइना प्लास्टिक मशीनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीपीआईएमए), ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) और ऑर्गनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) द्वारा भी अनुरोध किए गए हैं और इन पर वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है।

ट. निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जाँच के संबंध में सूचना नहीं दी है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

ठ. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदकों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की थी। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। घरेलू उद्योग, एंगेल मशीनरी (चांगज्जोउ) कंपनी लिमिटेड, चीन और एंगेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन ने आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने भी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

ड. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण की अवधि में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो तो पीसीएन का प्रस्ताव करने का अवसर दिया गया था। कुछ हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए दिनांक 30 अप्रैल 2024 को एक बैठक का आयोजन किया गया था।

ण. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और जांच के लिए पीसीएन पद्धति दिनांक 8 जुलाई 2024 को अधिसूचित की गई थी।

त. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसके साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित अनुरोध दाखिल करें, जिसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर) अनुरोध हो तो प्रस्तुत करें।

द. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहाँ भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

ध. क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार व्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक जानकारी और सांचियकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी द्वारा इसे प्राप्त कर लिया गया है और इस पर इस प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है।

न. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, जहाँ तक आवश्यक समझा गया, आवेदकों के परिसरों में भौतिक सत्यापन किया।

प. भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे इसके बाद 'एनआईपी' के रूप में कहा गया है) का निर्धारण किया गया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं।

फ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक कि वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए हैं।

ब. प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशों करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण 13 फरवरी 2025 को सभी इच्छुक पक्षों को परिचालित किया। प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जांच प्रासंगिक समझी गई सीमा तक की है। कोई भी प्रस्तुतिकरण जो केवल पिछले प्रस्तुतिकरण का पुनरुत्पादन था, और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

भ. इस प्रकटीकरण विवरण में “***” एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 82.51 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

4. जांच शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था:

“2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीने हैं जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है जिनका प्रयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

3. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार की ऐसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं, जिनकी क्लैम्प फोर्स 40 टन से कम नहीं हो और 3200 टन से अधिक नहीं हो। विचाराधीन उत्पाद में पूरी तरह से असेंबल, सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी), कम्पलीट नॉक्ड डाउन फॉर्म (सीकेडी), सब असेंबली मशीनें भी शामिल हैं।

क. सेमी नॉक्ड डाउन चरण में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य है एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है लेकिन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में लेन देन की जाती है जिसमें सभी आवश्यक घटक एक साथ फिट नहीं होते हैं और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है।

ख. कम्पलीट नॉक्ड डाउन चरण में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य है एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो अपने अधूरे या अपूर्ण रूप में होती है, लेकिन एक साथ रखे जाने पर पूरी मशीन की आवश्यक विशेषता रखती है, और इसमें व्यापक रूप से प्रयुक्त घटकों को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं।

ग. विशेष रूप से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के लिए सब- असेंबली।

4. तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है :

- i. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत उप शीर्ष 84773000 के तहत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।
- ii. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।
- iii. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें इंजेक्शन, मोल्डिंग क्लोजिंग, मोल्डिंग ओपनिंग, इंजेक्शन, स्क्रू ड्राइव आदि जैसे यांत्रिक मूवमेंट स्वतंत्र सर्वों मोटर द्वारा नियंत्रित होते हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली वाले होते हैं और हाइड्रोलिक यूनिट के बिना होते हैं।
- iv. फुटवियर बनाने के लिए मल्टी-कलर/मल्टी-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/स्ट्रैप/हील इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत उप-शीर्ष 8453 के तहत वर्गीकृत हैं।
- v. सेकेंड हैंड/ प्रयोग में लाई जा चुकी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें।

5. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के अंतर्गत उप शीर्ष 84771100 और 84779000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. एसकेडी बॉडी/ कंपोनेंट/ पार्ट्स को शामिल करना अत्यधिक भ्रामक है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि केवल ऐसी तैयार वस्तु को ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे में माना जा सकता है, जिसकी घरेलू उद्योग द्वारा व्यावसायिक रूप से बिक्री की जाती है।
- ख. नायलॉन केवल टाई बनाने के लिए आयातित मशीनें घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित प्रकार से भिन्न हैं। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद एक मापदंड को पूरा कर सकता है, लेकिन सभी मापदंडों को पूरा नहीं करता है। ये मशीनें व्यावसायिक रूप से परस्पर बदलने के लिए योग्य नहीं हैं।
- ग. पीसीएन को क्लैम्पिंग फोर्स की बजाय भार, माप और अन्य मापदंड के आधार पर माना जाना चाहिए। मशीनों का भार लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है क्योंकि भारी मशीनें अधिक टिकाऊ और महंगी होती हैं। पीसीएन को भार के लिए 80% और क्लैम्पिंग फोर्स जैसे तकनीकी मापदंड को 20% महत्व देते हुए प्रदान किया जाना चाहिए।

घ. "सेमी नॉक डाउन (एसकेडी) बॉडी/ कंपोनेट/ पाटर्स" शब्दावली अत्यधिक भ्रामक, अस्पष्ट और संदिग्ध है। इससे स्पेर्यर्स, पाटर्स और अन्य वस्तुएं भी शामिल हो जाएंगी।

ड. प्राधिकारी को ऐसी असेंबली की सूची जारी करनी चाहिए जो उत्पाद के दायरे का भाग हैं।

च. प्रवंचना कानून को तभी लागू किया जा सकता है जब उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू हो। चूंकि वर्तमान में कोई शुल्क नहीं है, अतः प्रवंचना कानून को नई जांच में लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रवंचना की आशंका के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

छ. एसोसिएशन के ऐसे सदस्य हैं जो कंपोनेट का उत्पादन कर रहे हैं, अतः यदि प्राधिकारी घटकों को शामिल करना चाहते हैं, तो उन उत्पादकों का डेटा प्राधिकारी के पास दाखिल किया जाना चाहिए और समेकित संयुक्त अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रसारित किया जाना चाहिए।

ज. घरेलू उद्योग ने असेंबली/ कंपोनेट का आयात किया है। उत्पाद के दायरे में घटक, असेंबली और सब- असेंबली शामिल हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा अद्यतन आवेदन प्रदान किया जाना चाहिए था।

झ. "सेमी नॉकड डाउन (एसकेडी) बॉडी/ कंपोनेट/ पाटर्स" शब्द अत्यधिक भ्रामक, अस्पष्ट और अनेक अर्थों वाला है। शुल्क अथवा जांच के दायरे में केवल "पाटर्स" को शामिल किया जाना स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित होगा। इसमें स्पेर्यर, पाटर्स और अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जाना होगा।

ज. विचाराधीन उत्पाद की लागत में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक मशीन का भार होता है। भारी मशीनें हल्की मशीनों की तुलना में महंगी होती हैं, क्योंकि भारी मशीनें मजबूत और टिकाऊ होती हैं। अतः पीसीएन पद्धति पर पहुंचने के लिए मशीन के भार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

ग.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

6. आवेदकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. उत्पाद को निर्मित उपयोग- के लिए- तैयार उपकरण के रूप में, सब असेंबली के रूप में अथवा सीकेडी/ एसकेडी स्थितियों में आपूर्ति किया जा सकता है और उपभोक्ता इसे नगण्य मूल्य वर्धन के साथ असेंबल कर सकता है।

ख. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों में कई सब असेंबली शामिल हैं। उपभोक्ताओं के पास उत्पादन प्रक्रिया, सीकेडी, एसकेडी और यहां तक कि सब असेंबली के भाग में उत्पाद खरीदने का विकल्प है।

ग. उपभोक्ता महत्वपूर्ण कंपोनेट को अलग से और अन्य पाटर्स को अलग से आयात कर सकता है और अपने स्थान पर असेंबल कर सकता है। इन पाटर्स को असेंबल करने में शामिल प्रचालनों में बड़े तकनीकी निवेश अथवा तकनीकी सूचनाएं शामिल नहीं हैं।

घ. मेसर्स हुआवेर्ड टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले के सेस्टेट मामले का संदर्भ दिया गया है; जिसमें यह माना गया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे कि इसमें किसी प्रवंचना से बचा जा सके।

ड. यदि सीकेडी और एसकेडी रूप को दायरे में शामिल नहीं किया जाता है, तो शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयात जारी रहेंगे। एमएसएमई क्षेत्र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे प्रचालन शटडाउन होने का जोखिम बढ़ेगा।

च. उत्पाद के दायरे में सीकेडी, एसकेडी और सब असेंबली को शामिल करना उचित है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं ही यह दावा किया है कि उन्होंने इन रूपों में उत्पाद को निर्यात किया है।

छ. भारतीय उद्योग ने नायलॉन केबल टाई उत्पादन के लिए मशीनों का निर्माण और आपूर्ति की है। आवेदकों ने इन मशीनों को केबल टाई और संबंधित उत्पादों के प्रमुख डाउनस्ट्रीम निर्माताओं को आपूर्ति की है।

ज. क्लैम्पिंग फोर्स विचाराधीन उत्पाद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शब्द है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन और प्लांट इंडिया समग्र बाजार को टन के आधार पर वर्गीकृत करता है।

झ. जब उपाय लागू थे, तो पार्ट्स, कंपोनेंट, असेंबली और सब असेंबली का आयात किया जा रहा था। तथापि, उपायों के समाप्त होने के बाद, केवल पूरी मशीनों का आयात किया जा रहा है।

ज. चीन और ताइवान के उत्पादकों ने यह दावा किया है कि वे उत्पाद को सीकेडी/ एसकेडी और सब असेंबली के रूप में निर्यात करते हैं। तथापि, आवेदकों को इन निर्यातों के सही सही विवरण के बारे में जानकारी नहीं है।

ट. उत्पाद को या तो पूरी तरह से असेंबल की गई मशीन के रूप में या पार्ट्स (सीकेडी/ एसकेडी) के रूप में आपूर्ति किया जा सकता है। उत्पादक या तो तैयार उपकरण या सब-असेंबली रूप में या सीकेडी/ एसकेडी की स्थिति में निर्यात किए जा सकते हैं, जिसमें भारत में न्यूनतम मूल्य वर्धन की आवश्यकता होती है। वर्तमान जांच में सीकेडी और एसकेडी को शामिल किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बाहर करने से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी इन रूपों में आयात जारी रहेगा।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

8. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें थीं, जिनमें क्लैम्पिंग फोर्स 40 टन से कम नहीं हो और 3200 टन से अधिक नहीं हो, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग अथवा मोल्डिंग के लिए किया जाता था। दायरे में नीचे उल्लिखित उत्पाद शामिल थे : -

i. सेमी नॉक्ड डाउन चरण में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन, जिसका तात्पर्य एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से है, जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में संचालित की जाती है जिसमें सभी आवश्यक सब असेंबली एक साथ फिट नहीं होती हैं और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है।

- ii. कम्पलीट नॉकड डाउन चरण में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जिसके तात्पर्य से अपने अधूरे अथवा अपूर्ण रूप में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन को एक साथ रखे जाने पर पूरी मशीन की आवश्यक विशेषता रखती है और इसमें व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कंपोनेंट को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण कंपोनेंट शामिल होते हैं।
- iii. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से अभिप्रेत एक अथवा अधिक सब असेंबली।

9. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं :

- i. उप शीर्षक 8477 30 00 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।
- ii. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।
- iii. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें इंजेक्शन, मोल्डिंग क्लोजिंग, मोल्डिंग ओपनिंग, इंजेक्शन, स्क्रू ड्राइव आदि जैसी यांत्रिक गतिविधियाँ स्वतंत्र सर्वों मोर्टर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली होती है तथा हाइड्रोलिक इकाई के बिना होती हैं।
- iv. फुटवियर बनाने के लिए मल्टी-क्लर/ मल्टी-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/ स्ट्रैप/ हील इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत उप शीर्ष 8453 के तहत वर्गीकृत है।
- v. सेकेंड हैंड/ प्रयोग में लाई जा चुकी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें।

10. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के अंतर्गत उप शीर्ष 84771100 और 84779000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण गलत था। दिनांक 28 अगस्त 2024 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था, जिसमें उप शीर्षों को 84771000 और 84779000 के रूप में स्पष्ट किया गया। यह नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. विचाराधीन उत्पाद, विचाराधीन उत्पाद के दायरे, सीकेडी अथवा एसकेडी रूपों में आयातों के संबंध में स्पष्टीकरण, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशिष्ट अपवर्जन और पीसीएन पद्धति के संबंध में विभिन्न मामलों को उठाया गया है। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

12. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन, जिसे सामान्यतः इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के रूप में जाना जाता है, एक विशेष औद्योगिक मशीन है जिसका उपयोग इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग एक विनिर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें पिघले हुए प्लास्टिक को मोल्ड कैविटी में डाला जाता है, उसे ठंडा किया जाता है और एक तैयार आकार/ उत्पाद बनाने के लिए ठोस बनाया जाता है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन उच्च उत्पादन दक्षता का लाभ प्रदान करती है, और न्यूनतम अपशिष्ट के साथ टाइट टोलरेंस के साथ जटिल आकार बनाने की क्षमता प्रदान करती है।

13. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों को विभिन्न प्रकार के साइज और क्षमताओं में निर्मित किया जाता है, जिन्हें क्लैम्पिंग फोर्स के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। घेरेलू उत्पादकों के साथ-साथ विदेशी उत्पादक विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों का निर्माण अलग-अलग क्लैम्पिंग फोर्स के साथ करते हैं। इसके अलावा, मशीनों में अतिरिक्त सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे ग्राहकों को किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए अपेक्षित हो। विभिन्न टन भार वाली मशीनों का उपयोग विभिन्न उत्पादों के समूह की मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

14. विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण की प्रक्रिया को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है -


- क. अनेक अलग अलग सब असेंबली का निर्माण करने के लिए काफी संख्या में घटकों का निर्माण करना। एक सामान्य मशीन में 500 से 1500 विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट हो सकते हैं, जिन्हें 10 से 15 सब असेंबली में असेंबल किया जाता है।
- ख. विभिन्न सब-असेंबली को अंतिम मशीन में जोड़ना
- ग. परीक्षण और पेंटिंग।
- घ. बड़े आकार की मशीनों के मामले में, परिवहन के प्रयोजन के लिए, असेंबल की गई मशीन को कुछ सब असेंबली में अलग किया जा सकता है।
- ड. पैकिंग और शिपमेंट।

15. घटकों के निर्माण की प्रक्रिया में (क) स्क्रू, बैरल और नोजल के साथ इंजेक्शन यूनिट, (ख) प्लेटेंस, टाई बार और सिलेंडर का उपयोग करके क्लैम्पिंग यूनिट, (ग) वेल्डिंग, कटिंग और सीएनसी मशीनिंग का उपयोग करके फ्रेम और बेस और (डी) इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम शामिल हैं।

16. इंजेक्शन यूनिट की सैंपल इमेज नीचे दी गई है : -



17. क्लैम्पिंग यूनिट की सैंपल इमेज नीचे दी गई है : -




18. मशीन बेस फ्रेम की सैंपल इमेज नीचे दी गई है : -



19. इन सब असेंबली के निर्माण के बाद, इंजेक्शन यूनिट और क्लैम्पिंग यूनिट को पूर्ण मशीन तैयार करने के लिए जोड़ा जाता है। इन सब असेंबली को मशीन के फ्रेम पर लगाया जाता है और हाइड्रोलिक व इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाता है। इसके बाद मशीन के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाती है।

20. परीक्षण प्रक्रिया के भाग के रूप में, मशीनों का उचित प्रेसर, प्रवाह दर और विद्युत कनेक्शन के लिए परीक्षण किया जाता है। इंजेक्शन प्रेसर और क्लैम्पिंग फोर्स के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए मशीन को कृत्रिम कार्यगत परिस्थितियों में संचालित किया जाता है।

21. भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित पूर्ण प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।





क. विचाराधीन उत्पाद का दायरा

22. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। तदोपरांत, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 30 अप्रैल 2024 को हितबद्ध पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया।

23. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 1500 टन तक क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों तक ही सीमित रखने का अनुरोध किया। विचाराधीन उत्पाद/ पीसीएन बैठक के दौरान, आवेदक ने इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 1500 टन तक के क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों तक सीमित कर दिया गया।

24. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के सीकेडी, एस्केडी और सब असेंबली/पार्ट्स / कंपोनेंट को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता। इन्हें इस आधार पर बाहर करने की मांग की गई है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में वे उत्पाद शामिल नहीं हो सकते जिन्हें भारत में आयात नहीं किया गया है।

25. आवेदक ने मेसर्स हुआवेर्ड टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय का संदर्भ दिया है, जिसमें यह माना गया था कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा इस तरह से परिभ्राषित किया जाना चाहिए कि जिससे अपेक्षित उद्देश्य पूरा हो सके।

26. प्राधिकारी उत्पाद की प्रकृति और उत्पादन की प्रक्रिया को नोट करते हैं। यह नोट किया जाता है कि उत्पादक पहले कई सब असेंबली का उत्पादन करते हैं और उसके बाद उन्हें तैयार मशीन के साथ जोड़ा जाता है। सब असेंबली की असेंबली में शामिल प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया, संयंत्र और उपकरण, विनिर्माण कौशल, निवेश, जनशक्ति शामिल नहीं होती है। उत्पादन का मूल काम मशीनों को डिजाइन करना और कई सब असेंबली का निर्माण करना है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मशीनों को उपयोग- के लिए- तैयार पूरी तरह से असेंबल की गई मशीनों के रूप में अथवा एक या एक से अधिक पार्ट में और कई सब असेंबली के रूप में ले जाया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादकों ने (i) कम्पलीट नॉक डाउन (सीकेडी) (ii) सेमी नॉक डाउन (एस्केडी) (iii) सब असेंबली और (iv) तैयार मशीनों के निर्यातों की सूचना दी है।

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि "विचाराधीन उत्पाद" का दायरा जांच के उद्देश्य और प्रयोजन तथा प्रस्तावित उपायों पर सीधा प्रभाव डालता है। विचाराधीन उत्पाद का व्यापक दायरा होने से यह जांच के संचालन और इसलिए उपायों के कार्यान्वयन में संभावित जटिलताओं के अलावा भारतीय उद्योग के लिए अनावश्यक उपचार का कारण बन सकता है। साथ ही, विचाराधीन उत्पाद का संकीर्ण दायरा होने से यह घरेलू बाजार में क्षतिकारी पाटन को संबोधित करने के अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने में विफल हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद का संकीर्ण दायरा घरेलू उद्योग को अपेक्षित उपचार प्रदान नहीं कर सकता है और लागू किए गए उपायों से बचने के लिए आयातकों/ प्रयोक्ताओं द्वारा उपायों को अपनाए जाने के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो सकती है।

28. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत वस्तु है। यह आवश्यक नहीं है कि पूंजीगत वस्तुओं को पूरी तरह से असेंबल और उपयोग- के लिए- तैयार स्थिति में आयात किया जाए। बड़े आकार की मशीनों के लिए ऐसा करना संभव भी नहीं हो सकता है। लाने ले जाने में आसानी अथवा अन्य लॉजिस्टिक दृष्टि से, मशीनों को अन-असेंबल पाटर्स के रूप में आयात किया जा सकता है, जिन्हें आयात के बाद असेंबल किया जाता है। मशीन को एसकेडी रूप में आयात करने से तैयार उत्पाद की आवश्यक प्रकृति और विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं आता है। पूरी तरह से असेंबल की गई उपयोग- के लिए- तैयार मशीन और अन-असेम्बल की गई मशीन के बीच एकमात्र अंतर यही होता है कि उन्हें किस रूप में आयात किया जाता है।

29. किसी भी प्रयोक्ता के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो निर्मित उपयोग- के लिए- तैयार पूरी मशीन को आयात करे अथवा एसकेडी या सब असेंबली के रूप में मशीन को आयात करके उसे भारत में असेंबल करे। भौतिक सत्यापन किए जाते समय यह देखने में आया है कि मशीनों को पूरी तरह से असेंबल किए गए रूप में एकल वस्तु के रूप में शायद ही कभी भेजा जाता हो। इन्हें सब असेंबली के रूप में ले जाया जाता है और उसके बाद उपभोक्ता के स्थान पर ही असेंबल किया जाता है। प्रयोक्ताओं के लिए एसकेडी स्थिति में मशीन आयात करना और उसे उसकी फैक्ट्री में असेंबल करना भी संभव है। अतः आवेदकों द्वारा अन-असेम्बल या एसकेडी रूप में उत्पाद का आयात होने की आशंका एक आधारहीन दावा नहीं है।

30. यह देखने में आया है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में काफी संख्या में कंपोनेंट शामिल होते हैं। कंपोनेंट की संख्या 500 से कम और 1500 तक हो सकती है। तथापि, क्लैम्पिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट और मशीन बेस फ्रेम विचाराधीन उत्पाद का अभिन्न और आवश्यक अंग होता है। अन्य सब असेंबली में बैरल, केबल, स्ट्रेन रॉड, सिलेंडर, प्लेटेंस आदि जैसी वस्तुएं शामिल हैं। अन-असेंबल किए गए पाटर्स (जैसे क्लैम्पिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट और मशीन बेस) को एक पूरी मशीन में जोड़ना कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है और इसमें केवल पाटर्स को एक साथ जोड़ना शामिल होता है।

31. उत्पाद की प्रकृति, इसकी असेंबली में आसानी, परिवहन के तरीके, अन- असेंबल/ अर्ध-असेंबल रूप में इसकी विशिष्टताओं और समानता को बनाए रखने और प्रवर्चना की अधिक संभावना से संबंधित उपर्युक्त औचित्य पर विचार करते हुए, प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कम्पलीट नॉक डाउन

(सीकेडी) और सेमी- नॉक डाउन (एसकेडी) मशीनों और सब- असेंबली को शामिल करना उचित लगता है।

ख. सीकेडी और एसकेडी रूप में आयातों के संबंध में स्पष्टीकरण

32. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के दायरे का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने सीकेडी और एसकेडी के तात्पर्य के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है, अतः प्राधिकारी, जहां तक विचाराधीन उत्पाद के दायरे का संबंध है, इन शब्दों के अर्थ और व्याख्या को स्पष्ट करना उचित समझते हैं।

क. सेमी नॉक डाउन (एसकेडी) के रूप में आयातों से तात्पर्य है प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो अधूरी अर्थवा अर्ध तैयार अवस्था में है, पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के पार्ट्स के रूप में लेन देन की जाती है। ये पार्ट्स एक साथ फिट नहीं किए गए हैं और मशीन उपयोग- के लिए- तैयार नहीं है। एसकेडी रूप में आयातों से तात्पर्य विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी एसकेडी अर्थवा सब असेंबली के आयातों से होगा। इसके अलावा, स्क्रू और बैरल अर्थवा मशीन बेस फ्रेम अर्थवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के लिए फैब्रिकेशन फ्रेम/ कवर के साथ अर्थवा उसके बिना कम्पलीट क्लैम्पिंग/ क्लैप इकाई अर्थवा पूर्ण इंजेक्शन यूनिट का आयात विचाराधीन उत्पाद की आवश्यक सब असेंबली अर्थवा एसकेडी है और इसीलिए इन सब असेंबली अर्थवा एसकेडी का आयात विचाराधीन उत्पाद के दायरे में है।

ख. कम्पलीट नॉक डाउन (सीकेडी) से तात्पर्य है अपने कंपोनेट रूप में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन। ऐसे घटकों को एक साथ रखे जाने पर पूरी मशीन का आवश्यक स्वरूप होगा। सीकेडी रूप में आयातों से तात्पर्य विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी कंपोनेट के आयातों से होगा।

ग. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशिष्ट अपवर्जन

33. हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर नायलॉन केबल टाई मोल्डिंग मशीनों को बाहर करने की मांग की है कि भारतीय उद्योग द्वारा उनका उत्पादन नहीं किया जा रहा था। घरेलू उद्योग ने इनके संबंध में की गई बिक्री के लिए बिक्री चालान प्रदान किए हैं। अतः इन्हें जांच के दायरे से बाहर करना उचित नहीं माना जाता है।

34. निम्नलिखित उत्पादों को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:-

- क. उप शीर्ष 8477 30 04 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।
- ख. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।
- ग. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मशीनें जिनमें इंजेक्शन, मोल्डिंग क्लोजिंग, मोल्डिंग ओपनिंग, इंजेक्शन, स्क्रू ड्राइव आदि जैसे यांत्रिक मूवमेंट स्वतंत्र सर्वों मोटर्स द्वारा नियंत्रित होते हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली वाले होते हैं और हाइड्रोलिक यूनिट के बिना होते हैं।
- घ. फुटवियर बनाने के लिए मल्टी कलर/ मल्टी मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/ स्ट्रैप/ हील इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो उपशीर्ष 8453 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

- ड. सेकेंड हैंड/ प्रयोग की जा चुकी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें।
- च. ऊपर निर्दिष्ट के अलावा किसी भी स्टैंडअलोन पाटर्स/ घटकों का आयात।
- छ. क्लैंपिंग/क्लैंप यूनिट, स्क्रू और बैरल के साथ अथवा बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के अलावा किसी अन्य मशीन के उत्पादन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/ कवर का आयात।

घ. पीसीएन कार्यप्रणाली

35. हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 8 जुलाई 2024 की अधिसूचना के माध्यम से, वर्तमान जांच और प्रस्तावित निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया है।

36. हितबद्ध पक्षकारों ने पावर के प्रकार, मशीन की संरचना, सामग्री के प्रकार, क्लैंपिंग फोर्स, शॉट भार, टाई बार दूरी आदि के आधार पर पीसीएन को पीसीएन मापदंड के रूप में माना जाने का अनुरोध किया था।

37. यह देखने में आया कि इन उत्पादों के आयातों के संबंध में विगत पाटनरोधी जांच में भी इन मापदंडों के आधार पर पीसीएन के लिए अनुरोध किया गया था, जहां प्राधिकारी ने यह पाया : -

28. इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टाई बार के बीच की दूरी, अधिकतम मोल्ड मोटाई, क्लैंप स्टोक और इंजेक्शन शॉट भार जैसे मापदंड केवल डिज़ाइन मापदंड हैं और इसलिए ये दोनों उत्पादों को अलग नहीं बनाते हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के निर्यातक जांच के किसी भी चरण में ऐसे मापदंडों में अंतर को पर्याप्त साक्ष्यों के साथ निर्धारित करने में विफल रहे हैं। आयातित मशीन के कम भार के संबंध में, प्राधिकारी का यह मानना है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी जैसी मशीन में, भार कीमत निर्धारण मापदंड नहीं हो सकता है क्योंकि खरीदार अपेक्षित तकनीक और सुविधाओं के लिए भुगतान करते हैं न कि भार के लिए।

38. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने विगत जांच में भी विभिन्न पीसीएन के लिए दावों को खारिज कर दिया था। हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच में कोई नया तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं किया है।

39. पीसीएन मापदंड के रूप में शॉट भार के संबंध में, यह यह पाया गया था कि शॉट भार केवल मशीन द्वारा उत्पन्न किए गए आउटपुट के भार को निर्धारित करता है और विभिन्न शॉट भार मापदंड, लेकिन समान क्लैम्पिंग फोर्स के साथ विभिन्न प्रकार के विचाराधीन उत्पादों के उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक नहीं बनता है। यह समझा जाता है कि शॉट वेट और क्लैम्पिंग फोर्स अंतर संबद्ध मापदंड हैं और क्लैम्पिंग फोर्स को पहले से ही पीसीएन मापदंड के रूप में माना गया है। यह भी देखने में आया है कि विगत जांच में भी पीसीएन के रूप में शॉट भार के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था।

40. पीसीएन मापदंड के रूप में मशीन संरचना (दो प्लेटन-तीन प्लेटन) के संबंध में, यह देखा गया है कि ये शॉट वेट पर निर्भर करते हैं और उत्पादन की लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं हैं। जब शॉट भार स्वयं

पीसीएन के निर्धारण के लिए एक संगत कारक नहीं है, तो मशीन संरचना स्वयं पीसीएन मापदंड के निर्धारण के लिए आधार नहीं बनती है। यह देखने में आया है कि विगत जांच में पीसीएन के रूप में यांत्रिक संरचना के लिए अनुरोध भी किया गया था, लेकिन प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

41. जहां तक पीसीएन मापदंड के रूप में टाई बार दूरी का संबंध है, यह देखने में आया है कि टाई बार दूरी समान क्लैम्पिंग फोर्स वाले उत्पादों के भीतर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होती है। अकेले टाई बार दूरी का हिस्सा विचाराधीन उत्पाद की समग्र लागत में [***] से भी कम हिस्सा बनाता है। ऐसा होने पर, अलग-अलग टाई बार दूरी के कारण होने वाले परिवर्तन महत्वहीन होंगे।
42. यह देखा गया कि सीमा शुल्क डेटा में विचाराधीन उत्पाद के आयात विवरण में क्लैम्पिंग फोर्स के अलावा कोई अन्य विशिष्ट विशेषता नहीं है।
43. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए क्लैम्पिंग फोर्स पर एकमात्र संगत मापदंड के रूप में विचार किया।
44. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार परिभाषित करने का प्रस्ताव करते हैं :

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं, जिनमें क्लैम्पिंग फोर्स 40 टन से कम नहीं हो और 1500 टन से अधिक नहीं हो। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पूरी तरह से असेंबल, सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी), कम्पलीट नॉक्ड डाउन फॉर्म (सीकेडी), अथवा एसकेडी और सीकेडी के संयोजन में मशीनें शामिल हैं। दायरे को नीचे और भी स्पष्ट किया गया है -

- क. सेमी नॉक्ड डाउन अवस्था में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से होगा जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में लेन-देन की जाती है जिसमें पार्ट्स अथवा सब-असेंबली एक साथ फिट नहीं होती हैं और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है। सेमी नॉक्ड डाउन मशीन में सब-असेंबली भी शामिल होगी जैसे क्लैम्पिंग/ क्लैम्प यूनिट, स्क्रू और बैरल के साथ या उसके बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/ कवर।
- ख. कम्पलीट नॉक डाउन अवस्था में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य होगा प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो अपने अधूरे अथवा अर्ध तैयार रूप में हो, जिसे एक साथ रखे जाने पर उसमें पूरी मशीन

का आवश्यक स्वरूप हो, और जिसमें मशीनों को असेंबल करने के लिए आवश्यक सभी घटक शामिल हों।

45. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अलग-अलग क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों का उत्पादन करता है। घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मशीनें तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए समान वस्तुएं हैं। ये उत्पाद प्रकार अपनी क्लैम्पिंग फोर्स की श्रेणियों के भीतर परस्पर समान उत्पाद हैं। अलग-अलग क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों का उत्पादन एक ही विनिर्माण सुविधा का उपयोग करके समान जनशक्ति और समान कच्ची सामग्री के साथ किया जाता है। इस प्रकार उत्पादक अलग अलग क्लैम्पिंग फोर्स की मशीनों का उत्पादन कर सकते हैं और आसानी से एक प्रकार के उत्पादन से दूसरे प्रकार के उत्पादन पर स्विच कर सकते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. शिवौरा मशीन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और आवेदन में मिथ्या वर्णन और घोषणाएं की हैं कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

ख. शिवौरा मशीन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की एक संबद्ध कंपनी - शिवौरा मशीन (शंघाई) कंपनी लिमिटेड है। शिवौरा शंघाई ने भारत में अपनी संबद्ध कंपनी को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

ग. विनिर्माण से तात्पर्य है कुछ निर्माण करने अथवा असेंबल करने की प्रक्रिया, विशेष रूप से किसी फैक्ट्री में। इस प्रकार, जो निर्माता पार्ट्स/ कंपोनेंट को असेंबल कर रहे हैं और अंतिम उत्पाद तैयार रहे हैं, उन्हें विनिर्माता माना जाएगा।

घ. हैतियन या तो भारत में या अन्य भारतीय विनिर्माताओं/ विक्रेताओं से मशीनों के प्रमुख कंपोनेंट का उत्पादन अथवा खरीद कर रहा है।

इ. यह कथन कि हैतियन हर माह 100 मशीनें आयात करता है और उन्हें भारतीय बाजार में बेचता है, गलत और निराधार है। हैतियन भारत में 70-80 % मशीनों का निर्माण कर रहा है और केवल विशिष्ट मशीनों का आयात कर रहा है, जो भारत में उत्पादित नहीं हैं।

च. भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग केवल सीमित उत्पादकों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो आवेदन की पूर्णता और निष्पक्षता पर चिंता उत्पन्न करता है।

छ. ऐसे कई अन्य उत्पादक हैं जो चीन से कुछ पार्ट्स/ कंपोनेंट का आयात कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की तरह भारत में कुछ पार्ट्स को खरीदकर यहां मूल्य वर्धन कर रहे हैं।

ज. जब अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्व-आयात संबंधी चिंताएं व्यक्त की थी, तो घरेलू उद्योग ने चुनिंदा रूप से कुछ असेंबली को बाहर रखा, जिसका तात्पर्य यह था कि केवल वे ही दायरे में थीं। घरेलू उद्योग ने इन पहचानी गई असेंबली का आयात किया है।

झ. आवेदकों को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने यह प्रकटन नहीं किया कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

ञ. समर्थन पत्रों के माध्यम से अन्य उत्पादकों द्वारा दायर की गई सूचना के लिए अन्य उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई सूचना के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

ट. घरेलू उद्योग बाजार में केवल पूर्ण मशीनों का उत्पादन और बिक्री कर रहा है और कंपोनेट को नहीं बेच रहा है। आश्वर्यजनक रूप से, वे उत्पादक जो व्यापारिक बाजार में घटकों का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राधिकारी के पास कोई बिक्री कीमत, कोई लागत और कोई एनआईपी उपलब्ध नहीं होगा।

ठ. घरेलू उद्योग द्वारा पहचाने गए 19 अन्य उत्पादकों के अलावा कम से कम 10 अन्य उत्पादक हैं। डीजीटीआर को यह जांच करनी चाहिए कि क्या पाटनरोधी करार के तहत घरेलू उद्योग का भारत में कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा शामिल हैं।

घ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

47. आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. वर्तमान आवेदन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएआई) द्वारा दाखिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड, मिलक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिवौरा मशीन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड ने संगत डेटा प्रदान किया है।

ख. भाग लेने वाले उत्पादकों ने पूरी तरह से असेंबल की गई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, एसकेडी/सीकेडी रूप में मशीनों का आयात नहीं किया है।

ग. अन्य उत्पादकों अर्थात् अविन्या मशीनरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, घनश्याम इंजीनियरिंग कंपनी, जेएच-वेलटेक मशीन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मून मशीनरी ई. पॉलीमेरप्लास्ट मशीन्स लिमिटेड, पार्थ इंजीनियरिंग वर्क्स, सुपरमैक मशीनरी और स्विफ्ट ऑक्सी टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है।

घ. भाग लेने वाले उत्पादक संबद्ध देशों में किसी भी उत्पादक अथवा भारत में उत्पाद के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। भाग लेने वाले उत्पादकों की भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सेदारी शामिल है।

ङ. हैतियन प्लास्टिक मशीनरी ग्रुप भारत में उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातिक है और 2000 से निर्यात कर रहा है। जब 2005 में पाटनरोधी उपाय लागू किए गए थे, तो कंपनी ने अपने निर्यात को कम कर दिया था और भारत में एक असेंबली यूनिट शुरू की थी, जो एसकेडी रूप में मशीनों का आयात करती थी, उन्हें असेंबल करती थी और भारतीय उपभोक्ताओं को आपूर्ति करती थी।

च. जब वर्ष 2021 में उपाय समाप्त हो गए, तो हैतियन प्लास्टिक मशीनरी ग्रुप ने अपने असेंबली के प्रचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया और पूर्ण मशीनों का आयात करना शुरू कर दिया। हैतियन ने जांच की अवधि के दौरान उत्पाद को पूरी तरह से असेंबल और सीकेडी/ एसकेडी स्थिति में आयात किया है।

छ. हैतियन को उसके असेंबली प्रचालन के कारण घरेलू उत्पादक के रूप में दर्शाया गया था, जो वर्ष 2021 के बाद ही बंद हुआ। आवेदकों ने घरेलू उत्पादन का पता लगाने में हैतियन पर विचार नहीं किया है। हैतियन को उसके आयातों की मात्रा के आधार पर एक आयातक के रूप में माना जाना चाहिए न कि एक उत्पादक के रूप में।

ज. शिवौरा मशीन (शंघाई) कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद की एक उत्पादक नहीं है। वह सभी इलेक्ट्रिक मशीनें बनाते हैं जो उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

झ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में 93 उत्पादक हैं, हितबद्ध पक्षकारों ने इन 93 उत्पादकों के नाम और पते, क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्लैम्पिंग फोर्स के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

अ. नियमों के तहत आधार का निर्धारण उत्पादन से होता है, न कि उत्पादकों की संख्या से होता है। हितबद्ध पक्षकार ने यह नहीं दर्शाया है कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं है। अन्य उत्पादकों में से अधिकांश 40 टन से कम क्लैम्पिंग फोर्स की छोटी मशीनें बनाते हैं।

ट. सबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों से तात्पर्य है कि वे मशीनों अथवा संबद्ध वस्तुओं का भाग बनने वाली सब असेंबली के उत्पादन में शामिल हैं अथवा नहीं, उन्हें उत्पादक माना जाना आवश्यक है। तथापि, अगर किसी कंपनी ने एक या अधिक सब असेंबली का उत्पादन किया है और उसे मशीन निर्माता को आपूर्ति की है, तो मात्रा की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे दोहरी गणना हो जाएगी।

ठ. हैतियन इंडिया भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक रीसेलर और व्यापारी है। आयात संबंधी डेटा से यह पता चलता है कि हैतियन ने जांच की अवधि में करीब 900 प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों का आयात किया है।

ड. जांच शुरूआत अधिसूचना के बावजूद, हैतियन ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। यद्यपि प्राधिकारी हैतियन को अन्य भारतीय उत्पादकों के रूप में मानते हैं, लेकिन हैतियन ने अपने उत्पादन के बारे में सूचना प्रदान नहीं की है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और नीचे उनका समाधान किया गया है।

49. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-
 “(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक

कथित पाटित वस्तु के निर्यातिकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।”

50. यह आवेदन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएमएआई) द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदन विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की ओर से दाखिल किया गया था। इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड, मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड ने वर्तमान जांच से संबंधित सूचना प्रदान की है और विशेष रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 57% है।

51. प्राधिकारी को अविन्या मशीनरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, घनश्याम इंजीनियरिंग कंपनी, जेएच-वेलटेक मशीन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मून मशीनरी, पॉलीमेचप्लास्ट मशीन्स लिमिटेड, पार्थ इंजीनियरिंग वर्क्स, सुपरमैक मशीनरी और स्विफ्ट ऑक्सी टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड से वर्तमान आवेदन का समर्थन करने के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं।

52. इस तर्क के संबंध में कि शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शिबौरा मशीन (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन से संबंधित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शिबौरा मशीन (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन सभी विद्युत मशीनों का निर्माता है। घरेलू उद्योग ने इस संस्था द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में सूचना प्रदान की है। यह देखने में आया है कि उत्पादक ने इलैक्ट्रिक मशीनों का निर्यात किया है जो वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना है।

53. इस संबंध में कि शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात किया है, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात संबंधी आंकड़ों का सत्यापन किया है और यह पाया है कि शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया है। इन संस्थाओं ने ऐसे घटकों का आयात किया है जो विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं हैं।

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि हैतियन इंडिया एक आयातक नहीं है बल्कि यह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है, अतः यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रतिवादी पक्षकार ने कोई आनुभविक सूचना प्रदान नहीं की है और अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य भी नहीं प्रदान किए गए हैं। हैतियन इंडिया को सूचना भेजी गई थी जिसमें उनसे उत्पादित मशीनों के उत्पादन और बिक्री का विवरण, आयातों का बिल-वार विवरण, स्थापित संयंत्रों और मशीनरी का विवरण आदि जैसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तथापि, हैतियन इंडिया ने मांगी गई सूचना का उत्तर नहीं दिया है। चूंकि वे कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे, अतः प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सके।

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अधिक घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी के संबंध में दिए गए तर्क के संबंध में, प्राधिकारी का यह मानना है कि आधार का निर्धारण करने की कानूनी आवश्यकता उत्पादन की मात्रा पर

आधारित है, न कि उत्पादकों की संख्या पर। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख भाग नहीं है अथवा याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के साथ पठित नियम 5 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं, अतः प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया है।

56. आवेदक भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातिक से संबद्ध नहीं हैं और उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। नीचे दी गई तालिका में कुल भारतीय उत्पादन में भाग लेने वाले उत्पादकों का हिस्सा दर्शाया गया है :

| क्र. सं. | विवरण | यूओएम | अक्टू. 22 से सित. 23 |
|----------|------------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | भाग लेने वाले उत्पादकों का उत्पादन | संख्या | 3,895 |
| 2 | अन्य भारतीय उत्पादक | संख्या | 2,925 |
| 3 | कुल भारतीय उत्पादन | संख्या | 6,820 |
| | प्रतिशत में हिस्सा | | |
| 4 | आवेदक | % | 57.11 |
| 5 | अन्य भारतीय उत्पादक | % | 42.89 |

57. अतः रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से "घरेलू उद्योग" हैं और यह विचार करने का प्रस्ताव करते हैं कि यह आवेदन नियम 5 के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता और विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

58. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदकों ने व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन किया है। वे उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग प्रतिशत, बिक्री मात्रा, बिक्री कीमत, कर्मचारियों की संख्या, प्रति दिन उत्पादकता, वस्तुसूची, अनुसंधान और विकास व्यय, पीबीआईटी, व्याज/ वित्त लागत, मूल्यह्रास के संबंध में वास्तविक सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं।

ख. आवेदक व्यापार उपचार जांचों के स्वभाविक प्रयोक्ता हैं। उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठाया है। शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं है। संबद्ध देश से आयात में कमी आई है और इससे आवेदकों को कोई क्षति नहीं हो रही है।

ग. पाटनरोधी शुल्कों के माध्यम से 13 वर्षों से भी अधिक समय तक संरक्षण रहने के बावजूद, ये घरेलू उत्पादक बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहे हैं, जो इन उपायों पर निर्भरता को दर्शाता है।

घ. हैतियन वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार है क्योंकि प्राधिकारी ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 को ईमेल के माध्यम से संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया है। पहला ईमेल हैतियन को भेजा गया था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने स्वयं ही हैतियन हुआयुआन मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लिए अन्य भारतीय उत्पादकों के रूप में उल्लेख किया है।

ङ. घरेलू उद्योग पूर्वव्यापी शुल्क लगाने का मामला बनाने में विफल रहा है।

च. प्राधिकारी द्वारा विचार में ली गई जांच की अवधि अनुपयुक्त है और यह बाजार की स्थितियों का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आधार वर्ष कोविड 19 से प्रभावित है और वर्ष 2021-22 में लॉकडाउन और महत्वपूर्ण बाजार संबंधी व्यवधान थे। वर्ष 2022-23 आयातों में तेजी के बजाय आयातों में वृद्धि के साथ सामान्य स्थिति में वापसी को दर्शाता है।

छ. एआईपीएमए ने दिनांक 9 अप्रैल 2024 के पत्र के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों के रूप में विधिवत पंजीकरण किया है। नियम 6 (4) के तहत, प्राधिकारी सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तथापि, एआईपीएमए से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था, जो यह दर्शाता है कि हमने घरेलू उद्योग के आरोपों के विपरीत, अपने दायित्वों की उपेक्षा नहीं की है।

ज. एआईपीएमए, सीपीआईएमए ने एक उद्योग एसोसिएशन के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसने सुनवाई के दौरान और दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को लिखित अनुरोधों के रूप में तर्क प्रस्तुत किए। एआईपीएमए और सीपीआईएमए को पूर्व की जांचों में जैसे चीन जन. गण. से "60 डेनियर से अधिक के विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न" के संबंध में दिनांक 9 अगस्त 2021 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/26/2020- डीजीटीआर मामले में मान्यता दी गई है।

झ. एआईपीएमए और सीपीआईएमए के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है, जबकि वे आवेदक एसोसिएशन के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं। ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज मैनुअल पर संदर्भ दिया गया है।

ड.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

59. आवेदकों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं : -

क. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में विलंब से अनुरोध किए गए हैं। प्राधिकारी ने जांच आरंभ अधिसूचना में यह बताया है कि आवेदन के एनसीवी को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर टिप्पणियां की जानी चाहिए।

ख. व्यापार सूचना 10/2018 में वास्तविक आधार पर बिक्री कीमत और लाभप्रदता के संबंध में सूचना की आवश्यकता है। तथापि, वास्तविक आधार पर सूचना के प्रकटीकरण से कीमत और लागत की ऐसी सूचना का प्रकटीकरण हो सकता है जो संवेदनशील प्रकृति की है।

ग. सीपीएमआईए, एआईपीएमए और ओपीपीआई नियम 6 और 7 के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन करने में विफल रहे हैं, जिससे वे वर्तमान जांच में खुद को हितबद्ध पक्षकार के रूप में

स्थापित करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार संगत प्रश्नावली का उत्तर देने में विफल रहे हैं।

घ. सीपीएमआईए चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों को समर्पित एक एसोसिएशन नहीं है। 28 उत्पादकों/ निर्यातकों में से केवल चेन डे प्लास्टिक मशीनरी ने वर्तमान जांच में भाग लिया है।

इ. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, पाटनरोधी नियम और डब्ल्यूटीओ एडीए के तहत घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अनुचित आयातों के खिलाफ व्यापार उपचार उपायों का अनुरोध किए जाने की अनुमति है। इस संबंध में कोई सीमा नहीं है कि उद्योग कितनी बार उपायों की मांग की जा सकती है।

ज. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की अवधि में मांग में सुधार आया है और कोई तेजी नहीं है, कोविड के बाद की मांग के भारतीय उद्योग के बजाय चीन की ओर स्थानांतरित होने का कोई औचित्य नहीं है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान आयातों में वृद्धि यह प्रमाणित करती है कि कोविड के कारण आयात बंद नहीं हुए हैं।

झ. इसके अलावा, चीन के उत्पादकों ने मशीनों को डिलीवर करने में करीब 1 वर्ष का समय लिया है। डिलीवर करने में हुआ यह विलंब उनके त्वरित लीड टाइम के दावों का खंडन करता है। मांग में वृद्धि होने के बावजूद, भारतीय उद्योग क समक्ष घरेलू बिक्री में गिरावट देखने में आई, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इसका कारण आयातों का होना है।

ज. भारतीय उद्योग का उत्पाद प्रोफाइल क्षति अवधि के दौरान समान रहा है, जिसमें छोटी मशीनों को बड़ी मशीनों की तुलना में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि आवेदक को बिक्री की मात्रा की हानि हुई है, क्योंकि सकल घरेलू बिक्री पर लाभ में तेजी से गिरावट आई है।

झ. हैतियन व्यापार सूचना 11/2018 के अनुसार पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराने में विफल रहे हैं। अतः हैतियन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे यहां तक कि पंजीकृत भी नहीं हैं।

ड.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

60. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

61. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमों के नियम 7 में प्रावधान इस प्रकार हैं:

“गोपनीय सूचना – (1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) एवं (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) तथा नियम 17 के उप नियम (4) में किसी भी बात के होते हुए भी नियम 5 के उप नियम (1) के प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ या जाँच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त कोई अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं जाएगी और यदि ऐसी सूचना यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले

पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(3) उप नियम (2) की किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी को यह विश्वास है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"

62. गोपनीयता के संबंध में आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों के लिए, जहां तक संगत पाया गया, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और तदनुसार उनका समाधान किया गया है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं भी आवश्यक था, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीयता के आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।
63. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का एक स्वभाविक प्रयोक्ता है और 10 वर्षों से भी अधिक समय से पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठा रहा है, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं से निवारण की मांग करने की घरेलू उद्योग द्वारा संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है अथवा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिशें प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद और अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही की जाती हैं।
64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीपीएमआईए ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उन उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, जिन्होंने सीपीएमआईए को इस जांच में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा, सीपीएमआईए, एआईपीएमए और ओपीपीआई ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल अपने सदस्यों की सूची प्रस्तुत नहीं की है। एआईपीएमए और ओपीपीआई ने प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराए हैं। एआईपीएमए और ओपीपीआई के किसी भी सदस्य ने निर्धारित फार्मेट में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि इन एसोसिएशनों द्वारा किए गए विधिक अनुरोधों पर वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है, लेकिन एसोसिएशनों के सदस्य असहयोगी हैं और एसोसिएशनों ने पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और अपने सदस्यों पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के निर्धारण के लिए संगत सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
65. जांच की अवधि की उपयुक्तता और कोविड के बाद की स्थिति के सामान्य होने के कारण आयातों में वृद्धि के संबंध में अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि देखने में आई है। यद्यपि आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आई है,

लेकिन घरेलू उद्योग की बिक्रियों के लिए यह अच्छी नहीं पाई गई है। अतः प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गए अनुरोध

66. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश पर प्रोटोकॉल के संगत प्रावधान वर्ष 2016 में समाप्त हो गए और चीन को अब गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता।
- ख. ताइवान को चीन का सरोगेट देश माना जा सकता है। मशीनरी के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण ताइवान के सहकारी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए।

च.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध।

67. आवेदकों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. निर्यातकों को यह सिद्ध करना था कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहे थे। हालांकि, चीन के किसी भी उत्पादक ने एमईटी के लिए आवेदन नहीं किया है। इसलिए, एमईटी की अनुपस्थिति में, सामान्य मूल्य भारत में देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. फू चुन शिन (रिंगबो) मशीनरी मैन्यूफैक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 400% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को किए गए निर्यात और घरेलू बिक्री में तेजी से गिरावट आई।
- ग. चेन हसोंग मशीनरी (शेन्जेन) कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 300% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यात में केवल 3% की वृद्धि हुई तथा घरेलू बिक्री में तीव्र गिरावट आई।
- घ. फोशान शुंडे चेन डे प्रिसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात में जांच अवधि में 15 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यात में केवल 1% की वृद्धि हुई और घरेलू बिक्री में केवल 10% की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में भारत को निर्यात बिक्री में 32% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यात बिक्री में केवल 4% की वृद्धि हुई।
- ड. यिजुमी मशीनरी (सूज़ौ) कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 383% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यात और घरेलू बिक्री में क्रमशः 27% और 15% की गिरावट आई।

च. एंगेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, एंगेल मशीनरी (चांगज़ौ) कंपनी लिमिटेड और हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर अधूरे हैं क्योंकि उन्होंने परिशिष्ट 6-10 दायर नहीं किया है। उन्हें गैर सहयोगी माना जाना चाहिए और उन्हें अलग अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए।

छ. प्राधिकारी संबद्ध देशों का हिस्सा बनने वाले किसी देश को सरोगेट देश नहीं मानते हैं।

ज. ताइवान उत्पादक के आंकड़ों के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में, ताइवान का उत्पाद प्रोफाइल चीन की तुलना में बहुत सीमित है। यहां तक कि जहां ताइवान से कुछ उत्पाद आयात होते हैं, वहाँ इन पीसीएन में आयात की मात्रा चीन से आयात की तुलना में अत्यधिक कम है।

झ. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शने के लिए कि ताइवान चीन के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की है। जांच में चीन के उत्पादकों के भाग लेने के बावजूद, क्षमता, मांग, विकास के स्तर के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच।

68. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया गया है:

- चेन ह्सोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चीन
- चेन ह्सोंग मशीनरी (शेनज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चीन
- चेन ह्सोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीन
- चेन ह्सोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेनज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चीन
- डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी विनिर्माण कंपनी लिमिटेड, चीन।
- एंगेल मशीनरी (चांगज़ौ) कंपनी लिमिटेड, चीन।
- एंगेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन
- फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीन
- फोशान शुंडे चेन डे प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीन
- फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कंपनी लिमिटेड, चीन
- यिजुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन
- यिजुमी प्रिसिजन मशीनरी (एचके) कंपनी लिमिटेड, चीन
- यिजुमी प्रिसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कंपनी लिमिटेड, चीन
- यिजुमी प्रिसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन
- एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड, ताइवान
- चेन ह्सोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान
- हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड, ताइवान

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

क. चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य

69. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-*VI*, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-*VI* का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-*VI* और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग *II*, *III* और *V* के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

70. आवेदकों ने चीन के एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ अनुबंध I के पैरा 7 पर विश्वास किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण में उत्पादकों को यह दर्शने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदकों द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और मूल्य जानकारी बाजार द्वारा संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुलग्नक- I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

71. यह नोट किया गया है कि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटन-रोधी समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान को, नियम के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया है कि चूंकि चीन जन.गण के उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य गणना नियमों के अनुलग्नक I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

72. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के अनुलग्नक- I के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तवित रूप से संदर्भ अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया

जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी। ”

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने ताइवान को सरोगेट बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में विचार करने का सुझाव दिया है, इसने इस संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है कि ताइवान किस तरह से एक उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, विशेषकर जब ताइवान भी जांच के अधीन है। किसी तीसरे देश में उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था का चयन केवल उस देश और संबंधित उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की है, और इसके अलावा चूंकि ताइवान जांच के अधीन है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद के घरेलू मूल्य, निर्मित मूल्य अथवा निर्यात मूल्य के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर उपर्युक्त देश का चयन करना आवश्यक है। चूंकि न तो घरेलू उद्योग और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रदान की है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। अतः, चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत, विक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद किया गया है। इसके अलावा, विचार किए गए पीसीएन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

चीन जन.गण के लिए निर्यात मूल्य

क. चीन से चेन हसोंग ग्रुप

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूह की सात कंपनियों ने प्रतिक्रिया दायर कर दिया है।

क. फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्रिसिज़न मशीनरी कं, लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कं, लिमिटेड और चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कं, लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के चार उत्पादक हैं।

ख. चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड और चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड उत्पाद समूह के दो निर्यातक हैं।

ग. चेन हसोंग मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबंधित इकाई है जिसने भी प्रतिक्रिया दायर की है।

76. प्रश्नावली के प्रतिक्रिया से यह पाया गया है कि केवल चेन हसोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कं., लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक्स मशीनरी कं., लिमिटेड और फोशान शुंडे चेन डे प्रिसिजन मशीनरी कं., लिमिटेड ने ही भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।

77. यह पाया गया है कि निर्माता ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मशीनें रिपोर्ट की हैं।

78. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, ऋण लागत और अन्य कटौतियों के खातों में समायोजन का दावा किया है, ताकि कारखाना स्तर पर निर्यात मूल्य का पीसीएन-वार भार औसत निकाला जा सके। दावा किए गए समायोजन को स्वीकृत कर दिया गया है। निर्यात मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में नीचे किया गया है।

ख. यिजुमी ग्रुप

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूह की छह कंपनियों ने प्रतियुत्तर दायर कर दिया है।

- क. यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं., लिमिटेड,
- ख. यिजुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ग. यिजुमी प्रेसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड,
- घ. यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कंपनी, लिमिटेड
- ड. यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,

80. यह पाया गया है कि निर्माता ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मशीनें रिपोर्ट की हैं। विनिर्माता ने सीधे भारतीय ग्राहकों को बेचा है और साथ ही अन्य देशों में अपने संबंधित निर्यातकों और भारत में संबंधित आयातकों के माध्यम से निर्यात किया है।

81. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात-कारखाना स्तर पर निर्यात मूल्य के पीसीएन-वार भार औसत पर पहुंचने के लिए समुद्री माल हुलाई, बीमा, ऋण लागत और अन्य कटौतियों के खातों पर समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन को स्वीकृत कर दिया गया है। यह पाया गया है कि भारत में संबंधित आयातक ने हानि में बिक्री की है। प्राधिकारी की निरंतर परिपाठियों को ध्यान में रखते हुए, हानि और बिक्री, प्रशासनिक और सामान्य व्यय को शुद्ध निर्यात मूल्य में समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य को नीचे दिया गया है।

ग. फू चुन ग्रुप

82. प्राधिकारी ने नोट किया कि समूह की छह कंपनियों ने प्रतियुत्तर दायर कर दिया है।

- क. फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं., लिमिटेड
- ख. डोंगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी विनिर्माण कं., लिमिटेड,
- ग. एफसीएस मैन्युफैक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, भारत।

83. यह पाया गया है कि विनिर्माता ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मर्शीनें रिपोर्ट की हैं। निर्माता ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय उपभोक्ताओं के साथ-साथ भारत में संबंधित आयातकों के माध्यम से भी मर्शीनें की बिक्री की हैं।

84. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात-कारखाना स्तर पर निर्यात मूल्य के पीसीएन-वार भार औसत पर पहुंचने के लिए समुद्री माल भाड़ा, बीमा, क्रृष्ण लागत और अन्य कटौतियों के खातों पर समायोजन का दावा किया है। दावा किए गया समायोजन स्वीकृत कर दिया गया है। यह देखा गया है कि भारत में संबंधित आयातक ने हानि में बिक्री की है। प्राधिकारी की निरंतर परिपाठियों को देखते हुए, हानि और बिक्री, प्रशासनिक और सामान्य व्यय को शुद्ध निर्यात मूल्य में समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दिया गया है।

घ. हस्की इंजेक्शन मोलिंडिंग सिस्टम्स शंघाई लिमिटेड

85. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि हस्की इंजेक्शन मोलिंडिंग सिस्टम्स शंघाई लिमिटेड ने संबंधित उत्पादकों, हस्की इंजेक्शन मोलिंडिंग सिस्टम्स एसए और हस्की कनाडा के साथ वर्तमान जांच में भाग लिया है।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का प्रतियुत्तर देने में विलंब हुई। उत्पादक को निम्नलिखित जानकारी देते हुए एक संदेश भेजा गया:

यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपरोक्त संबंध पर दिनांक 17.08.2024 तक संबंधित ईक्यूआर/आईक्यूआर/यूक्यूआर/ईआईक्यू दायर करने का समय दिया था। आपका प्रतियुत्तर दिनांक 18.08.2024 को प्राप्त हुआ; तदनुसार, प्राधिकारी ने आपके प्रतियुत्तरों को समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ मान लिया है और आपके प्रतियुत्तरों को स्वीकार नहीं किया है।

87. विनिर्माता ने उपरोक्त नोटिस प्राप्त करने के बाद प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया। विलंब से प्रस्तुति को से अनुरोध करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद, निर्माता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। डब्ल्यू.पी(सी) 1378/2025 और सीएमएपीपीए.6731-33/2025 के निर्णय में, माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

9. तदनुसार, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, प्रश्नावली के प्रतियुत्तर को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया जाता है। यदि इसे दायर करने में कोई विलंब हुई है, तो उसे माफ किया जाता है। जांच अवधि के अनुसार होगी।

88. प्रारंभिक अधिसूचना में, भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

सभी संचार ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

89. हस्की ग्रुप ने केवल पीडीएफ प्रारूप में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 10 के लिए कोई एक्सेल फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है।
90. प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद, चीन की हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। निर्माता ने इस आधार पर प्रकटीकरण विवरण को चुनौती दी कि दायर सामग्री का सत्यापन कानून के अनुसार नहीं किया गया है।
91. हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड को 21 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था। निर्माता ने तब से निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। इसलिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर, निर्माता द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई है।
92. हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया है, लेकिन यह स्थापित नहीं किया है कि यह चीन में स्थित होने के कारण किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। यह ध्यान दिया जाता है कि निर्यातिक द्वारा प्रदान की गई जानकारी निर्णायिक रूप से यह स्थापित नहीं करती है कि कीमतों, लागतों और इनपुट के बारे में कंपनी के निर्णय, जिसमें आउटपुट, बिक्री और निवेश की लागत शामिल है, आपूर्ति और मांग को दर्शने वाले बाजार संकेतों के जवाब में और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं। इसलिए, प्राधिकरण निर्माता को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रदान करना उचित नहीं पाता है।
93. यह देखा गया है कि उत्पादक ने चीन से भारत को *** मशीनों के निर्यात की सूचना दी है। उत्पादक ने निर्यात मूल्य के पीसीएन-वार भार औसत पर पहुंचने के लिए समुद्री माल, अंतर्रेशीय परिवहन, बीमा और ऋण लागत को समायोजन के रूप में दावा किया है। दावा किया गया समायोजन स्वीकृत किया गया है। निर्यात मूल्य का उल्लेख डंपिंग मार्जिन तालिका में नीचे किया गया है।

इ. एंगेल मशीनरी (शंघाई) कं, लिमिटेड

94. यह देखा गया कि परिशिष्ट 3 ए में बताए गए लेन-देन उत्पादक द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद की पहचान करने की अनुमति नहीं देते हैं। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि निर्यात किया गया उत्पाद विचाराधीन उत्पाद था या विचाराधीन गैर-उत्पाद। इसके अतिरिक्त, उत्पादक इन लेन-देन को उचित पीसीएन निर्दिष्ट करने में विफल रहा। यह भी देखा गया कि लेन-देन या तो एफओबी या सीआईएफ स्तर

पर थे, किंतु घरेलू बीमा, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। जबकि उत्पादक ने डिलीवरी की शर्तें प्रदान की हैं, यह देखा गया है कि क्रेडिट लागत का कोई समायोजन प्रदान नहीं किया गया है। उत्पादक ने निर्यात मूल्य गणना में दावा किए गए समायोजन के लिए बैकअप दस्तावेज़ भी प्रदान नहीं किए हैं।

95. प्रारंभिक अधिसूचना में, भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

सभी पत्राचार ईमेल पते *jd12-dgtr@gov.in* और *ad12-dgtr@gov.in* पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति *adv11-dgtr@gov.in* पर भी भेजि जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

96. एंजेल मशीनरी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने केवल पीडीएफ प्रारूप में अपना प्रतियुत्तर प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 10 के लिए कोई एक्सेल फ़ाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रतियुत्तर में अलग-अलग पाटन मार्जिन के उचित आकलन के लिए पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी गई है। तदनुसार, प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव करते हैं।

ii. सामान्य मूल्य और ताइवान से निर्यात मूल्य

i. चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड

97. प्राधिकारी ने नोट किया कि समूह की तीन कंपनियों ने प्रतियुत्तर दायर कर दिया है।

क. चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड

ख. एशियाई प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड

ग. चेन हसोंग मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

98. यह पाया गया है कि विनिर्माता ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मशीनें बेची हैं। विनिर्माता ने सीधे भारतीय ग्राहकों के साथ-साथ भारत में संबंधित आयातकों के माध्यम से भी मशीनें बेची हैं।

99. यह नोट किया गया है कि घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबंद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य कार्य आयोजित किया। यदि लाभ अर्जित करने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर विचार किया है। जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। व्यापार परीक्षण के सामान्य क्रम के

आधार पर, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही लिया गया है, क्योंकि लाभदायक बिक्री 80% से कम थी।

100. उत्पादक ने अंतर्रेशीय परिवहन, क्रृष्ण लागत और कमीशन के समायोजन का दावा किया है। तदनुसार, चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान के लिए सामान्य मूल्य का पीसीएन-वार भार औसत निर्धारित किया गया है, और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।
101. प्रतिक्रिया से नोट किया गया है कि चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान ने घरेलू बाजार में असंबंध ग्राहकों को ***मशीनें बेची हैं। निर्माता/निर्यातक ने निर्यात मूल्य के पीसीएन-वार भार औसत पर पहुंचने के लिए अंतर्रेशीय परिवहन और एफसीएल शुल्क के खातों पर समायोजन का दावा किया है, जो कि एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निर्धारित किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है:
- ii. हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कं. लिमिटेड
102. प्रारंभिक अधिसूचना में, भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

सभी पत्राचार ईमेल पते *jd12-dgtr@gov.in* और *ad12-dgtr@gov.in* पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति *adv11-dgtr@gov.in* पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजे जाने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

103. हुआरोंग प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड ने केवल पीडीएफ प्रारूप में अपना प्रतियुक्तर प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 10 के लिए कोई एक्सेल फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है।
104. यह पाया गया कि उत्पादक परिशिष्ट 3ए और परिशिष्ट 4ए में बताए गए इन लेन-देन को उचित पीसीएन विनिर्दिष्ट करने में विफल रहा। जबकि भुगतान शर्तों में क्रेडिट अवधि दिखाई गई है, फिर भी कोई क्रेडिट लागत रिपोर्ट नहीं की गई है। उत्पादक ने दावा किए गए समायोजन के लिए कोई बैकअप दस्तावेज़ प्रदान नहीं किया है। प्राधिकारी ने पाया कि उत्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया में अलग-अलग पाटन मार्जिन के उचित मूल्यांकन के लिए पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी गई है। तदनुसार, प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव करता है।

पाटन मार्जिन तालिका

| क्र.सं. | निर्माता | सामान्य मूल्य | निर्यात मूल्य | पाटन मार्जिन | | |
|---------|--|------------------------|------------------|--------------|-------|-----------|
| | | प्रति मशीन अमरीकी डालर | % | (श्रेणी) | | |
| क | चीन | | | | | |
| 1 | डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड और फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 40-50% |
| 2 | चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्जेन) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (शेन्जेन) कंपनी लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 40-50% |
| 3 | यिज़ुमी प्रेसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं, लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 55-65% |
| 4 | हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड, चीन | *** | *** | (***) | (***) | नकारात्मक |
| 5 | कोई अन्य उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 60-70% |
| ख. | ताइवान | | | | | |
| 1 | चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 40-50% |
| 2 | हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड | *** | *** | (***) | (***) | नकारात्मक |
| 3 | कोई और | *** | *** | *** | *** | 50-60% |

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

छ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. भारत में मांग-आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। घरेलू उद्योग केवल 5,100 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है, जबकि मांग 7,956 इकाइयों की है, वास्तविक उत्पादन केवल 3,896 इकाइयों का है।

ख. क्षमता अथवा उत्पादन स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि के बिना व्याज लागत और मूल्यह्रास व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ग. इसका कोई मात्रा प्रभाव नहीं है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात में न्यूनतम वृद्धि है तथा यह भारत में समग्र मांग वृद्धि से संचालित है।

घ. कीमतों में कमी, कटौती या कम कीमत पर बिक्री का कोई दावा नहीं है। लाभ में मामूली गिरावट के साथ आयात कीमतों में वृद्धि हुई है।

ड. मांग में 38% की वृद्धि हुई है, तथा घरेलू उद्योग की बिक्री में 21% वृद्धि हुई है।

च. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि आधार वर्ष से भी अधिक है।

छ. आवेदकों के विक्रय मूल्य में वृद्धि, विक्रय लागत और आयात के विक्रय मूल्य में वृद्धि से अधिक है।

ज. नियोजित पूंजी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके बावजूद, रिटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि आवेदकों को बहुत उच्च दर का रिटर्न मिला है।

झ. आवेदकों ने व्यापारिक बाजार में घटकों का उत्पादन और बिक्री करने वाली कंपनियों की जानकारी दिए बिना अपने दावे में घटकों को शामिल किया है। चूंकि इन कंपनियों ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए आवेदक ने घटकों पर क्षति का दावा कैसे किया, यह स्पष्ट नहीं है।

ञ. पाइपलाइन में कोविड के बाद के ऑर्डर के कारण संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

ट. आवेदक का यह दावा कि वर्ष 2020-21 के साथ आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की तुलना उचित नहीं होगी, को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह बिना किसी औचित्य और साक्ष्य के किया गया है।

ठ. घरेलू उद्योग ऑर्डर पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, कुछ आपूर्तिकर्ता लगभग एक वर्ष तक डिलीवरी करने में असमर्थ हैं। यह विलंब आयात जैसे विकल्पों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

ड. संरक्षण के बावजूद, घरेलू उद्योग बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने परिचालन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं है। इससे दर्शाता है कि आयात घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं।

ढ. घरेलू उद्योग को आयातों से पर्याप्त संरक्षण मिला है। घरेलू उद्योग को आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हुई है।

ण. ताइवान से आयात को संचयित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चीन और ताइवान से आयात के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ भिन्न हैं। ताइवान से आयातित मशीनों में केवल 19 प्रकार के क्लैम्पिंग बल हैं। जबकि चीन जन.गण के लिए आयातित मशीनों के क्लैम्पिंग बल के 95 प्रकार हैं।

त. क्षति अवधि के विगत दो वर्षों में ताइवान से आयात की मात्रा में अत्यधिक कमी आई है। सापेक्षिक आधार पर, उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात की मात्रा बहुत सीमित है।

थ. घरेलू उद्योग ने कीमत कटौती के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग बिक्री लागत के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम था।

द. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 80% से अधिक रहा है।

ध. क्षति अवधि में घरेलू बिक्री में निरंतर वृद्धि हुई तथा जांच अवधि में गिरावट आई।

न. क्षति अवधि में घरेलू विक्रय मूल्य में निरंतर और अत्यधिक वृद्धि हुई है।

प. घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदण्ड किसी हानि के बजाय उल्लेखनीय लाभ दर्शते हैं।

फ. छोटी क्लैम्पिंग फोर्स वाली मशीनें बड़ी मशीनों की तुलना में कम लाभ कमाती हैं। छोटी मशीनों की बढ़ती मांग के कारण आवेदकों के लाभ में गिरावट आई, हालांकि वे महत्वपूर्ण लाभ अर्जित करते रहते हैं।

ब. विंडसर मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में कई अन्य कारकों, जैसे कि परिचालन जोखिम जिसमें आपूर्ति और मांग में संतुलन, आवश्यक प्रतिभा को सुरक्षित रखना और बनाए रखना, आईटी और मशीन प्रौद्योगिकी में प्रगति और विदेशी मुद्रा जोखिम आदि शामिल हैं, जो क्षति के कारण हैं की पहचान की गई है।

भ. आवेदन जानबूझकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है, जिनका संबंधित देश में होने वाले आयातों से स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे कारणों में आंतरिक समस्याएं, वैश्विक स्तर पर बाजार की निराशाजनक स्थिति, कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव, महामारी कोविड-19 का प्रभाव, रूस यूक्रेन युद्ध आदि शामिल हैं।

छ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

106. आवेदकों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की तुलना वर्ष 2020-21 से करना उचित नहीं होगा क्योंकि उस वर्ष का कार्य निष्पादन कुछ महीनों में लगाए गए कोविड लॉकडाउन से प्रभावित हुआ था। बाजार में अनिश्चितताओं और व्यवधानों के कारण उत्पाद की मांग प्रभावित हुई।

ख. अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 को चीन से आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की अवधि में शामिल किया गया था, जहां प्राधिकारी ने पाया कि पाटित किए गए आयात के कारण उद्योग को हानिहो रही है।

ग. कोविड-19 के कारण आधार वर्ष में मांग कम थी, तथा क्षति अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई।

घ. जांच अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में मामूली गिरावट आई, किंतु कम कीमत वाले आयातों में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि जारी रही कि अब वे मांग में वृद्धि की दर से अधिक हो गए हैं।

ड. संपूर्ण क्षति अवधि तथा जांच अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयात की मात्रा में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई।

च. आधार वर्ष के आंकड़े प्राधिकारी द्वारा एडीडी की सिफारिश का आधार थे, जिसमें 250 मशीनों के आयात में वृद्धि हुई। मशीनों की संख्या में और वृद्धि हुई है।

छ. मूल्य के संदर्भ में, आयात आधार वर्ष में 91 करोड़ रुपये से बढ़कर जांच अवधि में लगभग 500 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2022-23 तक, आयात मात्रा और मूल्य में वृद्धि की दर आनुपातिक थी। किंतु जांच अवधि में, आयात मूल्य की तुलना में आयात मात्रा में असंगत रूप से वृद्धि हुई और आयात मूल्य में गिरावट आई।

ज. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है। जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच अवधि के दौरान मामूली वृद्धि के साथ क्षति अवधि में निरंतर घटा है।

झ. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

ज. घरेलू उद्योग के मालसूची में विगत वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तुओं के रूप में उत्पाद होने के बावजूद, घरेलू उद्योग को संचित माल से हानि उठानी पड़ी।

ट. आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से अत्यधिक कम है।

ठ. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। आयातित वस्तुओं की पहुंच कीमत भी घरेलू उद्योग की लागत से कम है।

ड. जबकि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, उस अनुपात में विक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। इसी अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट आई है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।

ढ. वर्ष 2020-21 में लाभ कोविड-19 और पाटन से प्रभावित हुआ। हालांकि 2021-22 में स्थिति में सुधार हुआ, किंतु घरेलू उद्योग की लाभप्रदता विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लगभग 50% कम हो गई। इसी तरह, नकद लाभ, पीबीडीआईटी और आरओसीई में भी गिरावट आई है।

ण. यह उद्योग श्रम-प्रधान है। भाग लेने वाले उत्पादक 200 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और इन कर्मचारियों को लगभग 132 करोड़ रुपये का वेतन देते हैं। क्षति अवधि में रोजगार स्तर और वेतन में वृद्धि हुई है। उत्पादकता स्थिर बनी हुई है।

त. भाग लेने वाले उत्पादक एमएसएमई खंड के नहीं हैं, किंतु अन्य एमएसएमई उत्पादक भी हैं जो कम कीमत वाले आयातों का सामना करने के कारण कर्मचारियों को वेतन देना जारी नहीं रख सकते हैं।

थ. घरेलू उद्योग की वृद्धि स्थिर रही है और यह अपेक्षित स्तर के लगभग भी नहीं है, क्योंकि मांग में हुई पूरी वृद्धि आयातों द्वारा समाप्त कर दी गई है।

द. मूल्य मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तथा जांच अवधि में उद्योग को लगभग 900 करोड़ रुपए का बाजार हानि हुई है।

ध. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के कारण पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव हुआ है। भारतीय उद्योग मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र से है जो उचित लाभ न होने पर व्यवसाय में लगातार पूंजी नहीं लगा सकता है।

न. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 4% से भी कम से बढ़कर जांच अवधि में 19% हो गया। संबद्ध आयातों ने भारतीय उत्पादकों के हिस्से को हड्डपकर अपना बाजार हिस्सा बढ़ाया।

प. नियोजित पूंजी में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव संबंधी अनुरोध के संबंध में, प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों का उत्पादन करने वाले संयंत्र पूंजी-गहन नहीं हैं। प्रति मशीन नियोजित औसत पूंजी [***] रुपये से कम है, जबकि प्रति मशीन लागत लगभग [***] रुपये है। परिणाम्स्वरूप, लाभप्रदता में लघु परिवर्तन भी नियोजित पूंजी पर रिटर्न को अत्यधिक प्रभावित करते हैं।

फ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस प्रस्तुति के विपरीत कि उद्योग की क्षमता 5,100 इकाईयों की है, भारतीय उद्योग की कुल क्षमता 12,000 इकाईयों की है, जबकि घरेलू मांग 8,000 इकाईयों की है।

ब. इस अनुरोध के विपरीत कि मूल्यहास में वृद्धि हुई है, क्षति अवधि में मूल्यहास में कमी आई है। जबकि जांच अवधि में मूल्यहास लागत में वृद्धि हुई है, नकद लाभ में बहुत अधिक दर से गिरावट आई है।

भ. जहां तक यह अनुरोध कि ब्याज लागत में वृद्धि हुई है का संबंध है, ब्याज लागत में केवल [***] रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि ब्याज पूर्व लाभ में [***] रुपए की गिरावट आई है।

छ.३ प्राधिकारी द्वारा जांच

107. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और प्रयोज्य कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है।

108. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए 22% की आय पर विचार करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध सही नहीं हैं, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत इस संबंध में प्रासंगिक दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकारी ने नियोजित पूँजी पर लगातार 22% की आय को अनुमति प्रदान की है और इसे वर्तमान जांच में भी अपनाया गया है।

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विवाद के संबंध में कि लाभप्रदता में गिरावट ब्याज लागतों में उल्लेखनीय वृद्धि और मूल्य ह्रासात्मक व्ययों के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मूल्यह्रास लागतों में गिरावट आई है। जहां, जांच की अवधि में ब्याज लागत में वृद्धि हुई है, वहीं समान अवधि के दौरान ब्याज पूर्व लाभ में गिरावट आई है जो लाभप्रदता में गिरावट को स्थापित करता है चाहे ब्याज लागतों के पिछले स्तरों के संबंध में विचार किया गया हो। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दावा कि लाभप्रदता में गिरावट ब्याज लागत में वृद्धि और मूल्य ह्रास के कारण है, सही नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ब्याज और मूल्य ह्रास लागत कंपनी के परिचालनों के अभिन्न भाग हैं और इसलिए इन लागतों में वृद्धि अन्य कारकों की श्रेणी में नहीं आती है।

110. आवेदकों का कहना है कि जांच की अवधि में निष्पादन की तुलना वर्ष 2021-22 और 2022-23 से की जानी चाहिए न कि आधार वर्ष 2020-21 से। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का लाभ 2020-21 में उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2020-21 पिछली जांच की अवधि थी जिसमें प्राधिकारी ने उपायों को लागू किए जाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, यह अवधि पाटन द्वारा प्रभावित भी थी और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के तर्क पर विवाद नहीं किया है।

111. जहां तक प्रतिभागी उत्पादित और बेचे गए उप-संयोजनों के डेटा पर अनुरोधों का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा बेची गई संपूर्ण मशीनों के भाग हैं। इन उत्पादों का कोई अन्य स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। क्षति-विश्लेषण में पृथक रूप से उत्पादित तथा बेचे गए उप-संयोजनों को सम्मिलित करने का परिणाम दोहरी गिनती में होगा। इसी प्रकार, इन उप-संयोजनों की लागत भी प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा बेची गई संपूर्ण प्रसंस्करण मशीनों की लागत का भी हिस्सा बनती है। इसलिए उप-संयोजनों के डेटा को प्रभागी उत्पादकों के क्षति-डेटा में शामिल किए जाने की कोई आवश्यतया नहीं है।

112. विंडसर मशीन्स लिमिटेड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में चिन्हित किए गए क्षति के कारकों का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पूरी तरह से कंपनी से संबंधित हैं और केवल विचाराधीन उत्पाद से नहीं। इसलिए, वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरणों पर वर्तमान जाच के प्रयोजनार्थ विश्वास नहीं किया जा सकता।

113. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विवादों के संबंध में कि उक्त क्षति आंतरिक समस्याओं, वैश्विक रूप से ह्रासित बाजार स्थितियों, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कोविड-19 के प्रभाव, रूस-यूक्रेन

युद्ध के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जेनेरिक विवरण दिए हैं और अपने दावों को स्थापित करने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है न ही घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाले इन कारकों की विद्यमानता को प्रभावित स्थापित किया है न ही इसका कोई परिणात्मक प्रभाव बताया गया। प्राधिकारी ने केवल घरेलू परिचालनों के लिए घरेलू उद्योग के डेटा पर विचार किया है और घरेलू बाजार में मांग ने जांच की अवधि में वृद्धि दर्शायी है। इसलिए, प्राधिकारी इस दावे को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

क. संचयी आकलन

114. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे मामले में जहां किसी उत्पाद के आयात एक से अधिक देश से एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचित रूप से आकलन करेंगे, यदि ये निर्धारित करते हैं कि:

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से ज्यादा है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों के तीन प्रतिशत (या अधिक) है अथवा जहां पृथक देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, आयात समग्र रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक हैं; और
- ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित है।

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा पृथक-पृथक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभाव के संचयी आकलन उचित हैं क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करती हैं।

116. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विचार करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संचित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करना उचित है।

117. इसके अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह व्यवस्था की गई है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत करते हैं “...पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसे वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे परिणामी प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए”। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना अनिवार्य समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा एक उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने उल्लेखनीय स्तर तक कीमतों में अन्यथा रूप से ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक घटित हुआ होता। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आंकड़ों जैसे उत्पादन,

क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुबंध-II के अनुसरण में विचार किया गया है।

118. क्षति और कारणात्मक संबंध तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए अनुरोधों के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और निम्नानुसार उनका उल्लेख किया गया है।

ख. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

119. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग/स्पष्ट खपत को प्रतिभागी उत्पादकों, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है।

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 22 अक्टूबर से 23 सितंबर |
|--------|----------------------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | घरेलू उद्योग | संख्या | 2,973 | 3,764 | 3,768 | 3,607 |
| 2 | अन्य उत्पादक | संख्या | 2,160 | 2,740 | 2,715 | 2,635 |
| 3 | संबद्ध देशों से आयात | संख्या | 177 | 499 | 748 | 1221 |
| 4 | अन्य देशों से आयात | संख्या | 273 | 615 | 890 | 1367 |
| 5 | कुल मांग | संख्या | 5,583 | 7,618 | 8,121 | 8,830 |

120. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

छ.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा और कीमत प्रभाव


क. संबद्ध देशों से आयात मात्रा

121. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है चाहे वह कुल रूप में हो अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष में। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनाथ, प्राधिकारी ने सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 22 अक्टूबर से 23 सितंबर |
|--------|---|----------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | संबद्ध देशों से आयात | संख्या | 177 | 499 | 748 | 1221 |
| 2 | संबद्ध देशों से आयात | लाख रुपए | 6,939 | 20,343 | 27,996 | 37,149 |
| 3 | निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात: | | | | | |
| 4 | भारतीय उत्पादन | % | 3.09% | 6.77% | 10.45% | 17.90% |
| 5 | खपत | % | 3.17% | 6.55% | 9.21% | 13.83% |
| 6 | कुल आयात | % | 39.33% | 44.79% | 45.67% | 47.18% |

122. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में लगातार और उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में क्षति अवधि में 5 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों के मूल्य में आधार वर्ष में 69 करोड़ रुपए से जांच की अवधि में 371 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हुई है। आयातों के मूल्य में क्षति अवधि में 4 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध देशों से आयातों में कुल रूप में तथा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- घ. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का प्रमुख हिस्सा रहा है।



123. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा कीमतों में ह्रास किया गया अथवा कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित किया गया है। कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत की संबद्ध देशों से संबद्ध देशों के आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

124. कीमत कटौती को पीसीएन-वार और उसके पश्चात् संबद्ध आयात मात्राओं का प्रयोग करते हुए भारांशित औसत को अपनाते हुए समग्र रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित किया गया है।

125. इस प्रयोजन के लिए आयातों की पहुंच कीमत को क्लैपिंग बल के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की आयात कीमत और बिक्री कीमत के बीच उचित तुलना को सुनिश्चित करने के लिए, तुलनीय पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार किया गया है। भारांशित औसत कीमत कटौती को क्लैपिंग बलवार मशीनों और उनकी संबद्ध आयात मात्रा के लिए कीमत कटौती पर

विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। जिन क्लैपिंग बल वाले सौदों की पहचान नहीं की गई थी, उन पर विचार नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि चीन और ताईवान से निर्यातित उत्पाद के प्रोफाइल में अंतर है। जहां ताईवान से लोअर क्लैपिंग फोर्स मशीनों का मुख्य रूप से आयात किया गया है, वहीं चीन से क्लैपिंग फोर्स की विस्तृत श्रृंखला का आयात किया गया है।

126. नीचे दी गई तालिका चीन जन.गण., ताईवान तथा समग्र रूप से संबद्ध देशों के लिए मूल्य में कटौती दर्शाती है।

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | चीन | ताईवान | समग्र रूप से संबद्ध देश |
|--------|-----------------|--------------|--------|--------|-------------------------|
| 1 | पहुंच मूल्य | ₹ लाख/संख्या | *** | *** | *** |
| 2 | मूल्य में कटौती | ₹ लाख/संख्या | *** | *** | *** |
| 3 | मूल्य में कटौती | ₹ लाख/संख्या | 30-40% | 10-20% | 30-40% |

127. यह देखा गया है कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों का भारित औसत उत्तराई मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य में कटौती हुई है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

128. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित कीमतें घरेलू कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रही हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण स्तर तक ऐसी कीमतों में ह्रास करता है अथवा कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुआ होता, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए विचाराधीन उत्पाद के सभी प्रकारों की लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की निश्चानुसार जांच की गई है:-

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 22 अक्टूबर से 23 सितंबर |
|--------|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | बिक्रियों की लागत | लाख रुपए/संख्या | *** | *** | *** | *** |
| 2 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 106 | 116 | 121 |
| 3 | वर्ष दर वर्ष परिवर्तन | लाख रुपए/संख्या | | *** | *** | *** |
| 4 | बिक्री कीमत | लाख रुपए/संख्या | *** | *** | *** | *** |
| 5 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 111 | 119 | 121 |
| 6 | वर्ष दर वर्ष परिवर्तन | लाख रुपए/संख्या | | *** | *** | *** |

129. यह देखा गया है कि:

- क. बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत में 2022-23 में और अधिक वृद्धि हुई थी। जहां बिक्री कीमत में समान दर से वृद्धि नहीं हुई थी, घरेलू उद्योग अभी तक लाभों को दर्ज करने में सक्षम था।
- ख. जांच की अवधि में, जहां घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई थी वहीं बिक्री कीमत में बिक्रियों की लागत में वृद्धि के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई।
- ग. जहां क्षति अवधि में बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई, बिक्री कीमत में समान दर पर वृद्धि नहीं हुई थी। इसलिए, जांच की अवधि में घरेलू कीमतों में ह्रास हुआ है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

130. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और आंकड़ों का एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउट पुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी पैरामीटरों पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है। प्राधिकारी ने उनके अनुरोधों में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर उद्देश्यपूर्ण विचार करते हुए क्षति संबंधी पैरामीटरों की जांच की है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

131. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों पर विचार किया है।

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 22 अक्टूबर से 23 सितंबर |
|--------|-------------------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | स्थापित क्षमता | संख्या | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 2 | उत्पादन- कुल | संख्या | 3,386 | 4,361 | 4,250 | 4,067 |
| 3 | क्षमता उपयोग | % | 66% | 86% | 83% | 80% |
| 4 | उत्पादन-पीयूसी | संख्या | 3,280 | 4,228 | 4,115 | 3,895 |
| 5 | घरेलू बिक्रियां | संख्या | 2,973 | 3,764 | 3,768 | 3,607 |
| 6 | निर्यात बिक्रियां | संख्या | 331 | 453 | 316 | 271 |

132. यह देखा गया है कि:

- क. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही है।

ख. उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में गिरावट आई थी किंतु बिक्रियों में मामूली रूप से वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है।

ग. जहां आधार वर्ष (2020-21) की तुलना में उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है, उस वर्ष में उद्योग के परिचालन कोविड और चीन जन.गण. से पाटन द्वारा प्रभावित हुए थे।

घ. मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख. बाजार हिस्सा

133. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की है:

| क्र.सं . | का बाजार हिस्सा | यूओए म | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 22 अक्टूबर से 23 सितंबर |
|----------|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | घरेलू उद्योग | % | 53% | 49% | 46% | 41% |
| 2 | अन्य उत्पादक | % | 39% | 36% | 33% | 30% |
| 3 | समग्र रूप में भारतीय उद्योग | % | 92% | 85% | 80% | 71% |
| 4 | संबद्ध देश | % | 3% | 7% | 9% | 14% |
| 5 | अन्य देश | % | 5% | 8% | 11% | 15% |

134. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में पूरी क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगातार गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगातार गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। समग्र रूप में भी भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ग. मालसूचियां

135. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 22 अक्टूबर से 23 सितंबर |
|--------|-------------------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | प्रारंभिक मालसूची | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| 2 | समापन मालसूची | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| 3 | आसत मालसूची | संख्या | 22 | 16 | 37 | 43 |

136. यह देखा गया है कि उत्पाद के एक पूंजीगत माल के कारण, इसे पुष्टि किए गए क्रय आदेशों के आधार पर बेचा गया, घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2022-23 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और बाद में जांच की अवधि में और अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में मालसूची के उच्चतम औसत स्तर को दर्ज किया।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय

137. लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 22 अक्टूबर से 23 सितंबर |
|--------|------------|-------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | लाभ/(हानि) | रुपए/संख्या | *** | *** | *** | *** |
| | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 286 | 218 | 127 |
| 2 | लाभ/(हानि) | रुपए/संख्या | *** | *** | *** | *** |
| | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 362 | 276 | 154 |
| 3 | पीबीआईटी | लाख रुपए | *** | *** | *** | *** |
| | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 358 | 283 | 177 |
| 4 | नकद लाभ | लाख रुपए | *** | *** | *** | *** |
| | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 197 | 142 | 96 |
| 5 | आरओसीई | % | *** | *** | *** | *** |
| | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 368 | 259 | 175 |

138. यह देखा गया है कि:

- क. वर्ष 2020-21 पिछली जांच की अवधि का भाग था जिसमें प्राधिकारी ने उपायों को लागू करने की सिफारिश की थी। पाटन के प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता निम्न थी।
- ख. 2021-22 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ।
- ग. चूंकि 2022-23 में कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि हुई थी, घरेलू उद्योग के लाभों, नकद लाभ और नियोजित पूँजी में गिरावट आई।
- घ. जांच की अवधि में वित्तीय लाभों, नकद लाभों और ब्याज तथा कर पूर्व लाभ में लगभग 50% तक की गहन गिरावट आई।
- ड. वर्ष 2021-22 में निवेश पर आय में सुधार हुआ और तत्पश्चात जांच की अवधि तक महत्वपूर्ण गिरावट आई।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

139. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे सारणी में दिए गए हैं:

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 22 अक्टूबर से 23 सितंबर |
|--------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | कर्मचारियों की संख्या | संख्या | 1,898 | 2,003 | 2,049 | 2,093 |
| 2 | दैनिक उत्पादकता | संख्या | 9 | 12 | 12 | 11 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 3 | उत्पादकता प्रति कर्मचारी | संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | मजदूरी | लाख रुपए | *** | *** | *** | *** |
| 5 | मजदूरी | प्रवृत्ति | 100 | 98 | 107 | 107 |

140. यह देखा गया है कि:

- क. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर और वेतन तथा मजदूरियों में सुधार हुआ।
- ख. घरेलू उद्योग की दैनिक उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है।

च. वृद्धि

141. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियों की मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे सारणी में दिए गए अनुसार है:

| क्र.स. | विवरण | यूओएम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|
| 1 | क्षमता | % | 0% | 0% | 0% |
| 2 | उत्पादन | % | 29% | -3% | -4% |
| 3 | घरेलू बिक्रियां | % | 29% | -3% | -5% |
| 4 | पीबीटी लाख रुपए | % | 27% | 0% | -4% |
| 5 | पीबीआईटी लाख रुपए में | % | 262% | -24% | -44% |
| 6 | नकद लाभ लाख रुपए में | % | 258% | -21% | -38% |
| 7 | आरओआई | % | 97% | -28% | -32% |

142. जांच की अवधि में और पूर्व वर्ती वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में विभिन्न मात्रा और कीमत पैरामीटरों पर ऋणात्मक रही है।

छ. पाटन की मात्रा

143. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जिस तक भारत में आयात पाटित किए जा रहे हैं। जांच यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहा है।

ज. पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट के कारण पूंजी निवेश को जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता खराब है।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

145. क्लैपिंग फोर्स-वार आयात कीमत की जांच दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात कीमत घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत से महत्वपूर्ण रूप से निम्न है। चूंकि, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत में वृद्धि के अनुरूप इसकी कीमतों के बराबर रखने में असमर्थ है। यह तथ्य कि आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, और घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता में

महत्वपूर्ण गिरावट का सामना किया है, स्वयं ही पाटित आयातों के विपरीत प्रभाव को स्थापित करता है। इसलिए संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

छ.3.3 क्षति पर निष्कर्ष

146. उपर्युक्त के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

- क. संबद्ध देशों से आयात निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में बढ़ा है।
- ख. आयात में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।
- ग. पीसीएन-वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि आयात मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य कटौती हुई है।
- घ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है।
- इ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में काफी गिरावट आई है।
- च. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है, जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा घटा है। भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा भी घटा है।
- छ. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है।
- ज. उत्पाद पूँजीगत वस्तु होने के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग के पास इन्वेंट्री का स्तर बढ़ा है।
- झ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की वृद्धि सभी मात्रा और मूल्य मापदंडों पर नकारात्मक है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

147. नियमों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकारी को पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या पहुंचाने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जा सके। कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं उनमें अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, इसकी व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी और निर्यात निष्पादन व घरेलू उद्योग की उत्पादकता में परिवर्तन हैं। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध कारक घरेलू उद्योग द्वारा द्वेषी गई क्षति में भागीदारी कर सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

148. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों में महत्वपूर्ण हिस्सा स्थापित करते हैं। अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात ऊंची कीमतों पर किए गए हैं और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं।

ख. मांग में संकुचन

149. यह देखा गया है कि आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

150. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां

151. किसी हितबद्ध पक्षकार ने किसी संभव व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों ने घरेलू उद्योग को हानि नहीं पहुंचाई है।

ड. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

152. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन हुआ है। इसलिए, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

च. निर्यात निष्पादन

153. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के लिए पृथक रूप से क्षति संबंधी डेटा पर विचार किया है। अतः, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

154. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित डेटा पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का सभव कारण नहीं है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

155. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन, अभिलेख पर उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं और उपर्युक्त विश्लेषण पर विचार करते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर हैं।

ख. घरेलू उद्योग की कीमतों से कम आयात ने उसे पर्याप्त लाभकारी मूल्य वसूलने से रोका है।

ग. मूल्य कटौती और मूल्य दमन ने घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल प्रभाव डाला है।

घ. कम कीमत वाले पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट का सामना करना पड़ा।

ड. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और घरेलू मांग में महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है।

- च. पाटित आयातों में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घट गया है।
- छ. जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी है, घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
- ज. आवेदक की घरेलू बिक्री में गिरावट के साथ ही उत्पादन में भी गिरावट आई है।

156. इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग को नुकसान डंपिंग के कारण हुआ है।

अ. क्षति मार्जिन की सीमा

157. प्राधिकारी ने संशोधित रूप में अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद का एनआईपी जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/डेटा को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्लैपिंग बल के आधार पर विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए अलग-अलग एनआईपी निर्धारित किया गया है। इस प्रकार गणना की गई एनआईपी को भारित औसत क्षति मार्जिन की गणना के लिए विषय देशों से क्लैपिंग बल-वार उत्तराई मूल्य की तुलना करने के लिए माना गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं जोड़ा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूँजी (अर्थात औसत शुद्ध अचल संपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूँजी) पर उचित रिटर्न (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, ताकि नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचा जा सके और उसका पालन किया जा रहा है।

158. उपरोक्त अनुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत ओर क्षति-रहित कीमत की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्लैपिंग बल-वार के लिए तुलना की गई है। प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्लैपिंग बल-वार निर्धारित किए गए क्षति मार्जिन के भारांशित औसत को नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है:

क्षति मार्जिन सारणी

| क्रम संख्या | उत्पादक | एनआईपी | पहुंच | क्षति मार्जिन | | |
|-------------|--|---------------------|-------|---------------|-----|--------|
| | | यूएस.डा. प्रति मशीन | % | (रेंज) | | |
| क | चीन | | | | | |
| 1 | डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड और फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 40-50% |
| 2 | चेन ह्सोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चेन ह्सोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेनज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चेन ह्सोंग | *** | *** | *** | *** | 25-35% |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-----------|
| | मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चेन व्सोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड | | | | | |
| 3 | यिजुमी प्रेसिजन मोलिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिजुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कं, लिमिटेड, यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं, लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 30-40% |
| 4 | हस्की इंजेक्शन मोलिंग सिस्टम शंघाई लिमिटेड, चीन | *** | *** | (***) | (***) | नकारात्मक |
| 5 | कोई अन्य उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 60-70% |
| ख | ताईवान | | | | | |
| 1 | चेन व्सोंग मशीनरी ताईवान कं, लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 35-45% |
| 2 | हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड | *** | *** | (***) | (***) | नकारात्मक |
| 3 | कोई अन्य उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 50-60% |

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

159. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. पाटनरोधी उपायों को लागू करने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिसमें एमएसएमई उत्पादक शामिल हैं।
- ख. 40 से अधिक वर्षों से, स्थानीय विकल्पों की कमी के कारण चीन और ताईवान से मशीनों का आयात होता रहा है, क्योंकि भारतीय विनिर्माताओं को समय पर उच्च टन भार वाली मशीनें (1000 टन से अधिक) उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
- ग. चीनी सप्लायर तीन महीनों के भीतर मशीनों का प्रेषण कर सकते हैं जबकि भारतीय आपूर्तिकर्ता प्रायः सात से आठ महीने लेते हैं जो व्यापार संचालनों में व्यवधान डालता है।

घ. पाटनरोधी जांच का उद्देश्य या प्रयोजन एक समान स्तर पर व्यापार के अवसरों को सृजित करना है न कि किसी उद्योग की रक्षा करना। यदि वे अधिनियम या नियमों में उल्लेखित मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते।

ड. देश में मांग और आपूर्ति अंतर है और उस अंतर को पूरा करने के लिए आयात स्थान ले रहे हैं।

ट.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

160. आवेदको ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्रतिभागी उत्पादकों के अलावा, एमएसएमई क्षेत्र से संबंध रखने वाले, प्रति वर्ष 100 मशीनों से कम की उत्पादन क्षमता के साथ और एकमात्र विचाराधीन उत्पाद के प्रचालन पर निर्भर अन्य विनिर्माता।

ख. एमएसएमई उत्पादकों का निर्वाह अधिक कठिन है जहां बड़े उत्पादक अल्प अवधि के लिए क्षति को सहन कर सकते हैं, एमएसएमई उत्पादक नहीं।

ग. उपभोक्ताओं की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा जा सकता है कि संयंत्र और मशीनरी का मूल्य ह्रास डाउन स्ट्रीम उद्योग की कुल लागत का केवल 2% ठहरता है। नीचे दी गई सारणी प्रभाव को दर्शाती है।

| क्र.सं. | उत्पादक | विवरण | समग्र रूप में पीएंडएम पर मूल्य ह्रास (इकाई) | कुल व्यय | समग्र रूप में पीएंडएम में हिस्सा |
|---------|---------------------------------|---------|---|----------|----------------------------------|
| 1 | संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड | 2023-24 | 20,320 | 8,47,700 | 2% |
| | | 2022-23 | 17,300 | 7,46,680 | 2% |
| 2 | सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2023-24 | 16,689 | 8,90,015 | 2% |
| | | 2022-23 | 14,802 | 8,27,292 | 2% |
| 3 | एस्ट्रल लिमिटेड | 2023-24 | 10,470 | 4,40,730 | 2% |
| | | 2022-23 | 10,330 | 4,03,120 | 3% |
| 4 | फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2023-24 | 9,580 | 3,88,505 | 2% |
| | | 2022-23 | 7,657 | 4,22,094 | 2% |
| 5 | नीलकमल लिमिटेड | 2023-24 | 6,878 | 3,00,669 | 2% |
| | | 2022-23 | 6,336 | 2,92,787 | 2% |
| 6 | मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2023-24 | 8,450 | 3,59,840 | 2% |
| | | 2022-23 | 6,820 | 3,28,430 | 2% |
| 7 | फिएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2023-24 | 4,278 | 1,82,090 | 2% |
| | | 2022-23 | 4,574 | 1,67,053 | 3% |
| 8 | लुमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2023-24 | 6,887 | 2,54,814 | 3% |
| | | 2022-23 | 6,312 | 2,22,133 | 3% |

घ. प्लास्टिक प्रसंस्करण उपकरण का मूल्य हास डाउनस्ट्रीम उद्योग के कुल व्ययों का केवल 0.2-0.4% ठहरेगा। जब प्लास्टिक प्रसंस्करण उपकरण का हिस्सा ही इतना कम है तो पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव और भी कम होगा।

ड. विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र श्रम प्रधान हैं और बड़ी संख्यास में नौकरियां उत्पन्न करते हैं। उत्पाद अपस्ट्रीम उद्योग को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करता है जो कि स्वयं कम वाले आयातों का सामना कर रहा है।

च. चूंकि, विचाराधीन उत्पाद एक पूँजीगत वस्तु है। पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लागू होगा।

झ. भारत स्व-निर्भर अर्थात् आत्म निर्भर है। भारतीय उद्योग के पास उत्पाद के लिए पूरी भारतीय मांग को वहन करने के लिए पर्याप्त दक्षता है। प्रयोक्ताओं को आयात पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।

ज. पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से केवल आयात मूल्य ही 625 करोड़ रुपए है। भारतीय उद्योग द्वारा किए गए निर्यात लगभग 375 करोड़ रुपए हैं। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयात व्यापार हानि में जोड़े गए हैं।

झ. प्रयोक्ताओं द्वारा विरोध की कमी दर्शाती है कि वे एडीडी के विपरीत प्रभाव की उम्मीद नहीं करते। प्रतिभागी प्रयोक्ताओं तक ने इस संबंध में कोई चिन्ता नहीं दिखाई है और एसोसिएशनों ने प्रस्तावित उपायों के सार्वजनिक हित के विरुद्ध होने के बारे में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं।

अ. यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है कि पहले प्रवृत्त एडीडी का भारत में प्रयोक्ता उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव था।

ट. चाहे एडीडी के कारण संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित हैं, घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार में एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि अन्य देशों से उत्पाद का आयात होता है और भारत में समान उत्पाद के 20 उत्पादक हैं।

ठ. आत्म निर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन करने वाला एक जीवंत घरेलू उद्योग अनिवार्य है। भारत सरकार की उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत जिन 13 प्रमुख क्षेत्रों का प्रचार किया गया, ये सभी पीयूसी के प्रमुख उपभोक्ता हैं। पीएलआई योजना के प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा ज्ञेली जा रही क्षति का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

ड. एक एमएसएमई इकाई का औसत उत्पादन लगभग 50-100 मशीनें प्रति वर्ष है। पीओआई में आयातों की मात्रा का तात्पर्य लगभग 15-20 एसएमई उत्पादकों की आजीविका है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

161. प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न पक्षकारों के हितों पर, जिन में घरेलू उद्योग, आयातक और उत्पाद के उपभोक्ता शामिल हैं, के विचारों पर आधारित हैं।

162. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। प्राधिकारी ने उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभव प्रभाव सहित, वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सप्लाई किए गए उत्पाद की परस्पर विनिमेयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, कारक जो संभवतः पाटनरोधी शुल्क को लागू किए

जाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के प्रति समायोजन को त्वरित या विलंबित कर सकते हैं, के संबंध में जानकारी की मांग की थी।

163. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंची क्षति को समाप्त करना है।

164. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करना आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता। आयात उचित कीमत पर आना जारी रहेंगे। पाटनरोधी शुल्क सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और आवेदकों के बीच समान स्तर पर व्यापार को बनाए रखा गया है।

165. किसी भी प्रयोक्ता/आयातकों ने एक प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए हैं। हालांकि, आयातक संघों अर्थात् ए.आई.पी.एम.ए और ओ.पी.पी.आई ने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं, इसके किसी भी सदस्य ने विगत में लागू अथवा संभवतः अब लगाये जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्शाते हुए प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। संघों ने कुल मिलाकर उपभोक्ताओं और जनता पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के संभावित विपरीत प्रभाव को दर्शाने के लिए किसी मात्रात्मक और सत्यापनीय जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। चूंकि, उत्पाद पहले पाटनरोधी शुल्क के अधीन था, प्राधिकारी का विचार है कि हितबद्ध पक्षकारों के लिए डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्शाना संभव था। इसलिए यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य जानकारी के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के किसी विपरीत प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।

166. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में शुल्क के सभव प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई है। इसका किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

| क्र.सं. | उत्पादक | विवरण | संयंत्र और मशीनरी का मूल्य हास (यूनिट) | कुल व्यय | कुल व्यय में संयंत्र और मशीनरी के मूल्य हास का हिस्सा |
|---------|---------------------------------|---------|--|----------|---|
| 1 | संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड | 2023-24 | 20,320 | 8,47,700 | 2% |
| | | 2022-23 | 17,300 | 7,46,680 | 2% |
| 2 | सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2023-24 | 16,689 | 8,90,015 | 2% |
| | | 2022-23 | 14,802 | 8,27,292 | 2% |
| 3 | एस्ट्रल लिमिटेड | 2023-24 | 10,470 | 4,40,730 | 2% |
| | | 2022-23 | 10,330 | 4,03,120 | 3% |
| 4 | फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2023-24 | 9,580 | 3,88,505 | 2% |
| | | 2022-23 | 7,657 | 4,22,094 | 2% |
| 5 | नीलकमल लिमिटेड | 2023-24 | 6,878 | 3,00,669 | 2% |
| | | 2022-23 | 6,336 | 2,92,787 | 2% |
| 6 | मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2023-24 | 8,450 | 3,59,840 | 2% |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------|-------|----------|----|
| | | 2022-23 | 6,820 | 3,28,430 | 2% |
| 7 | फिएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2023-24 | 4,278 | 1,82,090 | 2% |
| | | 2022-23 | 4,574 | 1,67,053 | 3% |
| 8 | लुमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2023-24 | 6,887 | 2,54,814 | 3% |

167. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि कुल परिचालनों में संयंत्र और मशीनरी के कारण मूल्य ह्वास का हिस्सा कुल मिलाकर 2-3% है। विचाराधीन उत्पाद, हालांकि, केवल संयंत्र और मशीनरी का एक हिस्सा मात्र है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अन्य संयंत्र और मशीनरी में भी महत्वपूर्ण धन राशि के शामिल होने की संभावना है। इसलिए, कुल व्ययों में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के मूल्य ह्वास के हिस्से के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है। परिणाम स्वरूप, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के उच्च होने की संभावना नहीं है।

168. पाटनरोधी उपायों का लागू होना किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के अतिरिक्त, देश में तथा असंबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक भी हैं। अतः, भले ही शुल्कों के कारण संबद्ध देशों से आयात मात्रा में कमी आने के अनपेक्षित परिणाम हों, भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग के आपूर्ति की कमी नहीं होगी।

ठ. प्रकटीकरण टिप्पणियाँ पोस्ट करें।

ठ.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

169. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

क. प्राधिकरण को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से असेंबली और सब-असेंबली को बाहर रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटे हिस्से होते हैं। भले ही प्राधिकरण सब-असेंबली या असेंबली को दायरे में शामिल करने का फैसला करता है, लेकिन शुल्क की गणना के लिए एक स्पष्टीकरण पद्धति प्रदान की जानी चाहिए।

ख. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह दायरे के भीतर असेंबलियों/उप-असेंबली की परिभाषा को स्पष्ट करता एक नया प्रकटीकरण विवरण जारी करे। सीकेडी और एसकेडी संयोजनों के दायरे और कवरेज से बाहर रखे गए भाग/घटक।

ग. प्राधिकरण को आवेदक की स्थिति की पुनः जांच करनी चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि क्या उसने भागों और घटकों का वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री की है। यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या भागों और घटकों की बिक्री को वाणिज्यिक प्रकृति का माना जाना चाहिए।

घ. प्रकटीकरण विवरण में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादक बिक्री और आयात मात्रा में महत्वपूर्ण विसंगति है।

ड. जबकि सरकार सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देती है, आवश्यक पूँजीगत वस्तुओं पर शुल्क लगाना इस उद्देश्य के विपरीत है।

च. प्राधिकरण ने एआईपीएमएसदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पीवीएस स्पेंशन रेजिन, पीवीसी पेस्ट रेजिन, पीपीएम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एज़ो पिगमेंट और एलडीपीई जैसे लगभग सभी प्रमुख उत्पादों पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया है या लगाने की प्रक्रिया में है। ये आवश्यक उत्पाद विनिर्माण, पैकेजिंग और निर्माण क्षेत्रों में व्यवसायों को प्रभावित करते हैं।

छ. चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भारित औसत उत्तराई कीमत उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुरूप नहीं है। प्रकटीकरण विवरण के पैरा 155 में बताए अनुसार चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड के लिए क्षति मार्जिन रेंज 35%-45% है, जबकि घरेलू उद्योग ने ताइवान से आयात के लिए 0-10% की क्षति मार्जिन का दावा किया है। चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड जांच अवधि के दौरान ताइवान से विषयगत वस्तुओं का एकमात्र निर्यातक था और इसलिए, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उच्च क्षति मार्जिन असंगत प्रतीत होता है।

ज. यिजुमी समूह के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भारित औसत पहुंच मूल्य उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुरूप नहीं है।

झ. हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड ने एमएस एक्सेल प्रारूप में सभी आवश्यक परिशिष्ट प्रदान किए हैं। इसके अलावा, परिशिष्ट 3ए और परिशिष्ट 4ए में सभी रिपोर्ट किए गए लेनदेन के लिए क्लैम्पिंग बल और मशीन शृंखला पर पीसीएन निर्दिष्ट किए गए हैं। हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड ने मानक वित्तीय सिद्धांतों का उपयोग करके विस्तारित क्रेडिट अवधि वाले सभी लेनदेन के लिए क्रेडिट लागत की पुनर्गणना की है, जिसमें लागू ब्याज दर और क्रेडिट अवधि को शामिल किया गया है। हुओरवंग मशीनरी लिमिटेड ने माल ढुलाई, बीमा और अन्य लागत कटौती सहित सभी समायोजनों के लिए प्रासंगिक चालान और सहायक दस्तावेज प्रदान किए हैं।

ज. प्राधिकरण दो आवेदकों, इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड को आयातक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा, जबकि उन्होंने जांच अवधि के दौरान असेंबलियों के आयात को साबित करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।

ट. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों को बाहर रखा, जिन्हें घरेलू उद्योगों में से एक की संबंधित कंपनी द्वारा निर्यात किया गया था। परिभाषित उत्पाद पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से संभवतः उपयोगकर्ता इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों की ओर आकर्षित होंगे, जिससे चीन में शिवौरा मशीन की संबंधित कंपनी को लाभ होगा। प्राधिकरण को अपने अंतिम निष्कर्षों में इस चिंता का समाधान करना चाहिए।

ठ. नियम 2(डी) के अनुसार इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही मोल्ड, ऑटोमेशन और उन्नत नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके

प्लास्टिक सामग्री को आकार देते हैं। दोनों ही मशीनें ऊर्जा दक्षता, सटीकता और स्थिरता को प्राथमिकता देती हैं, जो ऑटोमोटिव, मेडिकल और पैकेजिंग जैसे उद्योगों की सेवा करती हैं।

ड. फ्लोशान समूह द्वारा निर्यात की जाने वाली मशीनें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मशीनों की तुलना में हल्की होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम होती है और कीमतें भी कम होती हैं। वजन में यह अंतर सीधे लागत दक्षता को प्रभावित करता है, जिससे उत्तरदाताओं की मशीनें अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध होती हैं।

ढ. स्थानीय विकल्पों की कमी के कारण 40 से अधिक वर्षों से भारी मशीनें चीन और ताइवान से आयात की जाती रही हैं। भारतीय निर्माता वर्तमान में उच्च-टन भार, गुणवत्ता वाली मशीनें (1000 टन से अधिक) समय पर उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ण. प्रकटीकरण कथन केवल क्लैम्पिंग बल के आधार पर पूर्ण मशीनों के लिए एनआईपी पर विचार करता है, जबकि असेंबली या उप-असेंबली के लिए कोई एनआईपी नहीं बनाया गया है। इसका मतलब है कि आयात के बावजूद असेंबली के लिए कोई क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है, और संभवतः कोई अलग डंपिंग मार्जिन भी नहीं है। इन मार्जिन की गणना किए बिना शुल्क की सिफारिश करना एंटी-डंपिंग नियमों और स्थापित डीजीटीआर प्रथाओं का स्पष्ट उल्लंघन है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति

170. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

क. जबकि आवेदक संघ ने सभी कानूनी दायित्वों का पालन किया, इन विदेशी उत्पादक/आयातकर्ता संघों को समान मानक पर नहीं रखा गया। सीपीएमआईए उन विशेष उत्पादकों/निर्यातकों का विवरण प्रदान करने में विफल रहा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एआईपीएमए और ओपीपीआई ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगे सदस्यों की सूची प्रस्तुत नहीं की।

ख. चीन के हस्की ग्रुप ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं की। इसके अलावा, निर्माता निर्धारित पीसीएन पद्धति के बावजूद लेनदेन के लिए उचित पीसीएन निर्दिष्ट करने में विफल रहा। विभिन्न पीसीएन के लिए एनआईपी काफी भिन्न होता है, जो प्रति मशीन [9.88] लाख रुपये से लेकर [283.29] लाख रुपये तक होता है। सटीक पीसीएन वर्गीकरण के बिना, डंपिंग और क्षति मार्जिन का निर्धारण मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण होगा।

ग. भारतीय उद्योग प्रमुख मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, तथा भारी उद्योग मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दोनों अब चीन और ताइवान से आयातित प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों पर डंपिंग रोधी उपाय लागू करने का समर्थन करते हैं।

घ. घरेलू उद्योग ने पूर्वव्यापी प्रभाव से एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि जांच के बाद की अवधि में आयात की मात्रा जांच अवधि के मुकाबले अधिक बढ़ गई है।

ङ. डंप किए गए आयातों के कारण भारतीय उद्योग को लगभग [900] करोड़ रुपये का बाज़ार खोना पड़ा।

च. घरेलू उद्योग के अलावा, अन्य भारतीय उत्पादकों को भी आयात के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जांच अवधि के दौरान आयात में वृद्धि के कारण अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। उनकी बाजार हिस्सेदारी भी प्रभावित हुई है।

छ. अन्य भारतीय उत्पादकों का एमएसएमई क्षेत्र में आना स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। ये उत्पादक सरकार से पर्याप्त और उचित उपाय के बिना घरेलू बाजार में टिक नहीं सकते।

ज. आयातित वस्तुओं से न केवल भारतीय निर्माताओं का प्रदर्शन कमजोर हुआ है, बल्कि अपस्ट्रीम उत्पादकों पर भी गंभीर असर पड़ा है, जिनमें से कई एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं।

झ. घरेलू उद्योग को आमतौर पर 775 टन तक की मशीनों के निर्माण के लिए 6-8 सप्ताह और इससे बड़ी मशीनों के लिए 12-16 सप्ताह की आवश्यकता होती है।

ज. अंतिम उत्पाद पर प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

ठ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच।

171. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियाँ उन तर्कों और विवादों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में आवश्यकतानुसार संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण पश्चात जांच में ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं को दोहराने से परहेज किया है। हालांकि, प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए किसी भी नए मुद्दे, साथ ही वे मुद्दे जिन्हें पहले संबोधित किया गया था लेकिन जिन्हें प्राधिकारी ने आगे की जांच की आवश्यकता समझी, की जांच की गई है और उनका समाधान किया गया है।

172. कुछ इच्छुक पक्षों ने दायरे में आने वाली असेंबली/सब-असेंबली की परिभाषा, साथ ही इससे बाहर रखे गए भागों/घटकों और सीकेडी और एसकेडी संयोजनों को शामिल करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। दायरे में आने वाली विशिष्ट असेंबली/सब-असेंबली को पहले ही ऊपर स्पष्ट रूप से पहचाना जा चुका है। केवल वे ही इस अंतिम निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं जो अनुशंसित उपायों के अधीन होंगे। किसी भी अन्य असेंबली/सब-असेंबली का आयात जिसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है। शुल्क तालिका के नीचे समावेशन और बहिष्करण की एक विस्तृत सूची भी दी गई है।

173. इस टिप्पणी के संबंध में कि फ़ोशान समूह द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा समान क्लैम्पिंग बल के लिए उत्पादित उत्पादों की तुलना में हल्के हैं और लागत और कीमत कम है, इस मुद्दे की जांच चीन पीआर से 40 से 1000 टन के बीच क्लैम्पिंग बल वाली प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के आयात पर पिछली जांच में पहले ही की जा चुकी है। प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

“28. आयातित मशीन के कम वजन के संबंध में, प्राधिकरण का विचार है कि प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी जैसी मशीन में, वजन मूल्य निर्धारण का पैरामीटर नहीं हो सकता है क्योंकि खरीदार वांछित तकनीक और सुविधाओं के लिए भुगतान करते हैं न कि वजन के लिए।”

174. यह देखा गया है कि इच्छुक पक्ष ने यह नहीं दिखाया है कि उसने उपभोक्ता को कथित भार अंतर के बारे में सूचित करके मशीन बेची है, न ही निर्माता ने लागत और कीमत पर इसके प्रभाव को दिखाया है। उपभोक्ताओं ने मशीन के वजन में अंतर को पहचाने बिना ही मशीन खरीद ली। इस प्रकार यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि उत्पाद बेचते समय वजन में अंतर एक पैरामीटर था।

175. इच्छुक पक्षों ने टिप्पणी की है कि इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन लिमिटेड ने “स्कू बैरल, स्कू टिप, स्थिर प्लेटन नट, टाई बार और अन्य सहायक उपकरण” का आयात किया है, मिलक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने “डिस्प्ले और गेट सील” का आयात किया है और विंडसर मशीन्स लिमिटेड ने “स्कू बैरल” का आयात किया है। इच्छुक पक्षों द्वारा पहचाने गए उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। नियम 2(बी) के तहत विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा न बनने वाले उत्पाद का आयात अप्रासंगिक है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को स्पष्ट रूप से केवल निम्नलिखित उप-असेंबली को शामिल करने के लिए पहचाना गया है।

“उप-असेंबली अर्थात् क्लैम्पिंग/क्लैम्प यूनिट, स्कू और बैरल के साथ या बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर।”

176. चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि निर्धारित की गई उत्तराई कीमत उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुसार नहीं है और उनके लिए निर्धारित क्षति मार्जिन आवेदक द्वारा दावा किए गए क्षति मार्जिन से अधिक है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदकों द्वारा प्रदान की गई पीसीएन वार आयात मात्रा और प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई जानकारी में अंतर है। चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कंपनी लिमिटेड, ताइवान द्वारा दायर प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

177. यिजुमी समूह ने टिप्पणी की है कि समूह के लिए निर्धारित मार्जिन अधिक है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि भारत में यिजुमी समूह की संबंधित इकाई ने घाटे में बिक्री की है। भारतीय इकाई द्वारा उठाए गए घाटे को शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना में समायोजित किया गया है। अपनाया गया दृष्टिकोण कानून और व्यवहार के अनुसार है।

178. इच्छुक पक्षों ने टिप्पणी की है कि प्रकटीकरण विवरण में घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादक बिक्री और आयात मात्रा में महत्वपूर्ण विसंगति है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण में विचारित डेटा वही है जो आवेदक द्वारा इच्छुक पक्षों को प्रसारित किया गया था। उचित सत्यापन के बाद डेटा पर विचार किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इच्छुक पक्षों ने आवेदन में दी गई सूचना और प्रकटीकरण विवरण के बीच तुलना की है। आवेदन में विचाराधीन उत्पाद का दायरा 40 टन से कम नहीं और 3200 टन से अधिक नहीं के क्लैम्पिंग बल वाली मशीनों का था। हालांकि, तब उत्पाद का दायरा 40 टन से कम नहीं और 1500 टन से अधिक नहीं के क्लैम्पिंग बल वाली मशीनों तक घटा दिया गया था। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में परिवर्तन हुआ है, इसलिए आवेदन में डेटा में भी परिवर्तन हुआ है, जिसे इच्छुक पक्षों को प्रसारित किया गया था।

179. इस निवेदन के संबंध में कि इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों को शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था, प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान आवेदन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है और तीन अन्य घरेलू उत्पादकों ने अपने लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, न कि केवल शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। पिछली जांचों में भी, इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया था, और वे वर्तमान जांच में भी बाहर हैं। इसके अलावा, इच्छुक पक्षों द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के आयात में वृद्धि हुई है। इसलिए, यह दावा कि इन मशीनों को जानबूझकर बाहर रखा गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

180. अन्य इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि भारत में मांग और आपूर्ति में अंतर है और आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि भारतीय उद्योग में देश की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता है। आयात जारी रह सकता है, हालांकि उचित मूल्य पर। एंटी-डंपिंग शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और भारतीय उद्योग के बीच एक समान अवसर बना हुआ है। वास्तव में, प्राधिकरण ने एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश करते समय डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम पर विचार किया है, जो सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।

181. इच्छुक पक्षों ने टिप्पणी की है कि असेंबलियों के लिए क्षति और डंपिंग मार्जिन का निर्धारण किए बिना प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि भाग लेने वाले निर्यातकों ने असेंबलियों के निर्यात की रिपोर्ट की, उन्होंने इन उप-असेंबली की प्रकृति के बारे में पर्याप्त विवरण नहीं दिया। यह देखा गया है कि सभी भाग लेने वाले उत्पादकों में से केवल [***] ने उप-असेंबली/एसकेडी और

सीकेडी मशीनों के निर्यात की रिपोर्ट की है, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया है। उत्पादक ने केवल [एसकेडी और नॉट-मशीन] का उल्लेख किया है। इस महत्वपूर्ण सूचना के बिना, रिपोर्ट की गई उप-असेंबली के शुद्ध निर्यात मूल्य और पहुंच मूल्य की घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य के साथ सटीक रूप से तुलना करना संभव नहीं है। यह भी देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के सीकेडी/एसकेडी फॉर्म और विशिष्ट उप-असेंबली को शामिल करने का उद्देश्य असेंबली की आसानी और एंटी-डंपिंग उपायों की अनदेखी की उच्च संभावना के कारण था। यह तर्क नहीं है कि जांच अवधि में इन फॉर्मों का महत्वपूर्ण आयात हुआ है। इसलिए, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन विकृत नहीं हैं।

182. विषयगत वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से एमएसएमई उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पादन लागत में सीधे वृद्धि होगी, प्राधिकरण ने नोट किया है कि इच्छुक पक्षों ने केवल बयान दिए हैं और अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत वस्तु है और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चलता है कि यह डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत का नगण्य हिस्सा है। इसलिए, इसका प्रभाव नगण्य होगा।

183. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में कि इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोलिंडिंग मशीन प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन के समान है, यह नोट किया जाता है कि अन्य इच्छुक पक्ष प्राधिकरण द्वारा अपने आरंभिक नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर और यहां तक कि पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे के लिए दायर टिप्पणियों में भी ऐसे तर्क उठाने में विफल रहे। इस प्रकार, जांच में इतनी देरी से किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, अन्य इच्छुक पक्षों ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है।

ड. निष्कर्ष

184. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त निष्कर्षों में दर्ज है, तथा घरेलू उद्योग के साथ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. यह जांच प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के आयात के संबंध में शुरू की गई थी, जिसमें क्लैम्पिंग बल 40 टन से कम और 3200 टन से अधिक नहीं था। उपयोगकर्ताओं द्वारा टिप्पणियां दायर की गई थीं, जिसमें अनुरोध किया गया था कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा 1500 टन से कम क्लैम्पिंग बल वाली मशीनों तक सीमित रखा जाए। घरेलू उद्योग ने अनुरोध पर कोई विवाद नहीं किया और तदनुसार दायरा 1500 टन तक सीमित कर दिया गया।

ख. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें हैं, जिनमें क्लैम्पिंग बल 40 टन से कम नहीं तथा 1500 टन से अधिक नहीं होता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रसंस्करण या मोलिंडिंग के लिए किया जाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद पूंजीगत सामान है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि पूंजीगत सामान पूरी तरह से असेंबल और उपयोग के लिए तैयार स्थिति में आयात किया जाए। परिवहन में आसानी के लिए, मशीन को सीकेडी, एसकेडी और सब-असेंबली के रूप में आयात किया जा सकता है।

घ. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में बड़ी संख्या में घटक शामिल होते हैं। हालांकि, क्लैम्पिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट और मशीन बेस फ्रेम विचाराधीन उत्पाद का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं। अन्य उप-असेंबली में बैरल, केबल, स्ट्रेन रॉड, सिलेंडर, प्लेटेंस आदि जैसे आइटम शामिल हैं।

ड. सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) में आयात का अर्थ है एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन जो अधूरी या अधूरी अवस्था में है, पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के भागों के रूप में लेन-देन की जाती है। ये भाग एक साथ फिट नहीं किए गए हैं, और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं है। एसकेडी फॉर्म में आयात का तात्पर्य विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी एसकेडी या उप-असेंबली के आयात से है। इसके अलावा, स्क्रू और बैरल या मशीन बेस फ्रेम या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के लिए फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर के साथ या बिना पूरी क्लैम्पिंग/क्लैप यूनिट या पूरी इंजेक्शन यूनिट का आयात विचाराधीन उत्पाद की आवश्यक उप-असेंबली या एसकेडी है।

च. पूरी तरह से नॉक डाउन (सीकेडी) का मतलब है प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन अपने घटकों के रूप में। ऐसे घटकों को एक साथ रखने पर पूरी मशीन का आवश्यक चरित्र होगा।

छ. प्राधिकरण ने नोट किया है कि आवेदक कम्पनियों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 57% है।

ज. घरेलू उद्योग के अलावा, कई अन्य घरेलू उत्पादकों ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है।

झ. शिवौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलैक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आयात घटक हैं। हालांकि, ये घटक विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं।

ज. प्राधिकरण का मानना है कि आवेदक नियम 2(बी) के अर्थ में "घरेलू उद्योग" से संबंधित हैं और आवेदन नियम 5 के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

ट. घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है, जैसा कि जांच में सामने आए निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:

- संबद्ध देशों से आयात में निरपेक्ष रूप से तथा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयात में संबद्ध देशों से आयात का बड़ा हिस्सा रहा।
- जांच अवधि में विषयगत आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य कटौती हुई है। कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है। समान कीमतों की तुलना में डंप किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है। भारत में उत्पाद, और इस तरह के आयात का प्रभाव घरेलू बाजार में कीमतों को दबाना और मूल्य वृद्धि को रोकना था बढ़ोतरी जो अन्यथा होगा घटित हुआ को ए महत्वपूर्ण डिग्री।

- iii. जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
- iv. जांच अवधि में वित्तीय लाभ, नकद लाभ और ब्याज एवं कर से पहले लाभ में लगभग 50% की भारी गिरावट आई है। 2021-22 में निवेश पर रिटर्न में सुधार हुआ और उसके बाद जांच अवधि तक इसमें काफी गिरावट आई है।
- v. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि और पूर्ववर्ती वर्ष में विभिन्न मात्रा और मूल्य मापदंडों पर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

ठ. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के कारण हुई है।

ड. एंटी-डंपिंग उपायों के लागू होने से संबद्ध देशों से आयात पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगेगा।

ढ. एंटी-डंपिंग शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि आयातित वस्तुएं उचित मूल्य पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें तथा विदेशी निर्यातिकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बना रहे।

ण. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।

४. सिफारिश

185. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातिकों, आयातिकों और अन्य इच्छुक पक्षों को डंपिंग, क्षति और कारण संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। डंपिंग, क्षति और कारण संबंध की जांच शुरू करने और एंटी-डंपिंग नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार करने के बाद, प्राधिकारी का मानना है कि डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

186. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका में दर्शाए अनुसार एंटी-डंपिंग शुल्क, जो आयातों के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में होगा, विषयगत देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले विषयगत वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 साल के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

| क्र. सं. | शीर्ष/ उप शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | मूलता का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | सीआईएफ के % के रूप में शुल्क |
|----------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 84771000 और 84779000 | प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी* | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | डोंगरुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड और फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड | 48% |
| 2 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | चेन हसोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्जेन) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चेन हसोंग मशीनरी (शेन्जेन) कंपनी लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, फोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड | 27% |
| 3 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | यिजुमी प्रेसिजन मोलिंडंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिजुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कं, लिमिटेड, यिजुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं, लिमिटेड | 35% |
| 4 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | हस्की इंजेक्शन मोलिंडंग सिस्टम्स शंघाई लिमिटेड | 0% |
| 5 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | कोई अन्य उत्पादक | 63% |
| 6 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. एवं ताइवान के अलावा कोई भी अन्य देश | चीन जन. गण. | कोई भी उत्पादक | 63% |
| 7 | -वही- | -वही- | ताइवान | ताइवान सहित कोई भी देश | चेन हसोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड | 39% |
| 8 | -वही- | -वही- | ताइवान | ताइवान सहित कोई भी देश | हुओर्वग मशीनरी लिमिटेड . | 0% |
| 9 | -वही- | -वही- | ताइवान | ताइवान सहित कोई भी देश | कोई अन्य उत्पादक | 53% |

| | | | | | | |
|----|-------|-------|---|------------------------|----------------|-----|
| 10 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. एवं ताइवान के अलावा कोई भी अन्य देश | ताइवान सहित कोई भी देश | कोई भी उत्पादक | 53% |
|----|-------|-------|---|------------------------|----------------|-----|

* वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें (पीपीएम) या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रसंस्करण और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं, जिनका क्लैम्पिंग बल 40 टन से कम और 1500 टन से अधिक नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पूरी तरह से असेंबल की गई, सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी), कम्पलीट नॉक्ड डाउन फॉर्म (सीकेडी) या एसकेडी और सीकेडी का संयोजन शामिल है। दायरे को नीचे और स्पष्ट किया गया है -

- क. सेमी नॉक डाउन स्टेज में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन का मतलब ऐसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन होगी जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन इसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पार्ट्स या सब-असेंबली एक साथ फिट नहीं होती हैं और मशीन इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होती है। सेमी नॉक डाउन मशीन में सब-असेंबली भी शामिल होगी जैसे क्लैम्पिंग/क्लैप यूनिट, स्क्रू और बैरल के साथ या बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर।
- ख. पूर्णतया नष्ट अवस्था में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन का अर्थ अपूर्ण या अधूरा प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन है, जो एक साथ रखे जाने पर पूर्ण मशीन का अनिवार्य चरित्र रखती है, तथा जिसमें मशीनों को संयोजित करने के लिए आवश्यक सभी घटक होते हैं।

निम्नलिखित उत्पादों को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है: -

- a. उपशीर्षक 8477 30 04 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लॉको मोल्डिंग मशीनें।
- b. ऊर्धवाधर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।
- c. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, जिनमें यांत्रिक गतिविधियां जैसे इंजेक्शन, मोल्डिंग बंद करना, मोल्डिंग खोलना, इजेक्शन, स्क्रू-ड्राइव आदि स्वतंत्र सर्वों मोटर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली होती है तथा हाइड्रोलिक इकाई के बिना होती हैं।
- d. फुटवियर बनाने के लिए बहु-रंगीन/बहु-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/स्ट्रैप/एडी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप-शीर्षक 8453 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

- e. सेकेंड हैंड/प्रयुक्त प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें।
- f. ऊपर निर्दिष्ट भागों/घटकों के अलावा किसी भी स्टैंडअलोन भाग/घटक का आयात।
- g. इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के अलावा किसी अन्य मशीन के उत्पादन के लिए आयातित क्लैम्पिंग/क्लैम्प इकाई, स्कू और बैरल सहित या रहित इंजेक्शन इकाई, मशीन बेस फ्रेम और फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर का आयात।

#सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ण. आगे की प्रक्रिया

187. इस अंतिम निष्कर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDING**

New Delhi, the 27th March, 2025

Case No. ADD (O.I.) 08/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Plastic Processing Machines’ originating in or exported from China PR and Taiwan.

F. No. 6/09/2024-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”) thereof, the Plastic Machinery Manufactures Association of India (hereinafter referred to as the “applicant association” or “PMMAI”) has filed a duly substantiated application on behalf of Electronica Plastic Machines Limited, Milacron India Private Limited, Shibaura Machine India Private Limited and Windsor Machines Limited (hereinafter referred to as “domestic industry”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Plastic Processing Machines (PPM) or Injection Moulding Machines (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), from China PR and Taiwan (hereinafter referred to as the “subject countries”). The association and the participating domestic producers have together hereinafter been referred to as “applicants”.
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/09/2024-DGTR dated 29th March 2024, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic injury.

B. PROCEDURE

3. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.

b. The Authority issued a public notice dated 29th March 2024 published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration from the subject countries.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, the known importers/users in India, and the other interested parties, as per the addresses made available by the domestic industry. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions known in writing within the time limits prescribed in the initiation notification.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e. The embassy of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective subject countries to submit their responses to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

f. The Authority sent a questionnaire to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

| SN | Subject countries | Producer/Exporter |
|----|-------------------|---|
| 1 | China PR | Chen De Plastics Machinery Co. Ltd. |
| 2 | | Cosmos Machinery Ltd. |
| 3 | | Demag Plastics Machinery (Ningbo) Co. Ltd. |
| 4 | | Guangdong Yizumi Precision Machinery Co. Ltd. |
| 5 | | Guangzhou Borch Machinery Co. Ltd. |
| 6 | | Haitain International |
| 7 | | Hangzhou Tederic Machinery Co. Ltd. |
| 8 | | Liguang Machinery Co. Ltd. |
| 9 | | Mitsrong Mould & Machine Co. Ltd. |
| 10 | | Ningbo Haixiong Plastics Machinery Co. Ltd. |
| 11 | | Ningbo Hengrun Plastic Machinery Co. Ltd. |
| 12 | | Ningbo Shuangma Machinery Industry Co. Ltd |
| 13 | | Qingdao Runjia Plastic Machinery Co. Ltd. |
| 14 | | Qingdao Sanyl Plastic Machinery Co Ltd. |
| 15 | | Shandong Tongjya Machinery Co. Ltd. |
| 16 | | Shanghai GS Machinery Manufacture Co. Ltd. |
| 17 | | Suzhou Fosita Science and Technology Co. Ltd. |
| 18 | | Xinle Huabao Plastic Machinery Co. Ltd. |
| 19 | | Zhangjiagang King Machine Co. Ltd. |

| | | |
|----|--------|--|
| 20 | | Zhejiang East Zhouqiang Plastic & Mould Industry Co. Ltd |
| 21 | | Zhejiang Golden Eagle Plastic Machinery Co. Ltd. |
| 1 | Taiwan | Asian Plastic Machinery Co Ltd |
| 2 | | Huarong Plastic Machinery CO., Ltd. |
| 3 | | Pan Stone Precision Industries Co Ltd |

g. In response to the above notification, the following producers/exporters from subject countries have responded and filed an exporter's questionnaire response:

| SN | Subject countries | Producer/Exporter |
|----|-------------------|--|
| 1 | China PR | Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co. Ltd. |
| 2 | | Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co. Ltd. |
| 3 | | Chen Hsong Machinery Co. Ltd. |
| 4 | | Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co. Ltd. |
| 5 | | Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co. Ltd. |
| 6 | | Engel Machinery (Changzhou) Co. Ltd. |
| 7 | | Engel Machinery (Shanghai) Co. Ltd. |
| 8 | | Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co. Ltd. |
| 9 | | Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co. Ltd. |
| 10 | | Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co. Ltd. |
| 11 | | Yizumi High Speed Packaging Technology Co. Ltd. |
| 12 | | Yizumi Precision Machinery (HK) Co. Ltd. |
| 13 | | Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co. Ltd. |
| 14 | | Yizumi Precision Molding Technology Co. Ltd. |
| 1 | Taiwan | Asian Plastic Machinery Co Ltd |
| 2 | | Chen Hsong Machinery Taiwan Co. Ltd. |
| 3 | | Huarong Plastic Machinery Co. Ltd |

h. The Authority also sent questionnaires to the known importers/users of the product under consideration in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of Rules.

| SN | User/importer |
|----|---|
| 1 | Arun Plasto Moulders India Pvt. Ltd. |
| 2 | Bharat Box Factory Limited |
| 3 | CJ Polytech Private Limited |
| 4 | Ejobs info Tech India Pvt. Ltd |
| 5 | Electronics Machine Tools Ltd. |
| 6 | Kunstocom (India) Limited |
| 7 | Moldwell Products |
| 8 | Moldwell Products India Private Limited |

| | |
|----|---|
| 9 | Prince Plastics International Pvt. Ltd. |
| 10 | Sakkthi Polymers |
| 11 | Satzer Electronics Limited |
| 12 | Sumi Motherson Group |
| 13 | Supreme Industries Limited |
| 14 | Tech Plastic Industries |
| 15 | Tooling Temple |
| 16 | Victorious Engineering Works |
| 17 | Vidyut Metallics Limited |

i. In response to the above notification, the following importers and users have submitted questionnaire responses to the Authority:

| SN | User/importer |
|----|---|
| 1 | Blackburn & Co. Pvt. Ltd. |
| 2 | Chen Hsong Machinery (India) Pvt. Ltd. (Chinese producer) |
| 3 | Chen Hsong Machinery (India) Pvt. Ltd. (Taiwan producer) |
| 4 | FCS Manufacturing (India) Pvt. Ltd. |
| 5 | Moulded Fibreglass Products |
| 6 | Yizumi Precision Machinery (India) Pvt. Ltd |

j. Submission have also been made by the China Plastics Machinery Industry Association (CPIMA), All-India Plastics Manufacturers Association (AIPMA) and Organization of Plastics Processors of India (OPPI) and these have been considered in the present final finding.

k. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded, or did not supply information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.

l. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the applicants. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. The domestic industry, Engel Machinery (Changzhou) Co. Ltd., China and Engel Machinery (Shanghai) Co. Ltd., China have filed the economic interest questionnaire. The Ministry of Heavy Industries has also responded to the economic interest questionnaire.

m. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 months). The injury analysis period covers 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

n. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if required, within a period of 15 days from the date of the initiation notification. Based on the submissions received from certain interested parties, a meeting was held on 30th April 2024 to discuss the need for PCN methodology.

- o. The scope of the product under consideration and the PCN methodology for the investigation was notified on 8th July 2024.
- p. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity for the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 8th October 2024 in hybrid mode. The parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- r. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis.
- s. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in this final finding.
- t. The Authority conducted the physical verification at the premises of the applicants to the extent considered necessary for the purposes of present investigation.
- u. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- v. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- w. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 13th March 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- x. “****” in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is **1 US\$=Rs.82.51.**

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“2. The product under consideration in the present investigation is Plastic Processing Machines (PPM) or Injection Moulding Machines also known as injection presser used for processing and moulding of plastic materials.

3. The scope of the product under consideration includes all kinds of plastic processing or injection moulding machines, having clamping force not less than 40 tonnes and not above 3200 tonnes. The product under consideration also includes machines in fully assembled, semi knocked down (SKD), complete knocked down form (CKD), sub-assemblies.

- a. A plastic processing machine in semi knocked down stage shall mean a plastic processing machine which is not fully assembled but is transacted as a plastic processing machine with all essential components not fitted together and the machine is not ready to use.*
- b. A plastic processing machine in completely knocked down stage shall mean a plastic processing machine in its incomplete or unfinished form, has the essential character of the complete machine when put together, and contains all critical components, barring widely used components.*
- c. Sub-assemblies specifically for plastic processing machine.*

4. The following types of products are, however, excluded from the scope of the product under consideration:

- i. Blow moulding machines classified under Custom Tariff Act, 1975 under sub heading 84773000.*
- ii. Vertical injection moulding machines.*
- iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, moulding closing, moulding opening, ejection, screw-drive etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without hydraulic unit.*
- iv. Multi-colour/ multi-mould machinery for making footwear, rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Custom Tariff Act, 1975 under sub-heading 8453.*
- v. Second hand/used plastic processing machines.*

5. The subject goods are classified under Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 84771100 and 84779000. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C.1 Submissions made by other interested parties.

5. The interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:

- a. Inclusion of SKD, body/component/parts is highly misleading. It is a settled principle that only such finished goods which are commercially sold by the domestic industry can be considered in the scope of the product under consideration.
- b. Machines imported to produce nylon cable ties are distinct from the type manufactured by the domestic industry. The product supplied by the domestic industry may satisfy one but does not satisfy all parameters. These machines are not commercially interchangeable.
- c. PCN should be considered based on weight, dimensions, and other parameters rather than the clamping force. The weight of the machines significantly impacts the cost as heavier machines are more durable and expensive. PCN should be assigned considering 80% weightage to weight and 20% to technical parameters like clamping force.
- d. The usage of terminology - “Semi knocked down (SKD) body /component /parts” is highly misleading, unclear and ambiguous. This would also make spares, parts and other items to be included
- e. The Authority should issue the list of assemblies which are part of the product scope.
- f. The circumvention law can only invoke once there is existence of anti-dumping duties on the product. Since there are no duties at present, the circumvention law cannot be invoked in fresh investigation. Further, there is no provision of threat of circumvention.
- g. There are members of the association who are producing components, therefore, if the Authority wants to include components, data of those producers should be filed with the Authority and consolidated combined non-confidential version should be circulated to all interested parties.
- h. The domestic industry has imported assemblies/components. The scope of the product includes components, assemblies and sub-assemblies. Therefore, the domestic industry should have provided updated application.
- i. The term “Semi knocked down (SKD) body /component /parts” is highly misleading, unclear and ambiguous. Inclusion of only “parts” within the scope of the duty or the investigation will be blatantly arbitrary and unjustified. This would also make spares, parts and other items to be included.
- j. One of the important factors contributing to the cost of product under consideration is weight of the machine. Heavier machines are costlier than lighter ones, as heavier machines are sturdy and durable. Thus, proper weightage should be given to the weight of the machine for arriving at PCN methodology.

C.2 Submissions made by applicants.

6. The applicants have made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:
 - a. The product can be supplied as finished ready-to-use equipment, in sub-assembly form or in CKD/SKD conditions, and the consumer can assemble it with negligible value addition.
 - b. Plastic processing machines comprise of number of sub-assemblies. The consumers have the choice to buy the product at production process, CKD, SKD and even part of sub-assembly.
 - c. The consumer can import critical components separately and other parts separately and assemble at its own place. The operations involved in assembly of these parts do not involve large technological investment or technical know-how.
 - d. Reference placed on the CESTAT case of M/s Huawei Technologies Co. Ltd. v Designated Authority; it was held that the scope of PUC should be defined in a way that avoids circumvention.
 - e. If the CKD and SKD forms are not included in the scope, the imports will continue post-imposition of duties. The MSME sector would continue to face hardships, increasing the risk of operational shutdowns.
 - f. The inclusion of CKD, SKD and sub-assemblies within the scope of the product is justified as the other interested parties themselves claimed that they have exported the product in these forms.
 - g. Indian industry has manufactured and supplied machines to make nylon cable tie. The applicants have supplied these machines to key downstream manufacturers of cable ties and related products.
 - h. Clamping force is a globally recognized term for the product under consideration. Mechanical Engineering Industry Association and Plant India categorizes total market based on tons.
 - i. When the measures were in force, the parts, component, assemblies and sub-assemblies were being imported. However, after expiry of measures, only complete machines are being imported.
 - j. The Chinese and Taiwanese producers have claimed that they export the product in CKD/SKD and sub-assembly form. However, the applicants are unaware of the exact details of these exports.
 - k. The product can be supplied either as a complete assembled machine or in parts (CKD/SKD). Producers may export either the finished equipment or in sub-assembly form or in CKD/SKD condition, with minimal value addition required in India. It is essential to include CKD and SKD in the current investigation, as excluding them would allow imports to continue in these forms even after anti-dumping duties are imposed.

C.3 Examination by the Authority


7. The product under consideration in the present investigation is Plastic Processing Machines (PPM) or Injection Moulding Machines also known as injection presser used for processing and moulding of plastic materials.
8. The product under consideration at the time of initiation was all kinds of plastic processing machines or injection moulding machines having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 3200 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials. The scope included product is as described below: -
 - i. A plastic processing machine in semi knocked down stage, which means a plastic processing machine which is not fully assembled but is transacted as a plastic processing machine with all essential sub-assemblies not fitted together and the machine is not ready to use.
 - ii. A plastic processing machine in completely knocked down stage which means a plastic processing machine in its incomplete or unfinished form, has the essential character of the complete machine when put together, and contains all critical components, barring widely used components.
 - iii. One or more sub-assemblies specifically meant for production of plastic processing machines.
9. The scope of the product under consideration excluded the following products:
 - i. Blow moulding machines classified under the Custom Tariff Act, 1975 under sub-heading. 8477 30 00.
 - ii. Vertical injection moulding machines.
 - iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, moulding closing, moulding opening, ejection, screw-drive etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without Hydraulic unit.
 - iv. Multi-colour/ multi-mould machinery for making footwear, rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Custom Tariff Act, 1975 under sub-heading 8453.
 - v. Second hand/used plastic processing machines.
10. The product under consideration is classified under Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 84771100 and 84779000. The interested parties highlighted that the customs classification mentioned was incorrect. A corrigendum was issued dated 28th August 2024 in which the subheadings were clarified as 84771000 and 84779000. It is noted that the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

11. Various issues have been raised with regards to the PUC, the scope of PUC, clarification regarding imports in CKD or SKD forms, specific exclusions from the scope of PUC, and PCN methodology. These issues have been dealt with hereunder.
12. A plastic processing machine, commonly known as an injection molding machine, is a specialized industrial machine used to manufacture plastic products by the process of injection molding. Injection molding is manufacturing process where molten plastic is injected into a mold cavity, cooled, and solidified to form a finished shape/product. Plastic processing machine offers the benefit of high production efficiency, and the ability to produce complex shapes with tight tolerances with minimal waste.
13. The plastic processing machines are manufactured in various sizes and capacities described in terms of clamping forces. The domestic producers as well as the foreign producers manufacture different types of plastic processing machines with different clamping force. Further, the machines can have additional features, as required by the customers for a particular application. Machines with different tonnage are used for molding different group of products.
14. The manufacturing process of the product under consideration can be broadly categorized into the following -
 - a. Fabrication of a large number of components to form a number of different sub-assemblies. A typical machine may have anywhere between 500 to 1500 different types of components, which are assembled into 10 to 15 sub-assemblies.
 - b. Assembly of various sub-assemblies into final machine
 - c. Testing and painting.
 - d. In case of large size machines, the assembled machine may be unassembled into few sub-assemblies for the purpose of transportation.
 - e. Packing & shipment.
15. The process of fabrication of components involves framing of (a) injection unit with screw, barrel and nozzle, (b) clamping unit using platens, tie bars and cylinders, (c) frame and base using welding, cutting, and CNC machining and (d) electrical and hydraulic systems.

16. Sample image of injection unit is given below: -



17. Sample image of clamping unit is as below: -





18. Sample image of machine base frame is given below: -



19. Once these sub-assemblies are manufactured, injection unit and clamping units are assembled to make complete machine. These sub-assemblies are mounted onto the machine frame and integrated with hydraulic and electrical systems. Control system is then installed to manage the machine's operations.

20. As part of the testing procedure, machines are tested for proper pressure, flow rates, and electrical connections. The machine is operated under simulated working conditions to ensure performance of injection pressure and clamping force.
21. Following are few illustrations of the complete plastic processing machinery produced by the participating domestic producers.





a. Scope of the product under consideration

22. The Authority invited comments from the interested parties on the scope of product under consideration and proposed PCN methodology. Thereafter, the Authority held deliberations with the interested parties on 30th April 2024 to finalize the scope of the product under consideration and the PCN methodology.
23. Some of the interested parties requested restricting the scope of the product under consideration to machines with clamping force upto 1500 tons. During the PUC/PCN meeting, the applicant accepted the contention of other interested parties in this regard. The scope of the product under consideration was thereafter restricted to machines with clamping force upto 1500 tons.
24. Interested parties contended that CKD, SKD and sub-assemblies/parts/ components of the product under consideration cannot be included within the scope of the product under consideration. Exclusion of these have been sought on the grounds that the scope of the product under consideration cannot include products which have not been imported into India.
25. The applicant has referred to the decision of M/s Huawei Technologies Co. Ltd. vs. Designated Authority, wherein it was held that the scope of product under consideration should be defined in a way that meets the intended objective.
26. The Authority notes the nature of the product and the production process. It is noted that the producers first produce a number of sub-assemblies and thereafter these are assembled into finished machine. The process involved in assembly of sub-assemblies does not involve significant production process, plant & equipment, manufacturing skills, investment, manpower. The core of production is in designing the machines and making a number of sub-assemblies. Further, as noted above, machines may be transported as ready-to-use fully assembled machines, or in more than one part and as a number of sub-assemblies. The Authority notes that the responding Chinese producers have reported exports of (i) completely knocked down (CKD) (ii) semi-knocked down (SKD) (iii) sub-assemblies and (iv) finished machines.

27. The Authority notes that the scope of the “product under consideration” has direct impact on the objective and purpose of the investigation and recommended measures. A wider scope of the product under consideration can lead to uncalled for remedy to the Indian industry, in addition to possible complexities in the conduct of the investigation and therefore implementation of the measures. At the same time, a narrow scope of the product under consideration may fail to meet the intended objective of addressing injurious dumping in the domestic market. A narrow scope of the product under consideration may not provide requisite remedy to the domestic industry and can result in continued injury to the domestic industry because of adoption of measures by importers/users to avoid the measures invoked.

28. It is noted that the product under consideration is a capital goods item. It is not necessary that capital goods are imported in a fully assembled and in ready-to-use condition. It may not even be feasible to do so for large size machines. For ease of transportation or other logistic considerations, the machines may be imported in the form of unassembled parts, which are then assembled post importation. Importing the machine in SKD form does not change the essential nature and characteristics of the finished product. The only difference between a fully assembled ready-to-use machine and an unassembled machine is the form in which they are imported.

29. Any user has the option to import either finished complete ready to use machine or import the machine in SKD or sub-assemblies form and assemble the same in India. It was seen at the time of physical verification that machines are seldom dispatched as a single item in fully assembled form. These are transported as sub-assemblies and then assembled at the consumer's place. It is also possible for the users to import the machine in SKD condition and assemble it at its factory. Therefore, the threat of imports of the product in unassembled or SKD form contended by the applicants is not an unsubstantiated assertion.

30. It is seen that a plastic processing machine comprises of large number of components. The number of components can be as low as 500 and as high as 1500. However, the clamping unit, injection unit and machine base frame form integral and necessary part of the product under consideration. Other sub-assemblies include items such as barrels, cable, strain rod, cylinders, platens etc. Assembly of unassembled parts (such as clamping unit, injection unit and machine base) into a complete machine is not a significant process and only involves joining parts together.

31. Considering the abovementioned justifications related to the nature of the product, its ease of assembly, form of transportation, retention of its characteristics and likeness in the unassembled/semi assembled form and high likelihood of circumvention, the Authority finds it appropriate to include completely knocked down (CKD) and semi-knocked down (SKD) machines and sub-assemblies in the scope of the product under consideration.

b. Clarification regarding imports in CKD and SKD form.

32. Interested parties have sought clarification on the meaning of CKD and SKD in so far as these concerns the scope of the PUC. The Authority therefore considers it appropriate to clarify the

meaning and interpretation of these terms in so far as scope of the product under consideration is concerned.

- a. Imports as Semi knocked down (SKD) means a plastic processing machine which is in incomplete or unfinished form, not fully assembled, but is transacted as parts of a plastic processing machine. These parts are not fitted together, and the machine is not ready to use. Imports in SKD form shall imply imports of all the SKD or sub-assemblies required for production of the product under consideration. Further, imports of complete clamping/clamp unit or complete injection unit with or without screw & barrel or machine base frame or fabrication frames/covers for injection moulding machines are essential sub-assemblies or SKD of the product under consideration and therefore imports of these sub-assemblies or SKD are within the scope of the product under consideration.
- b. Completely knocked down (CKD) means a plastic processing machine in its components form. Such components will have the essential character of the complete machine when put together. Imports in CKD form shall imply imports of all the components required for production of the PUC.

c. Specific exclusions from the scope of the product under consideration.

33. The interested parties have sought exclusion of nylon cable-tie moulding machines on the ground that the same was not being produced by the Indian industry. The domestic industry has provided sales invoices for sales made with respect to these. Therefore, it is not considered appropriate to exclude these from the scope of the investigation.
34. The following products are specifically excluded from the scope of the product under consideration: -
 - a. Blow moulding machines classified under Custom Tariff Act, 1975 under subheading 8477 30 04.
 - b. Vertical injection moulding machines.
 - c. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, moulding closing, moulding opening, ejection, screw-drive etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without hydraulic unit.
 - d. Multi-colour/multi-mould machinery for making footwear, rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Custom Tariff Act, 1975 under sub heading 8453.
 - e. Second hand/used plastic processing machines.
 - f. Imports of any standalone parts/components, other than those specified above.
 - g. Imports of clamping/clamp unit, injection unit with or without screw & barrel, machine base frame and fabrication frames/covers imported for production of a machine other than injection moulding machines.

d. PCN methodology

35. After considering the comments from the interested parties, the Authority, vide notification dated 8th July 2024, clarified the scope of the product under consideration and the PCN methodology for the purpose of providing information relevant to the present investigation and determination.

36. The interested parties had requested PCN based on power type, machine structure, types of material, clamping force, shot weight, tie bar distance etc. to be considered as PCN parameter.

37. It was seen that the request for PCN based on these parameters was also made in the previous anti-dumping investigations concerning the imports of these products where the Authority observed as follows: -

28. In this regard, the Authority notes that the parameters like Distance between tie-bars, maximum mold thickness, clamp stoke and injection shot weight are merely design parameters and therefore does not make the two products different. The Authority, however, notes that the Chinese exporters have failed to quantify with substantial evidence, the difference in such parameters at any stage of investigation. As regards the lesser weight of imported machine, the Authority is of the view that in a machine-like Plastic Processing Machinery, weight cannot be a pricing parameter since buyers pay for desired technology and features and not for the weight.

38. It is noted that the Authority had rejected the claims for different PCN in the previous investigations as well. The interested parties have not contended any new factual basis in the present investigation.

39. As regards shot weight as a PCN parameter, it was observed that the shot weight merely determines the weight of the output generated by the machine and does not form significant factor impacting the cost of production of the different types of products under consideration with different shot weight parameter, but the same clamping force. It is understood that shot weight and clamping force are inter-related parameters, and clamping force has already been treated as a PCN parameter. It is also seen that request for shot weight as PCN was also made in the previous investigation, but was not accepted.

40. As regards machine structure (two platen-three platen) as a PCN parameter, it is observed that these are dependent on the shot weight and are not a significant part of the cost of production. When shot weight itself is not a relevant factor for determination of PCN, machine structure in itself does not form basis for determination of a PCN parameter. It is seen that request for mechanical structure as PCN was also made in the previous investigation, but not accepted by the Authority.

41. As regards tie bar distance as a PCN parameter, it is observed that tie bar distance does not vary significantly within products of same clamping force. The share of tie-bar distance alone forms less than [***%] share in the overall cost of the product under consideration. Such being the case, changes due to different tie bar distance would be insignificant.

42. It was seen that the imports description of the product under consideration in the customs data does not have any distinguishing feature other than the clamping force.
43. The Authority after considering submissions from interested parties considered clamping force as the only relevant parameter for the purpose of determination of dumping margin and injury margin.
44. Considering the above, the Authority confirms scope of product under consideration for the purpose of present investigation as follows:

The product under consideration in the present investigation is Plastic processing machines (PPM) or Injection Moulding Machines, also known as injection presser, used for processing and moulding of plastic materials.

The scope of the product under consideration includes all kinds of plastic processing or injection moulding machines, having a clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1500 tonnes. The scope of the product under consideration includes machines in fully assembled, semi knocked down (SKD), complete knocked down form (CKD), or a combination of SKD & CKD. The scope is further clarified below –

- a. *A plastic processing machine in semi knocked down stage shall mean a plastic processing machine which is not fully assembled but is transacted as a plastic processing machine with parts or sub-assemblies not fitted together and the machine is not ready to use. A semi knockdown machine shall also imply sub-assemblies namely clamping/clamp unit, injection unit with or without screw & barrel, machine base frame and fabrication frames/covers imported for injection moulding machine.*
- b. *A plastic processing machine in completely knocked down stage shall mean a plastic processing machine in its incomplete or unfinished form, has the essential character of the complete machine when put together, and contains all components required for assembling the machines.*

45. It is noted that the domestic industry produces machines with different clamping forces. The machines produced by the domestic producers and supplied by the producers in the subject countries are technically and commercially substitutable and hence like articles. These product types are inter-se like products within their clamping force ranges. Machines of different clamping forces are produced using the same manufacturing facility with the same manpower and similar raw materials. Producers can thus interchangeably produce machines of different clamping forces and can readily switch from production of one type to the other. Accordingly, the Authority holds that the products produced by the domestic industry are 'like article' to the product imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by other interested parties

46. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the domestic industry and standing:

- a. Shibaura Machine Indian Private Limited and Milacron India Private Limited has imported the subject goods and made false statements and declarations in the application that they have not imported the product under consideration.
- b. Shibaura Machine Indian Private Limited has a related company - Shibaura Machine (Shanghai) Co Ltd. Shibaura Shanghai has exported the subject goods to its affiliated company in India.
- c. Manufacturing means the process of building or assembling something, especially in a factory. Thus, manufacturers who are assembling the parts/components and making final product shall be considered as manufacturers.
- d. Haitian is either producing or procuring the major components of the machines in India or from other Indian manufactures/vendors.
- e. The statement that Haitian import 100 machines each month and selling it in the Indian market is incorrect and baseless. Haitian is manufacturing 70-80% of the machines in India and only importing specialized machine which are not produced in India.
- f. Despite having other producers of subject goods in India, the domestic industry is only focused on limited producers which raises concern over completeness and fairness of the application.
- g. There are numerous other producers who are importing some parts and components from China and doing value addition here by purchasing certain parts in India similar to the domestic industry.
- h. When other interested parties raised self-import concerns, the domestic industry selectively declared some assemblies as excluded, implying only those were within scope. The domestic industry has imported these identified assemblies.
- i. Applicants cannot be considered as eligible domestic industry as they did not disclose that they have imported the product under consideration during the period of investigation from subject countries.
- j. The information filed by other producers through support letters must be reconciled with the information filed by the domestic industry in relation to the production of other producers.
- k. Domestic industry is producing and selling only complete machines in the market and is not selling components. Surprisingly, those producers who are producing and selling components in the merchant market are not included as domestic industry. This implies that there will be no selling price, no cost and no NIP available with the Authority.

1. There are at least 10 other producers apart from 19 other producers identified by the domestic industry. DGTR must examine whether the domestic industry constitute major proportion of total Indian production in India under Anti-Dumping Agreement.

D.2 Submissions made by the applicants.

47. The applicants have made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

- a. The present application has been filed by Plastics Machinery Manufacturers Association of India (PMMAI). Electronica Plastic Machines Limited, Milacron India Private Limited, Shibaura Machine Indian Private Limited and Windsor Machines Limited have provided the relevant data.
- b. The participating producers have not imported fully assembled injection moulding machines, machines in SKD/CKD form.
- c. Other producers namely, Avinya Machinery International Pvt. Ltd., Ghanshyam Eng. Co., JH-Welltec Machines (India) Pvt. Ltd., Moon Machinery e. Polymechplast Machines Ltd., Parth Engineering Works, Supermac Machinery and Swift Auxi Technik Pvt. Ltd. have supported the application.
- d. The participating producers are not related to any producer in the subject countries or any importer of the product in India. The participating producers account for more than 50% of Indian production.
- e. Haitian Plastic Machinery Group is the largest exporter of the product to India and has been exporting since 2000. When anti-dumping measures were imposed in 2005, the company reduced its exports and started an assembly unit in India which imported machines in SKD form, assembled them and supplied them to Indian consumers.
- f. When the measures expired in 2021, Haitian Plastic Machinery Group stopped their assembly operations completely and started importing complete machines. Haitian has imported the product in fully assembled and in CKD/SKD condition during the period of investigation.
- g. Haitian was shown as a domestic producer because of its assembly operations, which only ceased after 2021. The applicants have not considered Haitian in ascertaining domestic production. Based on the volume of its imports, Haitian should be considered an importer and not a producer.
- h. Shibaura Machine (Shanghai) Co. Ltd is not a producer of the product under consideration. They produce all electric machines which are outside the scope of the product.
- i. As regards the submission that there are 93 producers in India, the interested parties have not provided any information with regards to names & addresses, capacity, production, domestic sales, and the clamping force of these 93 producers.
- j. Standing under the rules is determined by production, not the number of producers. The interested party has not demonstrated that the applicant production does not constitute a

major proportion of Indian production. Majority of the other producers manufacture small machines with less than 40 tonnes of clamping force.

- k. Producers of subject goods means whether engaged in production of machines or sub-assemblies forming part of the subject goods are required to be considered as producers. However, if some company has produced one or more sub-assemblies and supplied the same to a machine manufacturer, the volume cannot be counted, as it would lead to double accounting.
- l. Haitian India is only a reseller and trader of subject goods in India. The import data shows that Haitian has imported around 900 plastic processing machines in the period of investigation.
- m. Despite initiation notification, Haitian has not showed any interest. Even if the Authority considers Haitian as other Indian producers for the purpose of standing, Haitian has not provided information on their production.

D.3 Examination by the Authority

- 48. The submissions made by the interested parties and the domestic industry concerning standing and scope of the domestic industry have been examined and addressed hereunder.
- 49. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

“(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' may be construed as referring to the rest of the producers.”

- 50. The application has been filed by the Plastics Machinery Manufacturers Association of India (PMMAI). The application was filed on behalf of the domestic producers of the product under consideration. Electronica Plastic Machines Limited, Milacron India Private Limited, Shibaura Machine India Private Limited and Windsor Machines Limited have provided information relevant to the present investigations and have specifically requested imposition of anti-dumping duty. The Authority notes that the production of the applicant companies constitutes 57% of the total Indian production of the like article in India.
- 51. The Authority has received letters from Avinya Machinery International Pvt. Ltd., Ghanshyam Engg. Co., JH-Welltec Machines (India) Pvt. Ltd., Moon Machinery, Polymechplast Machines Ltd., Parth Engineering Works, Supermac Machinery and Swift Auxi Technik Pvt. Ltd. supporting the present application.
- 52. As regards the contention that Shibaura Machine India Private Limited is related to the Shibaura Machine (Shanghai) Co Ltd., China, the Authority notes that Shibaura Machine

(Shanghai) Co Ltd., China is the producer of all electrical machines. The domestic industry has provided information on the exports made by the entity. It is seen that the producer has exported electrical machines which are outside the scope of the product under consideration in the present investigation. Therefore, for the purpose of present investigation, the Authority has considered Shibaura Machine India Private Limited as eligible domestic industry.

53. With regards to submissions that Shibaura Machine India Private Limited and Milacron India Private Limited have imported the product under consideration from the subject countries, the Authority has verified the DGCI&S transaction wise import data and found that Shibaura Machine India Private Limited and Milacron India Private Limited have not imported the product under consideration from the subject countries. These entities have imported components which do not form part of the product under consideration.
54. With regards to the contention raised by other interested parties that Haitian India is not the importer but a producer of the subject goods in India, it is noted that none of the opposing parties have provided evidence to substantiate their claims. Intimation was sent to Haitian India asking them to provide information such as details of production and sales of machines produced, bill of entry wise details of imports, details of plants and machinery installed etc. However, Haitian India has not provided reply to the information sought. Since they failed to provide any evidence, the Authority could not verify the authenticity of such claims.
55. As regards the contention of other interested parties about the existence of more domestic producers, the Authority observes that the legal requirement to determine standing is based on production volume, not on the number of producers. The other interested parties have not provided any evidence to demonstrate that the production of the petitioning domestic producers does not constitute a major proportion in Indian production or the petitioning domestic producers fail to meet the conditions outlined in Rule 5, read with Rule 2(b). Therefore, the Authority has not accepted the contention raised by the other interested parties.
56. The applicants are not related to any importer in India or exporter of the subject goods in the subject countries and have not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. The table below shows the share of the participating producers in the total estimated Indian production.

| SN | Particulars | UOM | Oct 22 to Sep 23 |
|----|---------------------------------------|-----|------------------|
| 1 | Production of participating producers | Nos | 3,895 |
| 2 | Other Indian producers | Nos | 2,925 |
| 3 | Total Indian Production | Nos | 6,820 |
| | Share in % | | |
| 4 | Applicant | % | 57.11 |
| 5 | Other Indian producers | % | 42.89 |

57. Therefore, having regard to the information on record, the Authority holds applicants constitute “domestic industry” within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and concludes that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS SUBMISSIONS.

E.1 Submissions made by other interested parties.

58. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.

- a. Applicants violated the Trade Notice 10/2018. They failed to provide actual information on production quantity, capacity utilization percentage, sales quantity, sales value, no. of employees, productivity per day, inventory, research & development expense, PBIT, interest / finance cost, depreciation.
- b. Applicants are habitual users of trade remedy investigations. They have enjoyed the benefit of anti-dumping duty for more than 10 years. The duty has served its purpose and is not warranted in future. The imports from the subject country have declined and are not causing injury to the applicants.
- c. Despite over 13 years of protection through anti-dumping duties, these domestic producers have failed to compete effectively in the market, indicating a reliance on these measures.
- d. Haitian is an interested party in the present investigation as the Authority notified all known interested parties of the subject matter vide email dated 3rd April 2024. The first email was sent to Haitian. Further, the domestic industry has themselves noted Haitian Huayuan Machinery (India) Pvt Ltd as other Indian producers.
- e. The domestic industry has failed to make the case for imposition of retrospective imposition of duty.
- f. The period of investigation considered by the Authority is inappropriate and does not accurately represent market conditions. The base year is affected by covid 19 and in 2021-22, there was lockdown and significant market disruption. 2022-23 shows return to normal condition with increase in imports rather than surge in imports.
- g. AIPMA has duly registered as an interested party vide letter dated 9th April 2024. Under Rule 6 (4), the Authority may request information. However, no such request was made to AIPMA, demonstrating that we have not neglected our obligations, contrary to the domestic industry’s allegations.
- h. AIPMA, CPIMA actively participated as an industry association, presenting arguments during the hearing and in written submissions dated 14th October 2024. AIPMA and CPIMA have been recognized in prior investigations, such as the Final Findings No. 6/26/2020-DGTR dated 9th August 2021 concerning "Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers" from China PR.

- i. There is no obligation for AIPMA and CPIMA to provide the documents referenced by the domestic industry, as they are specifically required of the applicant association. Reference placed on Manual of Operating Practices.

E.2 Submissions made by the applicants

59. The applicants have made following submissions: -

- a. Submissions made on confidentiality by the interested parties are belated. The Authority in the initiation notification stated that comments must be made within 7 days from the date of circulation of NCV of the application.
- b. Trade Notice 10/2018 requires information relating to sales value and profitability on an actual basis. However, the disclosure of information on actual basis would have led to disclosure of price and cost information which is sensitive in nature.
- c. CPMIA, AIPMA and OPPI have failed to comply with the obligations set out under Rule 6 and 7, thereby failing to establish themselves as interested parties in the present investigation. Additionally, the interested parties have failed to respond to the relevant questionnaires.
- d. CPMIA is not an association dedicated to the producers/exporters of the subject goods in China PR. Out of the 28 producer/exporters, only Chen De Plastic Machinery participated in the present investigation.
- e. The Customs Tariff Act, Anti-dumping Rules, and WTO ADA allow the domestic industry to request trade remedial measures against unfair imports causing injury. There is no limit to how often the industry can seek redress.
- f. As regards the submission that the demand in the period of investigation has recovered in the period of investigation and there is no surge, there is no justification for post-Covid demand shifting to China instead of the Indian industry. The increase in imports during 2021-22 and 2022-23 proves that Covid did not stop imports.
- g. Further, the Chinese producers have taken close to 1 year to deliver the machines. This delay in delivery contradicts their claims of quick lead times. Despite increased demand, Indian industry saw a decline in domestic sales, clearly indicating that imports are the cause.
- h. The Indian industry's product profile has remained similar over the injury period, with smaller machines requires much lower time compared to larger one. This demonstrates that the applicant lost sales volume, as profits on gross domestic sales declined sharply.
- i. Haitian has failed to register themselves as registered interested party as per Trade Notice 11/2018. Thus, submission of Haitian cannot be considered as they are not even registered.

E.3 Examination by the Authority

60. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

61. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

62. The submissions made by the applicants and the other interested parties concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

63. As regards the contention that the domestic industry is a habitual user of trade remedy measures and has enjoyed the benefits of the anti-dumping duty for more than 10 years, the Authority notes that there is no bar on the number of times domestic industry may seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters or no bar on the number of times anti-dumping duty is imposed. The recommendations for the imposition of the anti-dumping duty are made only after investigation by the Authority and when the requisite legal requirements are met.

64. The Authority notes that CPMIA has not provided information on the producers/ exporters of the subject goods in the subject countries who have authorized CPMIA to represent them in this investigation. Further, CPMIA, AIPMA and OPPI have not submitted a list of its members involved in the production of the product under consideration. AIPMA and OPPI have not

provided authorization letters from the members being represented. None of the members of AIPMA and OPPI have provided information in prescribed formats. The Authority notes that while the legal submissions made by these associations have been considered for the purpose of present investigation, the members of the associations are non-cooperative and the associations have not provided verifiable information relevant to determination of dumping, injury, causal link and impact of recommended anti-dumping duty on their members.

65. As regards the submissions on the appropriateness of the period of investigation and the increase in imports because of normalization of post Covid situation, the Authority notes that the demand for the product under consideration shows a consistent increase over the injury period. While significant surge is reflected in imports, the same does not hold good for the sales of the domestic industry. Thus, the Authority is unable to accept this contention.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F. 1 Submissions made by other interested parties.

66. The other interested parties have made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:

- Relevant provisions of protocol on China's accession to the WTO expired in 2016 and China can no longer be treated as non-market economy.
- Taiwan can be considered as a surrogate country for China. The normal value for the machinery should be constructed based on the information provided by cooperative exporters from Taiwan.

G.2 Submissions made by the applicants.

67. The applicants have made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:

- The exporters were required to establish that they were operating under market economy conditions. However, none of the Chinese producers have filed for MET. Hence, in the absence of MET, the normal value should be determined on the basis of price payable in India.
- The exports made by Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co. Ltd. to India increased 400% compared to previous year, while the exports to other countries and domestic sales sharply declined.
- The exports made by Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co. Ltd. to India increased 300% since the previous year, while the exports to other countries increased only by 3% and domestic sales sharply decline.
- The exports made by Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co. Ltd. to India increased by over 15 times in the POI, while the exports to other countries increased only by 1% and domestic sales increased only by 10%. Export sales to India increased

by 32% compared to the previous year, while export sales to other countries increased by only 4%.

- e. The exports made by Yizumi Machinery (Suzhou) Co. Ltd. to India increased 383% compared to previous year, while the exports to other countries and domestic sales decline of 27% and 15% respectively.
- f. Questionnaire responses submitted by Engel Machinery (Shanghai) Co. Ltd., Engel Machinery (Changzhou) Co. Ltd. and Huarong Plastic Machinery Co. Ltd. are incomplete as they have not filed appendix 6-10. They should be considered non-cooperative and not be granted individual dumping margins.
- g. The Authority does not consider a country forming part of subject countries as surrogate country.
- h. As regards normal value for China based on data of Taiwan producer, the product profile of Taiwan is very limited as compared to China. Even where there are some products imports from Taiwan, the volume of imports in these PCNs are quite low as compared to imports from China.
- i. The interested parties have not provided sufficient information to demonstrate that Taiwan is an appropriate market economy for China. Despite China's producers participating in the investigation, no information on capacity, demand, level of development has been provided.

G. 3 Examination by the Authority.

68. The response to exporters questionnaire has been filed by the following producers/exporters:

- i. Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co. Ltd., China
- ii. Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co. Ltd., China
- iii. Chen Hsong Machinery Co. Ltd., China
- iv. Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co. Ltd., China
- v. Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co. Ltd, China.
- vi. Engel Machinery (Changzhou) Co. Ltd, China.
- vii. Engel Machinery (Shanghai) Co. Ltd, China
- viii. Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co. Ltd, China
- ix. Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co. Ltd, China
- x. Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co. Ltd, China
- xi. Yizumi High Speed Packaging Technology Co. Ltd, China
- xii. Yizumi Precision Machinery (HK) Co. Ltd, China
- xiii. Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co. Ltd, China
- xiv. Yizumi Precision Molding Technology Co. Ltd, China
- xv. Asian Plastic Machinery Co Ltd, Taiwan
- xvi. Chen Hsong Machinery Taiwan Co. Ltd, Taiwan
- xvii. Huarong Plastic Machinery Co., Ltd Taiwan

G. 3.1 Determination of Normal value and Export Price

a. Normal value for China PR

69. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti - Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) The importing WO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date*

of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

70. The applicants have relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The applicants claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production, and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.

71. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.

72. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.]"

73. The Authority notes that while the interested parties have suggested consideration of Taiwan as a surrogate market economy country, it has not provided any information on how Taiwan

is an appropriate market economy country, particularly when Taiwan is also subject to investigation. An appropriate market economy in a third country can only be selected, keeping in view the level of development of the country and the product in question. Since none of the interested party has provided information in this regard, and further since Taiwan is subject to investigations, the normal value cannot be determined on this basis.

74. The Authority notes that none of the interested parties have provided any information with regard to domestic price, constructed value or export price of the product in an appropriate market economy third country. The Authority notes that it is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by the interested parties. Since neither the domestic industry nor the interested parties have provided any verifiable information, the normal value could not be determined on this basis. Therefore, the normal value for China PR has been determined based on price actually paid or payable in India for the like article. The normal value has been determined considering the cost of production in India after addition for the selling, general & administrative expenses, and the reasonable profits. Further, in view of PCNs considered, the Authority has determined PCN wise normal value.

Export price for China PR

- a. Chen Hsong Group from China
- 75. The Authority notes that seven group companies have filed response.
 - a. Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co., Ltd., Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd., Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co., Ltd. and Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co., Ltd. are the four producers of the product under consideration.
 - b. Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co., Ltd. and Chen Hsong Machinery Co Ltd are the two exporters of the product group.
 - c. Chen Hsong Machinery (India) Private Limited is the related entity in India which also has filed a response.
- 76. From the questionnaire response, it is seen that only Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co., Ltd., Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co., Ltd. and Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd. have exported the product under consideration to India.
- 77. It is seen that the producer has reported *** machines to India during the period of investigation.
- 78. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, credit cost and other deductions to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level. The adjustment claimed has been allowed. The export price is mentioned below in the dumping margin table.
- b. Yizumi Group
- 79. The Authority notes that six group companies have filed response.

- a. Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co., Ltd.,
- b. Yizumi High Speed Packaging Technology Co., Ltd
- c. Yizumi Precision Molding Technology Co., Ltd.,
- d. Yizumi Precision Machinery (HK) Co., Limited
- e. Yizumi Precision Machinery (India) Private Limited,

80. It is seen that the producer has reported *** machines to India during the period of investigation. The producer has sold directly to Indian customers as well as exported through its related exporters in other countries and through related importers in India.

81. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, credit cost and other deductions to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level. The adjustment claimed has been allowed. It is seen that the related importer in India has sold at losses. In view of the consistent practice of the Authority, the loss and the selling, administrative and general expenses have been adjusted in the net export price. The net export price so determined has been given below.

c. Fu Chun Group

82. The Authority notes that six group companies have filed response.

- a. Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co., Ltd.
- b. Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co., Ltd.,
- c. FCS Manufacturing (India) Private Limited, India.

83. It is seen that the producer has reported *** machines to India during the period of investigation. The producer has sold directly to Indian customers as well as through related importers in India.

84. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, credit cost and other deductions to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level. The adjustment claimed has been allowed. It is seen that the related importer in India has sold at losses. In view of the consistent practice of the Authority, the loss and the selling, administrative and general expenses have been adjusted in the net export price. The net export price so determined has been given below.

d. Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd

85. The Authority acknowledges that Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd has participated in the current investigation, along with the related producers, Husky Injection Molding Systems SA and Husky Canada.

86. The Authority notes that the questionnaire response submitted by the producer was delayed. A communication was sent to the producer stating the following:

It is informed that the Authority had given to all interested parties to file the respective EQR/IQR/UQR/EIQ till 17.08.2024 on the subject above. Your response was received

on 18.08.2024; accordingly, the Authority has treated your responses as being time barred and has not accepted your responses.

87. The producer did not contact the Authority after receiving the above notice. No explanation was provided for the late submission. Subsequently, the producer filed a writ petition in the High Court of Delhi. In the ruling of W.P.(C) 1378/2025 & CMAPPLs.6731-33/2025, the Hon'ble High Court directed the following:

9. Accordingly, in terms of the facts of the present case, the response to the questionnaire is directed to be taken on record. The delay, if any, in filing the same is condoned. The enquiry shall now proceed in accordance with law.

88. In the initiation notification, participating interested parties were given the following instructions for submitting their responses:

All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS-Excel format.

89. Husky Group has only submitted their response in PDF format. No Excel files have been provided for Appendix 1 to Appendix 10.

90. Post the issuance of the disclosure statement, Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd. from China had filed a Writ Petition in the High Court of Delhi. The producer challenged the disclosure statement on the ground that the verification of the material filed has not been done in accordance with the law.

91. Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd. was given time till 21st March 2025. The producer has since completed the prescribed requirements. Therefore, in view of the directions given by the Hon'ble High Court of Delhi, the information provided by the producer has been examined.

92. Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd. has claimed market economy treatment but has not established that it is free from any government intervention being located in China. It is noted that the information provided by the exporter does not conclusively establish that the decisions of the company regarding prices, costs and inputs, including cost of output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard. Therefore, the Authority does not find it appropriate to grant market economy treatment to the producer.

93. It is seen that the producer has reported exports of *** machines from China to India. The producer has claimed ocean freight, inland transportation, insurance and credit cost as adjustment to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level. The

adjustment claimed has been allowed. The export price is mentioned below in the dumping margin table.

e. Engel Machinery (Shanghai) Co., Ltd.

94. It was observed that the transactions reported in Appendix 3 A do not allow for the identification of the product exported by the producer. It could not be inferred if the product exported was product under consideration or non-product under consideration. Additionally, the producer failed to assign proper PCNs to these transactions. It was also seen that while the transactions were either at FOB or CIF level, information on expenses pertaining to domestic insurance, port and other related expenses was not provided. While the producer has provided delivery terms, it is seen that no adjustment of credit cost has been provided. The producer has also not provided backup documents for the adjustments claimed in the export price calculation.

95. In the initiation notification, participating interested parties were given the following instructions for submitting their responses:

All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS-Excel format.

96. Engel Machinery (Shanghai) Co., Ltd. has only submitted their response in PDF format. No Excel files have been provided for Appendix 1 to Appendix 10. The Authority observes that the response submitted by the producer did not provide enough clarity for a reasonable assessment of the individual dumping margin. Accordingly, the Authority has not granted individual dumping margin.

ii. Normal value and export price from Taiwan

i. Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd.

97. The Authority notes that three group companies have filed response.

- Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd
- Asian Plastic Machinery Co., Ltd.
- Chen Hsong Machinery (India) Private Limited

98. It is seen that the producer has reported *** machines to India during the period of investigation. The producer has sold directly to Indian customers as well as through related importers in India.

99. It is noted that the domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal

value. Where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, only profitable domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.

100. The producer has claimed adjustments inland transportation, credit cost and commissions. Accordingly, PCN-wise weightage average of normal value for Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd., Taiwan, has been determined, and the same is mentioned in dumping margin table.
101. It is noted from the response that Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd., Taiwan, has sold *** machines to unrelated customers in the domestic market. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of inland transportation and FCL charges to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

ii. Huarong Plastic Machinery Co., Ltd.

102. In the initiation notification, participating interested parties were given the following instructions for submitting their responses:

All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS-Excel format.

103. Huarong Plastic Machinery Co., Ltd has only submitted their response in PDF format. No Excel files have been provided for Appendix 1 to Appendix 10.
104. In view of the directions given by the Hon'ble High Court of Delhi in a similar matter, the information provided by the producer has been examined. It is seen that the producer has reported domestic sales of exports of *** machines from China to India and the comparable machines has also been sold in its domestic market. The producer has claimed ocean freight, inland transportation, insurance and credit cost as adjustment to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level. The adjustment claimed has been allowed. PCN wise normal value and export price have been compared, and the dumping margin is shown in the table below.

Dumping margin table

| SN | Producer | Normal value | Export price | Dumping margin | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------|----------|
| | | USD per machine | | % | (Range) | |
| A | China | | | | | |
| 1 | Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co., Ltd. and Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | 40-50% |
| 2 | Chen Hsong Machinery Co Ltd, Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co., Ltd, Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co., Ltd., Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co., Ltd, Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd., Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | 40-50% |
| 3 | Yizumi Precision Molding Technology Co., Ltd., Yizumi High Speed Packaging Technology Co., Ltd, Yizumi Precision Machinery (HK) Co., Limited, Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | 55-65% |
| 4 | Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd., China | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 5 | Any other producer | *** | *** | *** | *** | 60-70% |
| B | Taiwan | | | | | |
| 1 | Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 40-50% |
| 2 | Huarong Plastic Machinery Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 3 | Any other | *** | *** | *** | *** | 50-60% |

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**G. 1 Submissions made by other interested parties**

105. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- There is a significant demand-supply gap in India. The domestic industry can produce only 5,100 units, while demand is at 7,956 units, with actual production at just 3,896 units.
- There is a significant increase in interest costs and depreciation expenses without any corresponding increase in capacity or production levels.

- c. There is no volume effect, as the increase in imports from the subject countries is minimal and driven by overall demand growth in India.
- d. There are no claims of price suppression, undercutting, or underselling. Import prices have increased with a marginal decline in profits.
- e. Demand has increased by 38%, and domestic industry sales have increased by 21%.
- f. The capacity utilization of the domestic industry increased and is more than the base year.
- g. The increase in the selling price of the applicants is higher than the increase in the cost of sales and selling price of imports.
- h. There has been no addition to the capital employed. Despite that, the return has significantly increased, which indicates that applicants have obtained a very high rate of return.
- i. The applicants have included components in their claim without providing information from companies producing and selling components in the merchant market. Since these companies did not submit data, it's unclear how the applicant claimed injury on components.
- j. Market share of the subject countries increased due to post covid order in pipelines.
- k. The applicant's claims that comparison of imports and performance of the domestic industry with 2020-21 will not be appropriate must be rejected as it is made without any justification and evidence.
- l. The domestic industry is struggling to fulfill orders, with some suppliers unable to deliver for nearly a year. This prolonged delay highlights the urgent need for alternatives, such as imports.
- m. Despite protection, domestic industry is not able to scale up their operations adequately to capture the opportunity available in the market. This shows that imports are not affecting the domestic industry performance.
- n. Domestic industry has received sufficient protection from imports. The injury to the domestic industry is due to inter-se competition.
- o. The imports from Taiwan should not be cumulated as the conditions of competition between the imports from China and Taiwan are different. The machines imported from Taiwan have only 19 types of clamping force. Whereas for China PR there are 95 types of clamping force of the machines imported.
- p. The volume of imports from Taiwan has significantly decreased in the last two years of the injury period. On relative basis, the volume of subject imports in relation to production and consumption is very limited.
- q. The domestic industry has not given any information on price undercutting. The domestic industry's cost of sales has increased, the domestic industry was able to increase its selling price in consonance with the cost of sales.

- r. The capacity utilization of domestic industry has been more than 80% in the injury period.
- s. Domestic sales continuously increased in the injury period and decline in POI.
- t. Domestic selling price has continuously and significantly increased in the injury period.
- u. The domestic industry's financial parameters show healthy profits rather than any losses.
- v. Machines with smaller clamping force generates lower profit as compared to larger ones. With increased demand for smaller machines, the applicants' profits declined, though they continue to earn significant profits.
- w. The Annual Reports of Windsor Machines Pvt. Ltd. identifies several other factors such as operational risks including balancing supply and demand, securing and retaining essential talent, and addressing IT and machine technology advancements and exposure to foreign exchange risk etc. which are causes of injury.
- x. The application deliberately fails to address a number of crucial issues which had an impact on the domestic industry independently from the imports originating in the country concerned. Such reasons include internal problems, depressed market conditions globally, fluctuations in the price of raw materials, impact of the pandemic COVID-19, Russia Ukraine War etc.

G.2 Submissions made by the applicants

106. The applicants have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- a. Any comparison of performance of domestic industry during POI with 2020-21 will not be appropriate as the performance that year was impacted by COVID lockdown imposed in some months. Demand for the product was impacted owing to uncertainties and disruptions in the market.
- b. April 2020 to September 2020 was included in the period of investigation in the anti-dumping investigation concerning imports from China where the Authority found the industry to be suffering due to dumped imports.
- c. Demand was low in the base year due to COVID-19, and it increased throughout the injury period.
- d. Demand for product marginally declined during the period of investigation but the low-priced subject imports continued to increase so significantly that they now exceed the rate at which demand has risen.
- e. The volume of imports increased throughout injury period and in period of investigation. The volume of imports increased by almost 5 times in the POI compared to the base year.
- f. The data for the base year was the basis for the recommendation of anti-dumping duty by the Authority wherein 250 machines constituted increase in imports. The number of machines has increased further.

- g. In value terms, the imports have increased from Rs. 91 Cr. in the base year to almost Rs. 500 Cr. in the period of investigation. Till 2022-23, the rate of increase of import volume and value was proportionate. But in period of investigation, the import volume shot up disproportionately as compared to the import value and the import price has declined.
- h. The market share of subject imports has increased consistently throughout injury period and in the period of investigation. While market share of domestic industry has declined consistently over the injury period with a marginal increase during the period of investigation.
- i. The production and capacity utilization and domestic sale of domestic industry has declined during the period of investigation.
- j. The inventories of the domestic industry have sharply increased during the POI compared to the previous and base year. Despite being the product as capital goods, the domestic industry suffered from accumulated inventory.
- k. The landed price of imports is significantly below the selling price of the domestic industry.
- l. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of subject imports is also below the cost of the domestic industry.
- m. While the cost of production of the domestic industry has increased in the POI, the selling price has not increased to represent the same. The landed price of imports has declined sharply during the same period. The imports are suppressing the prices of the domestic industry.
- n. The profits in 2020-21 was impacted by COVID-19 and dumping. Though the situation improved in 2021-22, the profitability of domestic industry declined by almost 50% in POI compared to the previous year. Similarly, the cash profit, PBDIT, and ROCE have also declined.
- o. The industry is labor-intensive. The participating producers employ more than 200 people and pay around Rs. 132 Cr. in wages to these employees. The employment levels and wages have increased over injury period. Productivity has remained stagnant.
- p. Participating producers are not of MSME segment, but there are other MSME producers which cannot continue to pay employees when they are also suffering from low priced imports.
- q. The growth of the domestic industry has been static and is nowhere near the level it should have been as the entire increase in demand has been taken away by the imports.
- r. The price parameters have recorded negative growth, and the industry has lost close to Rs. 900 cr. of market in the period of investigation.
- s. Due to the decline in domestic industry's profitability, the ability to raise capital investment has severely impacted. Indian industry is majorly from MSME segment which cannot continue to inject funds into the business if it is not reasonably profitable.

- t. The market share of subject imports increased from less than 4% in the base year to 19% in the POI. Subject imports increased their market share by eating into the share of Indian producers.
- u. As regards submission on significant fluctuation in capital employed, the plants producing plastic processing machines are not capital-intensive. The average capital employed per machine is under Rs [***], while the cost per machine is around Rs [***]. As a result, even small changes in profitability significantly impacts the return on capital employed.
- v. Contrary to the submission of the other interested parties that the industry has capacity of 5,100 units, the Indian industry has a total capacity of 12,000 units, against a domestic demand of 8,000 units.
- w. Contrary to the submission that the depreciation has increased, the depreciation has declined over the injury period. While the depreciation cost has increased in the period of investigation, the cash profit has declined at a much higher rate.
- x. As regards the submission that the interest cost has increased, the interest cost has increased by only Rs [***], while the profit before interest has declined by Rs [***].

G.3 Examination by the Authority

- 107. The Authority has taken note of the various submissions made by the interested parties, including the domestic industry, and has analyzed them considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
- 108. With regard to the submission made by other interested parties for consideration of return of 22% for determination of non-injurious price is not appropriate, the Authority notes that relevant guidelines in this regard are well laid down under Annexure III of the Anti-Dumping Rules. The Authority has consistently allowed 22% return on capital employed and the same has been adopted in the present investigation as well.
- 109. With regards to the contention raised by other interested parties that the decline in profitability is because of the significant increase in the interest costs and depreciation expenses, the Authority notes that the depreciation cost of the domestic industry has declined over the injury period. While the interest cost has increased in the period of investigation, the profit before interest has declined during the same period, which establishes decline in profitability even if the interest costs are considered at past levels. Therefore, the contention of the other interested parties that the decline in profitability is because of the increase in interest cost and depreciation is not correct. It is also noted that interest and depreciation costs are integral part of the operations of the company as regards product under consideration and therefore increase in these costs do not fall under the category of “other factors”.
- 110. The applicants have stated that performance in the period of investigation must be compared with 2021-22 and 2022-23 and not with the base year 2020-21. The Authority notes the profit of the domestic industry was significantly low in 2020-21. The year 2020-21 was the period

of investigation of previous investigation wherein the Authority recommended imposition of measures. Further, the period was also impacted by dumping and no interested party has disputed the contention of the applicants.

111. As regards the submissions on data of sub-assemblies produced and sold by the participating producers, the Authority notes that these are part of the complete machines sold by the participating producers. These products do not have any other independent use. Including sub-assemblies produced and sold separately in the injury analysis would result in double-counting. Similarly, the cost of these sub-assemblies also forms part of the cost of complete processing machines sold by the participating producers. Therefore, there is no need for inclusion of data of sub-assemblies in the injury data of the participating producers.
112. As regards factors of injury identified in the annual report by Windsor Machines Limited, the Authority notes that the annual report of the company pertains to the company as a whole and not solely for the product under consideration. Therefore, statements made in annual reports cannot be relied upon for the purpose of present investigation.
113. With regards to the contention raised by other interested parties that the injury is due to the internal problems, depressed market conditions globally, fluctuations in the prices of raw materials, impact of Covid 19, Russia Ukraine conflict etc., the Authority notes that the other interested parties have made generic statements and have not produced any evidence to substantiate their claims, nor established existence of these factors impacting the performance of the domestic industry, nor quantified impact thereof. The Authority has considered the data of the domestic industry for domestic operations only and the demand in the domestic market shows an increase in the period of investigation. Therefore, the Authority is unable to accept this contention.

a. Cumulative Assessment

114. Para (iii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

115. The Authority notes that:

- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de-minimis limits prescribed under the Rules.
- b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- c. Cumulative assessments of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

116. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.

117. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-11 thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

118. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.

b. Assessment of demand/apparent consumption

119. The Authority has determined demand/apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the participating producers, sum of domestic sales of other Indian producers and imports from all sources.

| SN | Particulars | UOM | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|----------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | Domestic industry | Nos | 2,973 | 3,764 | 3,768 | 3,607 |
| 2 | Other producers | Nos | 2,160 | 2,740 | 2,715 | 2,635 |
| 3 | Imports from subject countries | Nos | 177 | 499 | 748 | 1221 |
| 4 | Imports from other countries | Nos | 273 | 615 | 890 | 1367 |
| 5 | Total Demand | Nos | 5,583 | 7,618 | 8,121 | 8,830 |

120. It is seen that the demand for the product under consideration increased over the injury period.

G.3.1 Volume and price effect of dumped imports on the domestic industry


a. Import volume from subject countries

121. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data. The information is as below:

| S N | Particulars | UOM | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|------------------|
| 1 | Imports from subject countries | Nos | 177 | 499 | 748 | 1221 |
| 2 | Imports from subject countries | Rs lacs | 6,939 | 20,343 | 27,996 | 37,149 |
| 3 | Subject countries import in relation to: - | | | | | |
| 4 | Indian production | % | 3.09% | 6.77% | 10.45% | 17.90% |
| 5 | Consumption | % | 3.17% | 6.55% | 9.21% | 13.83% |
| 6 | Total Imports | % | 39.33% | 44.79% | 45.67% | 47.18% |

122. It is seen that:

- a. The volume of subject imports increased consistently and significantly over the injury period. The volume of imports has increased by more than 5 times over the injury period.
- b. The value of imports has increased from Rs 69 cr. in the base year to Rs 371 cr. in the period of investigation. The value of imports has increased by more than 4 times over the injury period.
- c. The imports from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to Indian production and consumption.
- d. The imports from subject countries hold major share in the total imports in India throughout the injury period.



123. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as

compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries with reference to the price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price undercutting

124. The price undercutting has been determined PCN wise and thereafter for the product under consideration as a whole by taking weighted average using associated import volumes.
125. The landed price of imports for the purpose has been determined clamping force-wise. Further, in order to ensure fair comparison between the import price and selling price of the domestic industry, the selling price of the domestic industry has been considered for the comparable PCN. Weighted average price undercutting has been determined considering price undercutting for machines clamping force-wise and their associated import volumes. The transactions were clamping force was not identifiable, have not been considered. It is also seen that there is difference in the profile of product exported from China and Taiwan. While the imports from Taiwan are primarily of lower clamping force machines, the imports from China have been of vide range of clamping force.
126. The table below shows price undercutting for China PR, Taiwan and subject countries as a whole.

| SN | Particulars | UoM | China | Taiwan | Subject countries as whole |
|----|--------------------|-----------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | Landed price | ₹ Lacs/No | *** | *** | *** |
| 2 | Price undercutting | ₹ Lacs/No | *** | *** | *** |
| 3 | Price undercutting | ₹ Lacs/No | 30-40% | 10-20% | 30-40% |

127. It is seen that the weighted average landed price of subject imports in the period of investigation is significantly below the selling price of domestic industry resulting in positive price undercutting.

b. Price suppression/depression

128. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices of the all types of product under consideration sold by the domestic industry over the injury period are examined as below:

| SN | Particulars | UOM | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|----|---------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------|
| 1 | Cost of sales | ₹ Lacs/No | *** | *** | *** | *** |
| 2 | Trend | Index | 100 | 106 | 116 | 121 |
| 3 | Year on year change | ₹ Lacs/No | | *** | *** | *** |
| 4 | Selling price | ₹ Lacs/No | *** | *** | *** | *** |
| 5 | Trend | Index | 100 | 111 | 119 | 121 |
| 6 | Year on year change | ₹ Lacs/No | | *** | *** | *** |

129. It is seen that:

- The cost of sales and selling price further increased in 2022-23. While the selling price did not increase at the same rate, the domestic industry was still able to record profits.
- In the period of investigation, while the cost of sales and selling price of the domestic industry increased, the selling price did not increase in tandem with the increase in the cost of sales. The period also saw significant increase in the import volume.
- While the cost of sales has increased over the injury period, the selling price has not increased at the same rate. Therefore, the prices of the domestic have been suppressed in the period of investigation.

H.3.2 Economic parameters of the domestic industry

130. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively considering various facts and arguments made by the interested parties in their submissions:

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

131. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

| SN | Particulars | UOM | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|----|----------------------|-----|---------|---------|---------|------------------|
| 1 | Capacity installed | Nos | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 2 | Production – Total | Nos | 3,386 | 4,361 | 4,250 | 4,067 |
| 3 | Capacity utilization | % | 66% | 86% | 83% | 80% |
| 4 | Production – PUC | Nos | 3,280 | 4,228 | 4,115 | 3,895 |
| 5 | Domestic sales | Nos | 2,973 | 3,764 | 3,768 | 3,607 |
| 6 | Export sales | Nos | 331 | 453 | 316 | 271 |

132. It is seen that:

- The capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.
- Production, sales and capacity utilization increased in 2021-22. Production and capacity utilization declined in 2022-23, but sales increased marginally. Production and domestic sales have declined in the period of investigation.
- While the production and domestic sales has increased as compared to the base year (2020-21), the operations of the industry in that year were impacted by Covid and dumping from China PR.
- Despite the increase in demand, the domestic sales of the domestic industry have declined in the period of investigation.

b. Market share

133. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry and the subject countries as under.

| SN | Market share of | UOM | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|----|----------------------------|-----|---------|---------|---------|------------------|
| 1 | Domestic industry | % | 53% | 49% | 46% | 41% |
| 2 | Other producers | % | 39% | 36% | 33% | 30% |
| 3 | Indian industry as a whole | % | 92% | 85% | 80% | 71% |
| 4 | Subject countries | % | 3% | 7% | 9% | 14% |
| 5 | Other countries | % | 5% | 8% | 11% | 15% |

134. It is seen that the market share of the subject imports has consistently increased throughout the injury period and with a significant increase in the period of investigation. The market share of domestic industry has consistently declined. The market share of the domestic industry has declined as compared to base year as well as previous year. The market share of the Indian industry as a whole has also declined.

c. Inventories

135. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| SN | Particulars | UOM | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|----|--------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | Opening Inventory | Nos | *** | *** | *** | *** |
| 2 | Closing Inventory | Nos | *** | *** | *** | *** |
| 3 | Average Inventory | Nos | 22 | 16 | 37 | 43 |

136. It is seen that despite the product being a capital good, primarily sold on the basis of confirmed purchase orders, the domestic industry average inventories significantly increased in 2022-23 and further increased in the period of investigation. The domestic industry recorded the highest average level of inventory in the period of investigation.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed

137. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

| SN | Particulars | UOM | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|----|---------------|--------------|---------|---------|---------|------------------|
| 1 | Profit/(Loss) | ₹/Nos | *** | *** | *** | *** |
| | <i>Trend</i> | <i>Index</i> | 100 | 286 | 218 | 127 |
| 2 | Profit/(Loss) | ₹ Lacs | *** | *** | *** | *** |
| | <i>Trend</i> | <i>Index</i> | 100 | 362 | 276 | 154 |
| 3 | PBIT | ₹ Lacs | *** | *** | *** | *** |
| | <i>Trend</i> | <i>Index</i> | 100 | 358 | 283 | 177 |
| 4 | Cash Profit | ₹ Lacs | *** | *** | *** | *** |
| | <i>Trend</i> | <i>Index</i> | 100 | 197 | 142 | 96 |
| 5 | ROCE | % | *** | *** | *** | *** |
| | <i>Trend</i> | <i>Index</i> | 100 | 368 | 259 | 175 |

138. It is seen that:

- The year 2020-21 was part of the period of investigation of previous investigation wherein the Authority recommended imposition of measures. The profitability of the domestic industry was low due to the effect of dumping.
- Profitability of the domestic industry improved in 2021-22.
- As low-priced imports increased in 2022-23, the domestic industry's profits, cash profit and return on capital employed declined.
- The financial profits, cash profits and profit before interest and tax have steeply declined by almost 50% in the period of investigation.
- The return on investment improved in 2021-22 and has declined thereafter declined significantly till the period of investigation.

e. Employment, wages and productivity

139. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| SN | Particulars | UOM | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|----|---------------------------|----------|---------|---------|---------|------------------|
| 1 | No of employees | Nos. | 1,898 | 2,003 | 2,049 | 2,093 |
| 2 | Productivity per day | Nos. | 9 | 12 | 12 | 11 |
| 3 | Productivity per employee | Nos. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Wages | Rs. Lacs | 12,305 | 10,355 | 11,418 | 11,304 |

140. It is seen that:

- The level of employment and salary & wages of the domestic industry improved in the period of investigation.

b. Productivity per day and productivity per employee of the domestic industry has marginally declined in the period of investigation.

f. Growth

141. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per given table below:

| SN | Particulars | UoM | 2021-22 | 2022-23 | Oct 22 to Sep 23 |
|----|-----------------------|-----|---------|---------|------------------|
| 1 | Capacity | % | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Production | % | 29% | -3% | -4% |
| 3 | Domestic sales | % | 29% | -3% | -5% |
| 4 | PBT in ₹ Lacs | % | 27% | 0% | -4% |
| 5 | PBIT in ₹ Lacs | % | 262% | -24% | -44% |
| 6 | Cash Profit in ₹ Lacs | % | 258% | -21% | -38% |
| 7 | ROI | % | 97% | -28% | -32% |

142. The growth of the domestic industry during the period of investigation and preceding year has been negative on various volume and price parameters as compared to previous year.

g. Magnitude of dumping

143. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

h. Ability to raise capital investment

144. The Authority notes that due to the significant decline in profitability and decline in the return on capital employed, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been impaired.

i. Factors affecting domestic prices.

145. Examination of the clamping force wise import price shows that the import price from the subject countries is materially below the cost of sales of the domestic industry. As imports from the subject countries increased, the domestic industry has been unable to align its prices in line with the increase in the cost of sales. The fact that the imports are entering Indian market below the selling price of the domestic industry and the domestic industry has suffered from significant decline in the profitability itself establishes the adverse impact of the dumped imports. Therefore, the imports from the subject countries have affected the prices of the domestic industry.

G.3.3 Conclusion on injury

146. On the basis of the above, the following conclusions have been drawn:

- a. Imports from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.
- b. The imports have increased more than the increase in demand.
- c. Analysis of PCN wise data shows that import price is below the selling price of the domestic industry resulting in positive price undercutting.
- d. The prices of the domestic industry have been suppressed in the period of investigation.
- e. Production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry have declined significantly in the period of investigation as compared to preceding year.
- f. The market share of the subject imports has increased, while that of domestic industry has declined. The market share of the Indian industry has also declined.
- g. Domestic industry's profits, cash profits and return on capital employed have declined during the period of investigation.
- h. Despite being the product being capital goods, the inventory levels with the domestic industry have increased in the period of investigation.
- i. The growth of the domestic industry is negative in the period of investigation on all volume and price parameters.

H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

147. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

148. Imports from the subject countries constitute significant share in the total imports into India. The imports of the subject goods from other countries are at higher prices and hence are not causing injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

149. It is seen that the demand for the subject goods has increased in the period of investigation compared to the base year as well as the previous year. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to contraction in demand.

c. Changes in the pattern of consumption

150. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. Trade restrictive practices

151. No interested parties have produced any evidence relating to any possible trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that trade restrictive practice has not caused injury to the domestic industry.

e. Development of technology

152. The Authority notes that there is no evidence that technology for the production of the subject goods has undergone change over the injury period. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

f. Export performance

153. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

g. Performance of other products

154. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

I. CONCLUSION ON INJURY AND CAUSAL LINK

155. Considering the performance of the domestic industry over the injury period, various information on record, and analysis hereinabove, the Authority concludes as below:

- a. The imports from the subject countries are at dumped prices.
- b. The volume of dumped imports from the subject countries have increased over the injury period and hold a significant share of the domestic demand.
- c. With an increase in dumped imports, the market share of the domestic industry has declined.

- d. While the demand for the product under consideration increased, the domestic sales have declined.
- e. With the decline in the domestic sales of the applicant, the production has also declined.
- f. Imports below the prices of domestic industry have prevented it from charging adequate remunerative prices.
- g. Price undercutting and price suppression have adversely impacted the profits, cash profits and return on investment of the domestic industry.
- h. The domestic industry suffered decline in profits, cash flows and return on investment as a result of low-priced dumped imports.

156. The Authority therefore holds that the injury to the domestic industry is caused due to dumping.

J. MAGINTUDE OF INJURY MARGIN

157. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. Separate NIP has been determined for the various product types based on clamping force. The NIP, thus calculated, has been considered for comparing the clamping force-wise landed price from the subject countries for calculating the weighted average injury margin. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were added to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

158. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared for the Plastic Processing Machine (PPM) or Injection Moulding Machine clamping force-wise. The weighted average of the injury margins determined clamping force-wise for producers/exporters by the Authority is provided in the table below:

Injury Margin Table

| SN | Producer | NIP | Landed | Injury margin | | |
|----|--|-----------------|--------|---------------|---------|--------|
| | | USD per machine | | % | (Range) | |
| A | China | | | | | |
| 1 | Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co., Ltd. and Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | 40-50% |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 2 | Chen Hsong Machinery Co Ltd, Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co., Ltd, Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co., Ltd., Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co., Ltd, Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd., Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | 25-35% |
| 3 | Yizumi Precision Molding Technology Co., Ltd., Yizumi High Speed Packaging Technology Co., Ltd, Yizumi Precision Machinery (HK) Co., Limited, Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | 30-40% |
| 4 | Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd., China | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 5 | Any other producer | *** | *** | *** | *** | 60-70% |
| B | Taiwan | | | | | |
| 1 | Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 35-45% |
| 2 | Huarong Plastic Machinery Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | Negative |
| 3 | Any other | *** | *** | *** | *** | 50-60% |

K. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

K.1 Submissions made by other interested parties

159. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- The imposition of anti-dumping measures will have an adverse impact on the downstream industry which comprises of small MSME producers.
- For over 40 years, machines have been imported from China and Taiwan due to a lack of local alternatives, as Indian manufacturers struggle to provide high-tonnage machines (above 1000 tonnes) in a timely manner.
- Chinese suppliers can dispatch machines within three months, while Indian suppliers often take seven to eight months, disrupting business operations.
- The purpose or objective of the anti-dumping investigation is to create level playing field and not protect any industry, if they do not meet the criterions mentioned in the Act or Rules.
- There is a demand and supply gap in the country and the imports are taking place to cater the gap.

K.2 Submissions made by the applicants.

160. The applicants have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- a. Apart from the participating producers, other manufacturers belong to the MSME sector, with a production capacity of less than 100 machines per annum and depend solely on the operation of the product under consideration.
- b. Survival for MSME producers is more difficult because while larger producers may endure injury for a short period, MSME producers cannot.
- c. As per the annual report of consumers, it can be seen that the depreciation of plant and machinery constitutes only about 2% of the total cost of the downstream industry. The table below shows the impact.

| SN | Producer | Year for which data considered | Depreciation on P&M as a whole | Total Expenses | Share in P&M as a whole |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Samvardhana Motherson International Limited | 2023-24 | 20,320 | 8,47,700 | 2% |
| | | 2022-23 | 17,300 | 7,46,680 | 2% |
| 2 | Supreme Industries Limited | 2023-24 | 16,689 | 8,90,015 | 2% |
| | | 2022-23 | 14,802 | 8,27,292 | 2% |
| 3 | Astral Limited | 2023-24 | 10,470 | 4,40,730 | 2% |
| | | 2022-23 | 10,330 | 4,03,120 | 3% |
| 4 | Finolex Industries Limited | 2023-24 | 9,580 | 3,88,505 | 2% |
| | | 2022-23 | 7,657 | 4,22,094 | 2% |
| 5 | Nilkamal Limited | 2023-24 | 6,878 | 3,00,669 | 2% |
| | | 2022-23 | 6,336 | 2,92,787 | 2% |
| 6 | Minda Corporation Limited | 2023-24 | 8,450 | 3,59,840 | 2% |
| | | 2022-23 | 6,820 | 3,28,430 | 2% |
| 7 | Fiem Industries Limited | 2023-24 | 4,278 | 1,82,090 | 2% |
| | | 2022-23 | 4,574 | 1,67,053 | 3% |
| 8 | Lumax Industries Limited | 2023-24 | 6,887 | 2,54,814 | 3% |
| | | 2022-23 | 6,312 | 2,22,133 | 3% |

- d. Depreciation of plastic processing equipment will likely account for just 0.2-0.4% of the total expenses of the downstream industry. When share of plastic processing equipment in itself is low, the impact of anti-dumping duty will be lower.
- e. The plants for the product under consideration are labor-intensive and generate large number of jobs. The product provides large scale employment to upstream industry which is also suffering from low priced imports.
- f. Since the product under consideration is a capital good, the impact of the anti-dumping duty would be spread across the useful life of the asset. Even if the price increases by 20%, impact on the consumers will be negligible.

- g. India is self-reliant i.e., Aatma Nirbhar. The Indian industry has sufficient capacity to cater to entire Indian demand for the product. Users are not required to depend upon imports.
- h. The imports value from the subject countries during the POI alone is Rs 625 cr. The exports made by the Indian industry is around Rs 375 Cr. Thus, imports from subject countries have added to trade deficit.
- i. The users' lack of opposition shows that they do not expect adverse impact of ADD. Even the participating users have not raised any concerns regarding it and the associations have not provided verifiable evidence of recommended measures being against public interest.
- j. There is nothing on record to suggest that the ADD previously in force had any adverse impact on the user industry in India.
- k. Even if imports from subject countries are restricted due to ADD, domestic industry would not monopolize the Indian market as there are imports of the product from other countries and over 20 producers of like product in India.
- l. A vibrant domestic industry producing capital goods is essential to achieve the goal of AatmaNirbhar Bharat. The 13 key sectors promoted under the Production Linked Incentive (PLI) Scheme of the Government of India are all key consumers of PUC. Addressing injury suffered by producers of product under consideration is vital to ensure growth of key sectors of PLI scheme.
- m. Average production of an MSME unit is around 50-100 machines a year. The volume of imports in the POI means livelihood of around 15-20 MSME producers.

K.3 Examination by the Authority

- 161. The Authority considered whether imposition of the recommended anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers, and consumers of the product.
- 162. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.
- 163. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market.

164. The Authority further notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the applicants.

165. None of the users/ importers have filed a user questionnaire response. Though the importer associations, namely AIPMA and OPPI have filed submissions, none of its members have filed a questionnaire response showing impact of anti-dumping duty imposed in the past or that may now be imposed. The associations have not provided any quantified and verifiable information to demonstrate the possible adverse impact of the recommended anti-dumping duty on the consumers and public at large. Since the product was earlier subjected to anti-dumping duty, the Authority considers that it was possible for the interested parties to demonstrate the effect of anti-dumping duty on the downstream industry. It is, thus, noted that the interested parties have not established any adverse impact of anti-dumping duty on the user industry with verifiable information.

166. The domestic industry has provided the following information in relation to possible impact of duty in its written submissions. The same has not been disputed by any interested party

| SN | Producer | Year for which data considered | Depreciation of plant and machinery(units) | Total Expenses | Share of depreciation of plant and machinery in total expense |
|----|---|--------------------------------|--|----------------|---|
| 1 | Samvardhana Motherson International Limited | 2023-24 | 20,320 | 8,47,700 | 2% |
| | | 2022-23 | 17,300 | 7,46,680 | 2% |
| 2 | Supreme Industries Limited | 2023-24 | 16,689 | 8,90,015 | 2% |
| | | 2022-23 | 14,802 | 8,27,292 | 2% |
| 3 | Astral Limited | 2023-24 | 10,470 | 4,40,730 | 2% |
| | | 2022-23 | 10,330 | 4,03,120 | 3% |
| 4 | Finolex Industries Limited | 2023-24 | 9,580 | 3,88,505 | 2% |
| | | 2022-23 | 7,657 | 4,22,094 | 2% |
| 5 | Nilkamal Limited | 2023-24 | 6,878 | 3,00,669 | 2% |
| | | 2022-23 | 6,336 | 2,92,787 | 2% |
| 6 | Minda Corporation Limited | 2023-24 | 8,450 | 3,59,840 | 2% |
| | | 2022-23 | 6,820 | 3,28,430 | 2% |
| 7 | Fiem Industries Limited | 2023-24 | 4,278 | 1,82,090 | 2% |
| | | 2022-23 | 4,574 | 1,67,053 | 3% |
| 8 | Lumax Industries Limited | 2023-24 | 6,887 | 2,54,814 | 3% |
| | | 2022-23 | 6,312 | 2,22,133 | 3% |

167. It is noted from the above that share of depreciation on account of plant & machinery in the total operations as a whole is 2-3%. The product under consideration is however only a part of plant and machinery. The investment in plant & machinery is expected to include significant amounts in other plant & machinery as well. Therefore, the share of depreciation of plastic

processing machinery in the total expenses is not expected to be significant. Consequently, the impact of anti-dumping duty on the consumers is not expected to be high.

168. The imposition of anti-dumping measures does not restrict imports from the subject countries in any way. Further, apart from the domestic industry, there are other producers of the subject goods in the country as well as non-subject countries. Hence, even if the duties were to have an unintended consequence of reducing import volumes from the subject countries, the downstream industry in India will not run out of supplies.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS.

L.1 Submission made by the other interested parties

169. Following comments have been made by the other interested parties:

- a. Authority should exclude assemblies and sub-assemblies from the scope of the product under consideration as these are very small parts. Even if Authority decides to include sub-assemblies or assemblies within the scope, a clarification methodology should be provided for computing the duty.
- b. The Authority is requested to clarify and issue a fresh disclosure statement addressing definition of assemblies/sub-assemblies within the scope.
- c. The Authority should re-examine the standing considering if applicant has had commercial production and sale of parts and components. It should also be considered whether the sales of parts and components be accounted to be commercial in nature.
- d. There is significant discrepancy in domestic sales, other producer sale and import volume as noted in the data provided in the disclosure statement and the application filed by the domestic industry.
- e. While the Government promotes industrial expansion through PLI schemes to boost GDP, imposing duties on essential capital goods contradicts this objective.
- f. Authority has either imposed or in process in imposing anti-dumping and countervailing duties on nearly all key products such as PVS suspension resin, PVC paste resin, PPM, Titanium Dioxide, Azo Pigment and LDPE used by AIPMA members. These essential products impact businesses across manufacturing, packaging, and construction sectors.
- g. The weightage average landed price determined by the Authority for Chen Hsong Machinery Taiwan Co. Ltd. is not in accordance with the claim made by the producer/exporter. The injury margin range for Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd., as stated in para 155 of the disclosure statement, is 35%-45% while the domestic industry claimed injury margin of 0-10% for imports from Taiwan. Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd. was the sole exporter of the subject goods from Taiwan during the period of investigation and therefore, a higher injury margin determined by the Authority appears inconsistent.
- h. The weighted average landed price determined by the Authority for Yizumi group is not in accordance with the claim made by the producer/exporter.

- i. Huarong Plastic Machinery Co., Ltd. has provided all required Appendices in MS Excel format. Further, PCNs have been assigned on clamping force and machine series for all reported transactions in Appendix 3A and Appendix 4A. Huarong Plastic Machinery Co., Ltd has recalculated the credit cost for all transactions with extended credit periods using standard financial principles, factoring in the applicable interest rate and credit duration. Huarong Plastic Machinery Co., Ltd has provided relevant invoices and supporting documents for all adjustments, including freight, insurance, and other cost deductions.
- j. The Authority failed to recognize two applicants, Electronica Plastic Machines Ltd. and Windsor Machines Ltd., as importers, despite submitting evidence proving their import of assemblies during the investigation period.
- k. Domestic industry excluded electric injection molding machines from the scope of the product under consideration, which were exported by the related company of one of the domestic industries. Imposing anti-dumping duties on the defined product will likely push users toward Electric Injection Molding Machines, benefiting Shibaura Machine's related company in China. The Authority must address this concern in its final findings.
- l. Both electric injection molding machines and plastic processing machines are like article, in terms of Rule 2(d) as both shaped plastic materials using molds, automation, and advanced control systems. Both the machines prioritize energy efficiency, precision, and consistency, serving industries like automotive, medical, and packaging.
- m. Machines exported by Foshan group are lighter than those produced by the domestic industry for the same clamping force, which results in lower production costs and, lower prices. This difference in weight directly impacts cost efficiency, making the respondent's machines more competitively priced.
- n. For over 40 years, heavy machines have been imported from China and Taiwan due to the lack of local alternatives. Indian manufacturers currently struggle to provide high-tonnage, quality machines (above 1000 tonnes) in a timely manner.
- o. The disclosure statement only considers NIP for complete machines based on clamping force, with no NIP constructed for assemblies or sub-assemblies. This means no injury margin is determined for assemblies, despite their imports, and likely no separate dumping margin either. Recommending duties without calculating these margins is a clear violation of anti-dumping rules and established DGTR practices.

L.2 Submission made by the domestic industry

170. Following comments have been made by the domestic industry:

- a. While the applicant association complied with all legal obligations, these foreign producer/importer associations were not held to the same standard. CPMIA failed to provide details of specific producers/exporters it represents, while AIPMA and OPPI did not submit a list of members engaged in producing the product under consideration.
- b. Husky Group from China did not supply the product under consideration during the period of investigation. Further, the producer failed to assign proper PCNs to

transactions, despite the prescribed PCN methodology. The NIP for different PCNs varies significantly, ranging from Rs. [***] lakh to Rs. [***] lakh per machine. Without accurate PCN classification, the determination of dumping and injury margins would be fundamentally flawed.

- c. The Indian industry has actively engaged with key ministries, and both the Ministry of Heavy Industries and the Ministry of Chemicals and Fertilizers now support imposing anti-dumping measures on Plastic Processing Machines from China and Taiwan.
- d. The domestic industry request to impose anti-dumping duties retrospectively, as import volumes have surged in the post-investigation period, exceeding those during the investigation period.
- e. Due to dumped imports, the Indian industry lost a market of around Rs [***] Cr.
- f. Apart from domestic industry, other Indian producers have also suffered from significant injury due to subject imports. With surge in imports during the period of investigation has led to a decline in the production and sales of other Indian producers. Their market share has also been impacted.
- g. Other Indian producers fall in the MSME sector makes the situation even grievous. These producers cannot survive in the domestic market without adequate and due remedy from the government.
- h. The subject imports have not only weakened the performance of the Indian manufacturers but have also severely impacted upstream producers, many of whom belong to the MSME sector.
- i. The domestic industry typically requires 6–8 weeks to manufacture machines up to 775 tons and 12–16 weeks for larger machines.
- j. The impact of proposed duty on final product is negligible.

L.3 Examination by the Authority.

171. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating the responses to such issues in this post-disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post-disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed by the Authority to require further examination, are examined and addressed hereinunder.
172. Some interested parties have sought clarification regarding the definition of assemblies/sub-assemblies covered under the scope, as well as parts/components excluded from it, and the inclusion of CKD and SKD combinations. The specific assemblies/sub-assemblies that fall within the scope have already been clearly identified above. Only those explicitly listed in this final finding will be subject to the recommended measures. Imports of any other assemblies/sub-assemblies not specifically mentioned are not covered under the scope of the

product under consideration. A detailed list of inclusions and exclusions is also provided below the duty table.

173. With regard to the comment that that product exported by Foshan group are lighter than those produced by the domestic industry for the same clamping force and the cost and price is lower, the issue was already examined in the previous investigation on import of plastic processing or injection molding machines with a clamping force between 40 and 1000 tonnes from China PR. The relevant excerpt is provided below:

“28. As regards the lesser weight of imported machine, the Authority is of the view that in a machine-like Plastic Processing Machinery, weight cannot be a pricing parameter since buyers pay for desired technology and features and not for the weight.”

174. As no credible evidence has been presented to distinguish the lighter weight machines from the other machines having same clamping force, the Authority maintains the position adopted in the previous investigation.

175. The interested parties have commented that Electronica Plastic Machines Limited has imported “screw barrel, screw tip, stationary platen nut, tie bar and other auxiliary equipment”, Milacron India Private Limited has imported “display and gate seal” and Windsor Machines Limited has imported “screw barrel”. The product identified by the interested parties do not form part of the product under consideration. Imports of a product not forming part of the product under consideration is irrelevant under Rule 2(b). The scope of the product under consideration in the present investigation has been explicitly identified to include only the following sub-assemblies.

“sub-assemblies namely clamping/clamp unit, injection unit with or without screw & barrel, machine base frame and fabrication frames/covers imported for injection moulding machine.”

176. It has been commented by Chen Hsong Machinery Taiwan Co. Ltd., Taiwan that the landed price determined is not in accordance with the claim made by the producer/exporter and the injury margin determined for them is more than the injury margin claimed by the applicant. The Authority notes that there is difference in the PCN wise import volume provided by the applicants and the information provided by the respondent. The injury margin has been determined considering response filed by Chen Hsong Machinery Taiwan Co. Ltd., Taiwan.

177. It has been commented by Yizumi Group that the margin determined for the group are higher, the Authority notes that the related entity of Yizumi Group in India has sold the PUC at losses. The losses suffered by the Indian entity have been adjusted in the calculation of net export price. The approach taken is in accordance with the law and practice.

178. The interested parties have commented that there is significant discrepancy in domestic sales, other producer sale and import volume in the disclosure statement. The Authority notes that the data considered in the disclosure statement is same as circulated by the applicant to the

interested parties. The data has been considered after due verification. The Authority also notes that the interested parties have made comparison between the information reported in the application and the disclosure statement. The scope of the product under consideration in the application was of machines having clamping force of not less than 40 tonnes and not more than 3200 tonnes. However, the scope of the product was then reduced to machines having clamping force of not less than 40 tonnes and not more than 1500 tonnes. Since there has been a change in the scope of the product under consideration, the data in the application has undergone a change, which was circulated to the interested parties.

179. Regarding the submission that Electric Injection Molding Machines were deliberately excluded from the scope of the product under consideration to benefit Shibaura Machine India Private Limited's affiliate, the Authority notes that the current application has been filed by the Plastic Machinery Manufacturers Association of India and three other domestic producers have provided their costing data apart from Shibaura Machine India Private Limited. In previous investigations also, Electric Injection Molding Machines were not included within the scope of the product under consideration, and they remain excluded in the present investigation. Moreover, no evidence has been presented by the interested parties to demonstrate that imposing anti-dumping duties on the product under consideration has led to an increase in imports of Electric Injection Molding Machines. Therefore, the claim that these machines were intentionally excluded cannot be accepted.
180. It has been contended by the other interested parties that there is demand supply gap in India and imports are necessary to fulfill the supply gap. The Authority notes that imposition of anti-dumping duties does not restrict imports. Imports can continue to happen, albeit at fair price. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the Indian industry. In fact, the Authority has considered lower of dumping margin and injury margin while recommending anti-dumping duty, which further ensures level playing field for all stakeholders.
181. Interested parties have commented that the disclosure statement was issued without determining the injury and dumping margins for assemblies. The Authority notes that although participating exporters did report exports of assemblies, they did not provide sufficient detail regarding the nature of these sub-assemblies. It is seen that amongst all the participating producers, only [***] has reported exports of sub-assemblies/SKD and CKD machines but have not reported any details. Without this critical information, it is not possible to accurately compare the net export price and landed price of the reported sub-assemblies with the normal value and non-injurious price of the domestic industry. Even during the verification process, producers did not identify the specific description of these sub-assemblies. Consequently, the dumping and injury margins have been determined based on the complete machines only reported by the participating producers, rather than on incomplete sub-assembly data. It is also seen that the purpose of inclusion of CKD/SKD form of the product under consideration and the specific sub-assemblies was owing to ease of assembly and high likelihood of circumvention of anti-dumping measures. It is not the contention that there are significant

imports of these forms in the period of investigation. Therefore, the dumping margin and injury margin determined by the Authority is not distorted.

182. With regards to imposing anti-dumping duty on the subject goods will directly increase production costs for MSME users, the Authority notes that the interested parties have advanced mere statements and have not provided any verifiable documentary evidence to substantiate their claim. The product under consideration is a capital good and the information on record provided by the domestic industry shows that it will not be onerous for the downstream industry when seen over the lifecycle of the product.
183. With respect to the argument raised by the other interested parties concerning that electrical injection moulding machine is like article to plastic processing machine, it is noted that the other interested parties failed to raise such arguments within the time limits prescribed by the Authority in its initiation notice and even in the comments filed for the scope of PUC and PCN methodology. Thus, the submission made at such a belated stage in the investigation cannot be considered. In any case, the other interested parties have not provided any substantive evidence to support their claims.

M. CONCLUSION

184. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
 - a. The investigation was initiated into the imports of plastic processing machinery having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 3200 tonnes. Comments were filed by the users requesting the scope of the product under consideration to be restricted to machines of clamping force less than 1500 tonnes. The domestic industry did not dispute the request and accordingly the scope was restricted to 1500 tonnes.
 - b. The product under consideration in the present investigation is all kinds of plastic processing machine having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1500 tonnes, used for processing or moulding plastic material.
 - c. The product under consideration is capital goods. Therefore, it is not necessary that the capital goods is imported in a fully assembled and in ready-to-use condition. For ease of transportation, the machine may be imported in the form of CKD, SKD and sub-assemblies.
 - d. Plastic processing machine comprises of large number of components. However, the clamping unit, injection unit and machine base frame form integral and necessary part of the product under consideration.
 - e. Imports in Semi knocked down (SKD) means a plastic processing machine which is in incomplete or unfinished form, not fully assembled, but is transacted as parts of a plastic processing machine. These parts are not fitted together, and the machine is not ready to use. Imports in SKD form shall imply imports of all the SKD or sub-assemblies required

for production of the product under consideration. Further, imports of complete clamping/clamp unit or complete injection unit with or without screw & barrel or machine base frame or fabrication frames/covers for injection moulding machines are essential sub-assemblies or SKD of the product under consideration.

- f. Completely knocked down (CKD) means a plastic processing machine in its components form. Such components will have the essential character of the complete machine when put together.
- g. The Authority notes that the production of the applicant companies constitutes 57% of the total Indian production of the like article in India.
- h. Apart from domestic industry, a number of other domestic producers have supported the present application filed by the domestic industry.
- i. The imports made by the Shibaura Machine India Private Limited and Milacron India Private Limited are components. However, these components do not form part of the product under consideration.
- j. The Authority holds applicants constitute “domestic industry” within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules.
- k. The domestic industry has suffered material injury, as is evident from the following facts emerging in the investigation
 - i. The imports from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to Indian production and consumption. The imports from subject countries hold major share in the total imports in India throughout the injury period.
 - ii. The landed price of subject imports in the period of investigation is significantly below the selling price of domestic industry resulting in positive price undercutting. The low-priced imports have suppressed the prices of the domestic industry. There has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, and the effect of such imports was to suppress the prices in the domestic market and prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.
 - iii. The production and capacity utilization of the domestic industry declined in the period of investigation. Despite the increase in demand, the domestic sales of the domestic industry have declined in the period of investigation.
 - iv. The financial profits, cash profits and profit before interest and tax have steeply declined by almost 50% in the period of investigation. The return on investment improved in 2021-22 and has declined thereafter declined significantly till the period of investigation.
 - v. The domestic industry recorded negative growth on various volume and price parameters in period of investigation and preceding year.

1. The domestic industry has not suffered injury due to other factors. Material injury caused to the domestic industry is due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
- m. The imposition of anti-dumping measures does not restrict imports from the subject countries in any way.
- n. Anti-dumping duty would ensure that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
- o. Imposition of anti-dumping duty would not be against the larger public interest.

N. Recommendation

185. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
186. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty as indicated in the duty table below, which shall be as a percentage of CIF value of imports, is recommended to be imposed for 5 years from the date of notification, to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

DUTY TABLE

| SN | Heading/ subheading | Description of the goods | Country of origin | Country of export | Producer | Duty as % of CIF |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 84771000 and 84779000 | Plastic processing machinery* | China PR | Any country including China PR | Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co., Ltd. and Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co., Ltd | 48% |
| 2 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Chen Hsong Machinery Co Ltd, Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co., Ltd, Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co., Ltd., Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co., Ltd, Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd., Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co., Ltd | 27% |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--------------------------------|--|-----|
| 3 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Yizumi Precision Molding Technology Co., Ltd., Yizumi High Speed Packaging Technology Co., Ltd, Yizumi Precision Machinery (HK) Co., Limited, Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co., Ltd | 35% |
| 4 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd | 0% |
| 4 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Any other producer | 63% |
| 5 | -do- | -do- | Any country other than China PR and Taiwan | China PR | Any producer | 63% |
| 6 | -do- | -do- | Taiwan | Any country including Taiwan | Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd. | 39% |
| | -do- | -do- | Taiwan | Any country including Taiwan | Huarong Plastic Machinery Co., Ltd | 0% |
| 7 | -do- | -do- | Taiwan | Any country including Taiwan | Any other producer | 53% |
| 8 | -do- | -do- | Any country other than China PR and Taiwan | Any country including Taiwan | Any producer | 53% |

* The product under consideration in the present investigation is Plastic processing machines (PPM) or Injection Moulding Machines, also known as injection presser, used for processing and moulding of plastic materials.

The scope of the product under consideration includes all kinds of plastic processing or injection moulding machines, having a clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1500 tonnes. The scope of the product under consideration includes machines in fully assembled, semi knocked down (SKD), complete knocked down form (CKD), or a combination of SKD & CKD. The scope is further clarified below -

- A plastic processing machine in semi knocked down stage shall mean a plastic processing machine which is not fully assembled but is transacted as a plastic processing machine with parts or sub-assemblies not fitted together and the machine is not ready to use. A semi knockdown machine shall also imply sub-assemblies namely clamping/clamp unit, injection unit with or without screw & barrel, machine base frame and fabrication frames/covers imported for injection moulding machine.

b. A plastic processing machine in completely knocked down stage shall mean a plastic processing machine in its incomplete or unfinished form, has the essential character of the complete machine when put together, and contains all components required for assembling the machines

The following products are specifically excluded from the scope of the product under consideration: -

- a. Blow moulding machines classified under Custom Tariff Act, 1975 under subheading 8477 30 04.
- b. Vertical injection moulding machines.
- c. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, moulding closing, moulding opening, ejection, screw-drive etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without hydraulic unit.
- d. Multi-colour/multi-mould machinery for making footwear, rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Custom Tariff Act, 1975 under sub heading 8453.
- e. Second hand/used plastic processing machines.
- f. Imports of any standalone parts/components, other than those specified above.
- g. Imports of clamping/clamp unit, injection unit with or without screw & barrel, machine base frame and fabrication frames/covers imported for production of a machine other than injection moulding machines.

#The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

O. Further procedure

187. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority